खण्ड-339, अंक-6
शुक्रवार, 4 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(25 मई, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 339 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना . .	591–592
कुण्डेश्वरी (काशीपुर) में वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा भूमि खरीदने में अनियमितता के सम्बन्ध में सहकारिता मन्त्री व गुरुदत्त सोलंकी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना . .	592–597
सदन में माननीय सदस्यों के भाषण ठीक ढंग से प्रतिवेदित न किए जाने के सम्बन्ध में शिकायत	597–598
अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दंगे के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री के वक्तव्य पर औचित्य का प्रश्न	598–600
भू-वैज्ञानिक डा0 खड़ग सिंह वल्दिया द्वारा शोध लेख में नैनीताल के धरती के गर्भ में समा जाने के विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	600–601
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	601
1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान–अनुदान संख्या 34–शिक्षा विभाग तथा अनुदान संख्या 111–शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम	601–661
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	661
गन्ना सहकारी विकास समितियों द्वारा गन्ने के विकास हेतु वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत कृषकों को दिए गये ऋण पर मनमाना ब्याज वसूल किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	661–663
सत्थी	664

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 25 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---314

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदानी, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गन्जी प्रसाद, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गैन्दा लाल गुप्त, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी ;श्री (उर्फ छेदी लाल)

छोटे लाल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभूदयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री

भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानसिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बक्श, श्री
राम वरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री

विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीचन्द , श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

शुक्रवार, 25 मई, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

साम्प्रदायिक दंगों की रोक थाम के लिये एन्टीरायट फोर्स के गठन की मांग

**1--श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा), श्री मुहम्मद खलीलुल्लाह कुरैशी (जिला गाजीपुर), श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा), श्री अशफाक अहमद खान (जिला बरेली), श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती) तथा श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत वर्षों में हुए साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में पी0 ए0 सी0 की असफलता को देखते हुए क्या सरकार पी0 ए0 सी0 को तोड़ने का विचार कर रही है ? क्या सरकार पी0 ए0 सी0 के स्थान पर एन्टीरायट फोर्स का गठन करेगी ? यदि हाँ, तो इसकी रूपरेखा क्या होगी और उसमें हरिजनों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़ी जातियों का अनुपात किस प्रकार होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

प्रश्न का उत्तर दिया जाना जनहित में नहीं होगा।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने जो सवाल किया है, उस सिलसिले में माइनारिटी कमीशन ने अपनी कोई रिपोर्ट दी है और क्या उनकी व्यक्तिगत जानकारी में जो मैंने एक फोर्स के सिलसिले में बात कही है, वह सही है या नहीं ? अगर सही है, तो ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन को बनाये रखने के लिये क्या उनकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि जनहित में वह इस सवाल का जबाव दें ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, इस प्रश्न से संबंधित उत्तर तथा इस प्रश्न से संदर्भित सभी सवालों का जबाव देना जनहित में नहीं होगा। जो मौजूदा स्थिति है, उसके मुताबिक ठीक होगा कि जनहित में उत्तर न दिया जाय।

श्री फजलुलबारी--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पी0 ए0 सी0 में कितने मुसलमान, कितने ईसाई, कितने सिख, कितने हरिजन और कितने पिछड़ी वर्ग के लोग हैं। इन सभी का अलग-अलग प्रतिशत क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मुस्लिम 5.60 प्रतिशत, बैकवर्ड 21.64 प्रतिशत, शिड्यूल कास्ट 14.22 प्रतिशत, शिड्यूल ट्राइब्स 0.55 प्रतिशत तथा क्रिश्चियन 0.05 प्रतिशत हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, जरा प्रश्न देखिये और जनहित देख लें। अलग-अलग भाग हैं इस प्रश्न के। पहला भाग है--क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत वर्षों में हुए साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में पी0 ए0 सी0 की असफलता को देखते हुए क्या सरकार पी0 ए0 सी0 को तोड़ने का विचार कर रही है ? इसमें पहली चीज है कि क्या पी0 ए0 सी0 असफल हुयी ? इसका जबाव देना जनहित में नहीं है--यानी पी0 ए0 सी0 असफल रही। दूसरा सवाल--क्या तोड़ने का विचार है। उत्तर देना जनहित में नहीं है। क्या सरकार पी0 ए0 सी0 के स्थान पर एन्टीरायट फोर्स का गठन करेगी ? यह भी बताना

जनहित में नहीं। फिर आगे है---यदि हाँ, तो इसकी रूप-रेखा क्या होगी ? इसको तो समझ सकते थे कि न बताये लेकिन सफल हुयी या असफल हुयी ? इसको तो बता सकते थे ? लेकिन कह दिया जनहित में नहीं। अब जनहित में क्या है, क्या नहीं है, उसका निर्णय, मान्यवर, आप करेंगे। मंत्री जी को चाहिये था कि आपके पास सामग्री भेज देते और आप इसको रूल आउट करते कि क्या जनहित में है और क्या नहीं है ? लेकिन वह तो किया नहीं। अब मैं, मान्यवर, मंत्री जी से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पी० ए० सी० को तोड़ कर एन्टीरायट फोर्स के गठन के बारे में माइनारिटीज कमीशन की तरफ से कोई सिफारिश सरकार को प्राप्त हुयी है ? जिन सिफारिशों का अखबारों में भी तसकिरा हो गया है ? यदि हाँ, तो वे सिफारिशें क्या हैं और सरकार उन पर अमल करने जा रही है या नहीं ?

श्री रमाशंकर कौशिक---

मान्यवर, जहाँ तक टुकड़ों में प्रश्न को किया गया माननीय नेगी जी द्वारा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि असफलता के संबंध में प्रश्न नहीं है, 'असफलता को देखते हुए' प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वे यह मानकर चल रहे है कि असफलता हुई है। हमारे यहाँ अभी कुछ साम्प्रदायिक झगड़े हुए हैं, दूसरे प्रदेशों में भी आज ऐसी स्थिति है, इस सबको देखते हुए फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर देना जनहित में नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

माइनारिटी कमीशन की सिफारिशों के बारे में मैने पूछा है।

श्री रमा शंकर कौशिक---

इससे संबंधित ही नहीं है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, मुझे एक प्रश्न कर लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

अब इस पर 2-3 प्रश्न हो गये, अब मैं इस पर इजाजत नहीं देता।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देना जनहित में नहीं है। इस का जबाव देना जनहित में था और उन्हें इसका जबाव देना चाहिए था ? मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि....

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो सरकार तय करती है। अब मैं इस पर कोई इजाजत नहीं देता।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)---

यह जनहित में नहीं है, मैं इसका समर्थन करते हुए मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग जाति, बिरादरी, फिरकापरस्ती के बारे में प्रश्न पूछते है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

अब यह प्रश्न हो गया। माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री, आप प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पढ़ें।

सहायता प्राप्त पालिटेक्निक के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के समान सुविधा दिये जाने की मांग

**2---श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)---

क्या टेक्निकल शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सहायता प्राप्त पालिटेक्निक कर्मचारियों को राजकीय पालीटेक्निक कर्मचारियों के समान सुविधा जैसे आवासीय भत्ता,

नगर प्रतिकर भत्ता, निवृत्तिमान वेतन, उपादान भत्ता आदि देने का बचन मन्त्री ने विगत नवम्बर में दिया था और कहा था कि शासन इसको सिद्धान्ततःस्वीकार करता है और फरवरी, 1979 तक इसकी घोषणा कर दी जायेगी ? क्या यह सही नहीं है कि सहायता प्राप्त पालिटेक्निक के कर्मचारियों ने परीक्षाओं के वहिष्कार की घोषणा की उस समय भी मुख्य मन्त्री ने शीघ्र सुविधायें देने का आश्वासन दिया ? यदि हाँ, तो अन्ततः वे कौन-कौन से कारण हैं जिनके चलते शासन ने अभी तक सुविधायें नहीं दी ?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

जी नहीं।

मुख्य मंत्री जी से संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान यह कहा गया था कि मामले में विचार हो रहा है।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

मान्यवर, यदि माननीय वित्त मंत्री जी अपने आश्वासनों को झुठलाने पर तुले हुए हैं, तो मुझको कुछ नहीं कहना है। मैं और यह दोनों साथ ही इलाहाबाद में पालिटेक्निक में गये थे और इन्होंने मेरी ही अध्यक्षता में भाषण करते हुए आश्वासन दिया था लेकिन उसका कोई रिकार्ड नहीं है क्योंकि वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि नवम्बर में इतना ही कहा गया था कि मामले पर विचार हो रहा है, तो मई में 7 महीने हो गये, शासन ने इस 7 महीने में इस पर विचार पूरा कर लिया ? यदि हाँ, तो वे विचार क्या हैं ?

श्री मधुकर दिघ--

मान्यवर, माननीय सदस्य मोहन सिंह जी ने प्रश्न पूछा था कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था। उन्होंने अगर मुझसे प्रश्न पूछा होता तो उसका उत्तर मैं दूसरे ढंग से देता। यह सही है कि कुछ दिन पहले उनकी अध्यक्षता में एक सभा में मैंने यह कहा कि अभी प्राविधिक शिक्षा विभाग से मेरे समक्ष यह प्रश्न उपस्थित नहीं किया गया है. लेकिन चूंकि इस प्रश्न को दूसरे ढंग से देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि जो शिक्षा विभाग ने अन्य क्षेत्रों में सुविधायें दी हैं, वही सुविधायें प्राविधिक शिक्षा में काम करने वाले टीचिंग और नान टीचिंग स्टाफ के लिए भी होनी चाहिए, सिद्धान्त रूप में सरकार इससे सहमत है, वित्त विभाग भी सहमत है , इस पर जल्दी से जल्दी विचार कर लिया जायगा। अभी इस पर विचार पूरा नहीं हुआ है इसलिये इस पर मैंने जो जबाव दिया वह सही है।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा मंत्री सदन में जबाव देने से सकुचा रहे हैं, तो बातचीत वित्त मंत्री जी से ही की जायगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जो कार्यवाहक तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, उनसे जानना चाहता हूं कि जो राजकीय तकनीकी शिक्षा में काम करने वाले अध्यापक हैं, उनको अन्य अध्यापकों के समान वेतन भत्ता तथा अन्य सुविधा देने के संबंध में शासन के सामने क्या कठिनाइयाँ हैं, यह उन्होंने नहीं बताया जो प्रश्न का अंतिम भाग है ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, सद्धान्तिक दृष्टि से यह मान लिया गया है। अब चूंकि इसका परीक्षण करके इसमें कार्यवाही होनी है, खर्चा वगैरह का भी अनुमान लगाना है, इसलिये इसमें बिलम्ब हो सकता है। इस पर जब परीक्षण हो जायगा, तो कोई फैसला लिया जायगा तभी इस का उत्तर जो वह चाहते हैं, मिल जायगा।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

यह परीक्षण कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने पुकारा नहीं और आप ने सवाल कर भी लिया। अपने आप।

श्री बदन सिंह---

आप मुझे आज्ञा दें, श्रीमन् ?

(आज्ञा दिये जाने पर)

श्री बदन सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह परीक्षण कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री मधुकर दिघे---

अभी इसमें काफी समय लगेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या माननोय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें इसलिये देरी हो रही है चूंकि सरकार जो विसंगतियाँ सरकारी, गैर सरकारी डिग्री कालेजों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के बीच में है और उनको यही सुविधायें देना चाहती है यह सोच रही है, लिहाजा इसमें बिलम्ब हो रहा है।

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, मैंने अपने जबाव में यह कहा कि सैद्धान्तिक दृष्टि से इस पर सहमति प्राप्त कर ली गयी है। केवल तकनीकी शिक्षा के टीचिंग और नान-टीचिंग स्टाफ से संबंधित प्रश्न यह नहीं है उसी प्रकार के विभिन्न जगहों पर काम करने वालों के बारे में भी निर्णय लेना होता है। इसलिये इस सब का परीक्षण करना होगा, वित्तीय भार को भी देखना होगा। आर्थिक स्थिति जो इस समय है उसको देखते हुये जल्दी निर्णय लेना संभव नहीं होगा।

होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के सम्बन्ध में गठित समिति का प्रतिवेदन

**3---श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 4 अक्टूबर, 1977 के शासनादेश के अन्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के सिलसिले में सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

जी हाँ। प्रश्नगत समिति की रिपोर्ट अभी शासन के विचाराधीन है, अतः रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना जनहित में उचित नहीं होगा।

श्री राम आसरे वर्मा---

दो साल तक होम्योपैथिक छात्रों की लड़ाई चली और उसके बाद 4 अक्टूबर, 77 को शासन ने एक सात सदस्यीय समिति की घोषणा की जिसको यह जिम्मेदारी सौंपी गयी कि होम्योपैथी प्रणाली के बारे में अपनी संस्तुतियाँ दे। मान्यवर, शासन ने उस आन्दोलन की माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी किया और आज हम यह देख रहे हैं कि शासन ने 15 होम्योपैथिक कालेजों का अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश भी यहाँ से जारी किया तो क्या इन कालेजों का जो अधिग्रहण हुआ है यह सात सदस्यीय समिति की संस्तुतियों में से एक संस्तुति के तहत हुआ है ? यदि हाँ, तो अन्य संस्तुतियाँ क्या हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

जहाँ तक आन्दोलन का प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, वह बात सही है और आन्दोलन को देखते हुये ही सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और उससे संदर्भित 9 मामले थे लेकिन जो तात्कालिक समस्या होम्योपैथिक छात्रों की थी, उनका निराकरण

अध्यादेश द्वारा कर दिया गया। शेष जो संस्तुतियाँ हैं, उनमें से अधिकांश आर्थिक पहलू से जुड़ी हुई हैं, उन पर विचारोपरान्त ही सदन के पटल पर रखना संभव हो सकेगा।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---

समिति ने कब अपनी रिपोर्ट दी और जो संस्तुतियाँ हैं सरकार उन पर कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

5 अगस्त, 78 को। जैसे निवेदन किया संस्तुतियों में बहुत से आर्थिक तथा कानूनी पहलू जुड़े हुए हैं और इन सारी समस्याओं को हल करने के लिये समय की आवश्यकता है।

श्री राम आसरे वर्मा---

जो 7 सदस्यीय समिति की संस्तुतियाँ हैं क्या उनमें से एक संस्तुति यह भी है इस होम्योपैथिक कालेजेज को किसी एक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय क्योंकि इसमें वित्तीय सवाल नहीं है ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

इसमें कई प्रश्न जुड़े हुए हैं, विशेष कर कानूनी पहलू। जहाँ तक सम्बद्ध करने का सवाल है, वह अलग प्रश्न है। जहाँ तक परीक्षा कराने का सवाल है, जो तात्कालिक समस्या से जुड़ा हुआ है प्रश्न है और उसके लिये यह व्यवस्था कर दी गयी है कि होम्योपैथिक कालेजेज की परीक्षा कानपुर विश्वविद्यालय के जरिये से ली जायंगी।

श्री राम आसरे वर्मा---

मेरा सवाल था क्या संस्तुति इस समिति ने संबद्धता के सम्बन्ध में दी है ?

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने जबाव दे दिया है कि यह एक अलग प्रश्न है।

श्री राम आसरे वर्मा---

प्रश्न से संबंधित यह है। अगर आप ऐसा कहेंगे, तो हमारे अधिकारों को संरक्षण नहीं मिल सकेगा ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)---

जो 15 होम्योपैथी कालेजेज हैं, जिनको सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है क्या उनमें पढ़ाई का काम शुरू हो गया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

कुछ शिकायतें कुछ कालेजेज से मिली हैं। वैसे पढ़ाई का काम शुरू हो गया है। लेकिन जो प्रबन्ध समितियाँ थीं उन्होंने टीचर्स को भगा दिया है। इन सारी चीजों का निराकरण करने के लिये 28 को यानी 2 दिन बाद यहाँ पर प्रशासक, जो बनाये गये हैं, उनको तथा 15 कालेजेज के प्रिंसपल्स की मीटिंग बुलाई गयी है और इस समस्या का निराकरण इस बैठक के द्वारा किया जायगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'---

वित्तीय और कानूनी पहलुओं का सवाल सरकार के सामने है, तो वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये सरकार ने किस हद तक प्रयास किया है और कानूनी पहलू को हल करने के लिये किससे सलाह ली है और वह सलाह क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो बतला दिया कि वह सब विचाराधीन है।

कलक्टरी न्यायालयों का प्रातःकालीन समय किये जाने की मांग

**4—श्री राम सजीवन (जिला बाँदा) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष ग्रीष्म काल में 1 मई से प्रदेश के न्यायालयों तथा न्यायालयों से संबंधित कार्यालयों के खुलने के समय सुबह 6 बजे से 12 बजे तक हो गया था परन्तु इस वर्ष उसको लागू नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि बार एसोसियेशन, बाँदा ने इसके विरोध में कचेहरियों का बहिष्कार करने तथा अन्य प्रकार का कोई आन्दोलन करने के निर्णय की सूचना शासन को अप्रैल-मई, 1979 में भेजी थी ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ग्रीष्मकाल में सुबह से अदालतें खोलने के लिये स्थायी आदेश पारित करने में शासन के सामने क्या कठिनाइयाँ हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

ग्रीष्म काल में मई तथा जून के महीनों में माल तथा कलक्टरी न्यायालयों का प्रातः कालीन समय करने से संबंधित आदेश गत वर्ष 1978 में बाँदा, उरई, एटा तथा मिर्जापुर के लिए दिनाँक 29 अप्रैल, 1978 फतेहपुर तथा रायबरेली के लिये दिनाँक 3 मई, 1978 इटावा दिनाँक 8 मई, 78, गाजीपुर, हमीरपुर तथा ललितपुर के लिये 9 मई, 78, मैनपुरी, झांसी, जौनपुर के लिये दिनाँक 19 मई, 78 तथा वाराणसी एवं आजमगढ़ के लिये 3 जून, 1978 को जारी किये गये थे।

इस वर्ष, 1979 के लिये उपर्युक्त में से 14 जिलों के लिये दिनाँक 10 मई, 1979 (जिनमें बाँदा जिला भी शामिल है) तथा वाराणसी जिले के लिये दिनाँक 19 मई, 1979 को आदेश जारी किये जा चुके हैं।

उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिये आदेश जारी करते हैं।

बार एसोसियेशन, बाँदा द्वारा कचेहरियों का बहिष्कार करने अथवा कोई आन्दोलन करने सम्बन्धी निर्णय की कोई सूचना शासन को उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

फैजाबाद जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्ति जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) तथा श्रीमती राम रति देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या यह सही है कि मार्च, 1979 तक अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा विमुक्त जातियों के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्तियों का भुगतान जनपद फैजाबाद में नहीं हुआ है और इस कार्य के लिए शासन द्वारा स्वीकृत एक बड़ी धनराशि उपयोग न हो पाने के कारण वापस कर दी गयी है ? क्या यह भी सही है कि केवल इन्हीं जातियों के छात्रों के साथ यह बर्ताव व्यापक पैमाने पर हुआ है ? यदि हाँ, तो इस भेदभाव पूर्ण तथा दोहरा माप दण्ड अपनाने के लिए कौन दोषी है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

यह सही नहीं है कि मार्च, 1979 तक अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा विमुक्त जातियों के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक जनपद फैजाबाद में नहीं हुआ है। इस कार्य के लिए स्वीकृत किसी भी धनराशि का उपयोग न हो पाने के कारण वापस नहीं किया गया है यह भी सही नहीं है कि केवल इन्हीं छात्रों के साथ यह

बर्ताव व्यापक पैमाने पर हुआ है, अतः इस भेदभाव पूर्ण तथा दोहरे मापदण्ड अपनाने के लिये किसी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या माननीया मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि फैजाबाद जनपद में कुल कितनी धनराशि कितने छात्रों को मिलनी थी ? उसमें से कितने छात्रों को कितनी धनराशि मिल चुकी है और शेष को क्यों नहीं मिली, इसके लिये कौन दोषी है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, वहाँ पर कोई धनराशि वापस नहीं हुई है और पूरी धनराशि बंट चुकी है। इस वर्ष 8 लाख रुपया माँगा गया है उसके लिये टेलेक्स आ गया है और वह इसी हफ्ते भेज दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने यह पूछा है कि कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी और वह कितने छात्रों में वितरित की गई तथा कितनी शेष रह गई है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये यह धनराशि 4 लाख 27 हजार तथा विमुक्त जाति के छात्रों के लिये 18,800 थी। दशमोत्तर छात्रों के अनुसूचित जाति के लिये छात्रवृत्ति 20,23,100 रुपये तथा विमुक्त जाति के लिये 2 हजार थी, जो कि बाँट दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष--

कितने छात्रों में आपने बाँटी, यह भी बता दें ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, 1 हजार छात्रों के आवेदन पत्र मार्च तक आये हैं। 8 लाख रुपये की माँग की गई है। उसके लिये टेलेक्स आ चुका है और वह भेज दिया जायेगा।

श्रीमती रामरति देवी--

क्या माननीया मंत्री जी यह बतायेगी कि वहाँ पर एक भी हरिजन छात्र को 78-79 की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

सूचना के आधार पर तो सबको मिली है। अगर माननीय सदस्या स्पेसिफिक केस के बारे में बतायेंगी, तो मैं बता दूंगी।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा है कि एक भी हरिजन छात्र को वहाँ पर छात्रवृत्ति नहीं मिली है, क्या इस तरह की कोई शिकायत आपके पास है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री श्रीराम द्विवेदा (जिला फैजाबाद)--

मैं जानना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति देने का नियम क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष --

इस समय यह सवाल नहीं है।

श्रीमती राम रति देवी--

क्या माननीया मंत्री जी को यह जानकारी है कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का एक बाबू जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव 22 हजार रुपया निकाल कर फरार हो गया है और अभी तक उनका पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके लिये आप अलग से सूचना दीजिये। इससे यह नहीं उठता है।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वित्त विभाग से पिछड़ी जाति तथा हरिजन छात्रों के लिये कितनी धनराशि दी गई थी ? उसका उपयोग हो गया है या नहीं ? दूसरी बात यह है कि चूंकि उस समय कालेजों और डिग्री कालेजों में हड़ताल चल रही थी और समय से छात्रों के प्रार्थना पत्र नहीं आ सके थे, तो क्या अब जिन छात्रों ने अपनेप्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

पिछड़ी जातियों का प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मंत्री जी के उत्तर से संदर्भित मेरी निश्चित जानकारी है कि साकेत डिग्री कालेज, फैजाबाद और आर0 बी0 एम0 कालेज, गोसाईगंज के किसी हरिजन, विमुक्त एवं जनजाति के छात्र को 31 मार्च तक कोई भी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। मेरी इस सूचना को सही मान कर क्या माननीया मंत्री इन सारी बातों की जाँच कराकर सही तथ्यों को इसी सत्र में सदन के पटल पर रखने की कोशिश करेंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती---

मान्यवर, मैंने बताया कि 31 मार्च तक एक हजार आवेदन पत्र और आये जिसके लिए 8 लाख रु0 की धनराशि माँगी गई है फैजाबाद में, उसका अभी वितरण हो जायेगा, इसकी व्यवस्था इस हफ्ते हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने सूचना दी कि 31 मार्च तक किसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली है इसकी जाँच आप करायेंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती---

शिकायत होगी, तो जरूर कराई जायेगी आप मुझे दे दीजियेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

फैजाबाद जिले के पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये स्वीकृत अनुदान

*1---श्री श्रीराम द्विवेदी तथा श्रीमती रामरति देवी---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में वर्ष 1978-79 का पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए दिए जाने वाले अनुदान की धनराशि जिला हरिजन अधिकारी ने वापस कर दी है ? यदि हाँ, तो इस अनुदान के वापस करने का आधार क्या था ?

श्रीमती चन्द्रावती---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न नत्थी (ग) में है इसका जवाव आपने दिया है सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, आप पढ़ेंगे या वह पढ़ेंगी।

श्रीमती चन्द्रावती—

सूचना एकत्रित की जा रही है, यह जो जबाव है इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसके लिए थोड़ा ऐसी बात है कि जो 19 लाख रु0 उसमें खर्च हो गया और 40 लाख रु0 वापस किया गया है यह बात गलत है, इसमें विशेष रूप से शीघ्र ही कार्यवाही करूंगी।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसको स्थगित किये देता हूं।

वाराणसी जिले के ग्राम हृदय पट्टी के हरिजनों को भूमि का आवंटन

*2—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम हृदय पट्टी, पोस्ट भदोही, जनपद वाराणसी के भूमिहीन हरिजनों को जो भूमि 1976–77 में आवंटित की गयी थी, अभी तक बहुत से लोगों को नापी नहीं गयी है? यदि हाँ, तो जाँच कराकर लेखपाल के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

जी नहीं। ग्राम हृदय पट्टी के सभी 67 आवंटियों को वर्ष 1976 में आवंटित भूमि का सीमांकन कराकर उन्हें कब्जा भी दे दिया गया है किन्तु उनमें से 3 आवंटियों ने भूमि ऊंची नीची होने के कारण स्वयं कब्जा दखल नहीं किया है।

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों का प्रोबेशन अधिकारियों के पद हेतु साक्षात्कार

*3—श्री देव कुमार (जिला बाँदा) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि 16 मई, 1977 को हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के विभागीय कर्मचारियों का निदेशालय स्तर पर प्रोबेशन अधिकारियों के चार पदों की पूर्ति हेतु साक्षात्कार विभाग द्वारा किया गया था? यदि हाँ, तो साक्षात्कार में भाग लेने वाले किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति उक्त पद पर की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हाँ।

जी नहीं।

शासन की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण नियुक्तियाँ नहीं की गई।

[दिनांक 25 मई, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जौनपुर जिले के नायब तहसीलदार श्री प्रभूनारायण सिंह द्वारा बनवाया गया मकान एवं उनके विरुद्ध शिकायती-पत्र

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद जौनपुर की तहसील सदर में नियुक्त नायब तहसीलदार (श्री प्रभू नारायण सिंह) विगत 10 वर्षों से एक ही जिले में नियुक्त हैं? क्या यह भी सही है कि इन्होंने अवैधानिक तरीके से धन अर्जित कर मियाँपुर, जनपद जौनपुर में लगभग एक लाख रुपए की कोठी बनवा ली है जिसके बारे में शिकायतें वर्ष 1977–78 में शासन को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इनको स्थानान्तरित कर इसकी जाँच सतकता विभाग द्वारा करा कर दंडित करेगी?

श्री नारायण सिंह—

श्री प्रभु नारायण सिंह, स्थानापन्न नायब तहसीलदार, पिछले 10 वर्षों से एक ही जिले में तैनात नहीं है।

यह सही नहीं है कि इन्होंने मियाँपुर, जनपद जौनपुर में लगभग एक लाख रुपये के लागत की कोठी बनवा ली है ? इस संबंध में वर्ष 1977–78 में शासन को शिकायतें प्राप्त हुई थीं परन्तु जाँचोपरान्त वे सही नहीं पाई गई। अस्तु शिकायत के आधार पर उनका स्थानान्तरण एवं सतर्कता विभाग से जाँच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

श्री रामआसरे वर्मा––

माननीय मंत्री जी तो उसको बिलकुल निगल गये । मैं जानना चाहता हूं कि गत 10 वर्षों में यह जो सम्बंधित नायब तहसीलदार है किन-किन जिलों में रहे, उनके खिलाफ शिकायतें किन-किन लोगों की ओर से की गईं, जाँच किसने की और जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्री नारायण सिंह––

फैजाबाद से गाजीपुर तबादला हुआ था 8–6–71 को और 20–6–74 तक यह गाजीपुर रहे । गाजीपुर से फिर उनका तबादला जौनपुर 5–6–74 को हुआ और उस वक्त से आज तक वहीं हैं । दूसरे, इनके खिलाफ शिकायत वहाँ के जिलाधीश श्री एस0 के0 अहमद ने की थी कि मैंने इसके खिलाफ एक एडवर्स एन्ट्री दी है, जिसके कारण इन्होंने 125 आदमियों के हस्ताक्षर कराकर मेरे खिलाफ यह मामला बनाने की फिक्र में हैं। तीसरा, इन्होंने कहा है कि एक लाख रुपये की लागत का एक मकान इन्होंने अपनी माता जी के नाम से बना रखा है, जबकि इनके कोई ऐसे आय के साधन नहीं हैं और यह कहा कि यह आदमी ईमानदार नहीं है और यह भी कहा कि इनका तबादला हो जाना चाहिए । इसके बाद 27–10–78 को इनके तबादले के आदेश कर दिये गये, लेकिन फिर 7–12–78 को उस आदेश को मंत्री जी के आदेश से स्थगित कर दिया गया । अब इसके मामले की जाँच कराने का जो प्रश्न है, इसमें एस0 डी0 एम0 (सदर) और असिस्टेंट लैण्ड रिफार्म कमिश्नर दोनों ने जाँच करके रिपोर्ट दी है कि पी0 डब्लू0 डी0 से हमने मकान के लागत के बारे में जाँच कराई है, जिसके अनुसार मकान की कीमत 45,528 रुपये ही आती है, इसकी जमीन इनके पिता ने बहुत पहले ली हुई थी, इनकी माता के पास साढ़े 19 एकड़ जमीन है, मौजा चकबढ़वा, जिला आजमगढ़ में और उस जमीन पर एक एकड़ से 500 रु0 का लाभ एक साल में हो सकता है, इस प्रकार से यह 45 हजार रुपया ज्यादा नहीं है । साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इनकी माता ने रामलाल लक्ष्मीकृष्ण के यहाँ से रुपया 8,455 अपने जेवर बेचकर जौनपुर में वसूल पाया, और उससे इन्होंने यह मकान बना लिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा––

मंत्री जी ने खाने-पीने से लेकर रहने तक का इस प्रकार हिसाब बताया मानो उसने जो कुछ पैदा किया, उसमें से कुछ खर्चा ही नहीं किया और जो शिकायत जिलाधीश की ओर से बताई, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर सतर्कता विभाग द्वारा जाँच कराने में मंत्री जी को क्या एतराज है ?

श्री नारायण सिंह––

जो जाँच कराई गयी, उसमें मुझे आभास होता है कि इतने सीरियस चार्जेज नहीं हैं, फिर भी आप कहते हैं, तो मैं किसी दूसरे अधिकारी से जांच करा सकता हूं । तबादले की कह दिया है वह हो जाना चाहिए । यदि चार्जेज के बारे में मुझे थोड़ी भी तसल्ली हो जाय, तो मैं सतर्कता विभाग से करा सकता हूं ।

बाराबंकी जिले के बदोसराय के चकबन्दी कार्यालय में अग्निकांड

*2––श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)––

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय स्थित ग्राम बदोसराय, तहसील फतेहपुर में दिनाँक

12 अप्रैल, 1976 को अग्निकाण्ड हो गया था ? यदि हाँ, तो उसमें कितने गाँवों के अभिलेख जल कर नष्ट हो गए थे और उनके पुनर्गठन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री नारायण सिंह—

जी हाँ। कुल 31 ग्रामों के अभिलेख जलकर नष्ट हो गये थे जिनके पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर है।

श्री अशर्फी लाल यादव—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन 31 गाँवों के अभिलेख जलकर राख हो गये, उनके नाम क्या है ? और कौन-कौन अभिलेख जले हैं ?

श्री नारायण सिंह—

1 ग्राम नामीपुर, सिरौली, परगना बदोसराय, तहसील फतेहपुर, आकार पत्र 23, भाग 1, 2, 3, 2—ग्राम मल्लापुर परगना रामनगर, तहसील, फतेहपुर, आकार पत्र 4, आकार पत्र 5, 5 ख के उद्धरण, ग्राम व सूचना पत्रावली नक्शा तरमीमी, विनमय अनुपात, आकार पत्र 21 मय नक्शा, 3—ग्राम निजामुद्दीन पुर, परगना रामनगर, तहसील फतेहपुर, आकार पत्र 4 सजरा विनमय अनुपाल पत्रावली धारा 9 तय शुदा व चकबन्दी अधिकारी स्तर की, 4—ग्राम तनादन पुर, परगना बदोसराय, तहसील फतेहपुर, ग्राम पत्रावली धारा 9 जिसका विवरण च0अ0 को तैयार था जिल्द बन्दोबस्त सन् 1332।

श्री उपाध्यक्ष—

सिर्फ ग्राम का नाम पढ़ दें।

श्री नारायण सिंह—

ग्राम किन्तर, ग्राम साहतीमऊ, ग्राम डखवामाझी, ग्राम उमरा, ग्राम बरहा, ग्राम चचरी, ग्राम मड़ना, ग्राम खुरदा, ग्राम चौहानपुर, ग्राम लहेड़रा, ग्राम बहलोलपुर।

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत है।

श्री अशर्फीलाल यादव—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जो अभिलेख जल गये है, उनके पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर है। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने गाँवों के जले अभिलेखों का पुनर्गठन हो चुका है, और जिन गाँवों के अभिलेख तैयार हो चुके हैं, उनको कब तक चकबन्दी अधिकारी को भेज दिया जायगा ताकि काम आगे बढ़ सके ?

श्री नारायण सिंह—

एक गाँव का भी तैयार नहीं हुआ है। माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि हर गाँव के कागज बन रहे हैं। पहली स्टेज पर तैयार हो चुका, फाइनल स्टेज पर तमाम कागजात तैयार हो रहे है। कम से कम 3 या चार महीने में तैयार हो जायेंगे।

श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)—

मैं जानना चाहता हूं कि अभी उन अभिलेखों को तैयार करने में कितना समय लगेगा; क्या निश्चित समय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह बता चुके हैं। तीन चार महीने लगेंगे।

श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गाँवों के अभिलेख जल गये हैं, कितने गाँव ऐसे है जहाँ चक कट चुके थे, परचा 23 बट गया था और क्या यह भी सही है कि कुछ शिकायतें हुई थीं, जिसके कारण अधिकारियों ने रेकार्ड को जला दिया ?

श्री उपाध्यक्ष---

क्या कोई इस तरह की शिकायत मिली है कि अधिकारियों की साजिश से कागजात जलाये गये ?

श्री नारायण सिंह---

मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि इस आग लगने की पूरी तहकीकात की गयी और यही पाया गया कि अचानक आग लगी है, यह इरादे से नहीं लगी है। जितने कागजात जले, 25 मई को यह आदेश दे दिया था कि पुनः निर्माण करवा लें।

श्री हरिचरण यादव---

कितने ऐसे गाँव हैं जहाँ चक कट चुके थे, परचा 23 बंट चुका था, यह मंत्री जी को जानकारी है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह बड़ा तफसील का सवाल है। इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिल बाराबंकी)---

मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शीघ्र ही उन गाँवों में चकबन्दी हो जाय, एक्स्ट्रा स्टाफ लगा कर तुरन्त कागजात तैयार करवा कर पुनः चकबन्दी करवायेंगे ?

श्री नारायण सिंह---

मैंने आज ही आदेश दे दिया है कि एक्स्ट्रा स्टाफ लगा कर जल्दी कार्य पूरा करवाएं।

आपात काल के राजनीतिक बन्दियों को पेंशन दिये जाने की मांग

*3---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित) तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर (अनुपस्थित)---

क्या साँस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आपातकाल में मीसा तथा डिसिर में निरुद्ध राजनीतिक बन्दियों को पेंशन देने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो योजना की पूर्ण रुप-रेखा क्या है ? तथा योजना कब तक निश्चित हो जायेगी ?

राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)---

जी नहीं।

*4---श्री जसवीर सिंह---

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

कर्मचारियों को जनसंख्या के आधार पर अनुमन्य आवासीय भत्ता

*5---श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एक लाख की जनसंख्या से अधिक नगरों में आवासीय भत्ता दिया जाता है किन्तु उनसे कम जनसंख्या वाले नगरों में नहीं दिया जाता है इसका आधार और कारण क्या है ?

श्री मधुकर दिघे---

उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति 1964-65 की संस्तुतियों के आधार पर मकान किराया भत्ता दिया जाना स्वीकार किया गया है। उस समिति की संस्तुतियों के आधार पर ही एक लाख से नीचे की जनसंख्या वाले नगरों में मकान किराया भत्ता अनुमन्य नहीं किया गया है तथा नीति में कोई परिवर्तन भी नहीं किया गया है।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

15 वर्ष पूर्व 1964 में वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिश के आधार पर मकान किराया भत्ता दिया जाना स्वीकार किया गया था। इन 15 वर्षों में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ दोनों बदल गयी हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी पुनः मकान किराया भत्ता देने पर विचार करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

अभी इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है।

श्री श्यामधर मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन नगरों में जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, पर जिनकी आबादी 1 लाख से कम है क्या उनमें विचार कर रहे हैं कि वहाँ पर कम से कम आवासीय भत्ता दिया जाय, क्योंकि आवास के अभाव में वे अधिकारी और कर्मचारी जिनका वहाँ पर रहना जरूरी है, नहीं रह रहे हैं ?

श्री मधुकर दिघे—

जैसा मैंने अभी उत्तर दिया, मैं अभी इस पर विचार नहीं कर रहा हूं। माननीय श्याम धर मिश्र ने सुना होगा कि मैंने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है कि वेतन आयोग बैठा दिया है। अब इस प्रश्न पर विचार करूंगा कि क्या यह प्रश्न भी उनको दे दिया जाय।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एक लाख से नीचे की जनसंख्या वाले नगरों में मकान किराया भत्ता अनुमन्य नहीं किया गया है, तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि एक लाख से नीचे की जनसंख्या वाले नगरों में मकान किराये सम्बन्धी शासन की नीति क्या है ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, इसमें नीति का कोई प्रश्न नहीं है। यह बात सही है कि अब जो परिस्थिति है, उसमें एक लाख से नीचे की जनसंख्या वाले नगरों में भी आवासीय कठिनाई हो गयी है। अतः इस प्रश्न को भी वेतन आयोग को सुपुर्द कर दिया जायगा।

श्री रामदत्त जोशी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन नगरों में 1 लाख से कम जनसंख्या होने के कारण आवासीय भत्ता नहीं दिया जा सकता, उनमें आवासीय व्यवस्था कराने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मधुकर दिघे—

मैं पुनः माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अगर वे बजट की ओर ध्यान देंगे, तो उन्हें यह पता चलेगा कि इस दफा हमारी नीति के अनुसार जिन अधिकारियों को विकेन्द्रीकरण की नीति के अन्तर्गत हम दूसरी जगह ले जायेंगे, उनके लिए आवासीय प्रबन्ध करने का प्राविधान किया गया है और हमारी नीति है कि छोटे कर्मचारियों को पहले सस्ते किराये के मकान दें और जिनके पास बिल्कुल ही मकान नहीं है, उनके लिए एक स्कीम चल रही है और वह भी कार्यान्वित हो रही है। आवासीय समस्या के सम्बन्ध में जो शासन की नीति है उसके अनुरूप कार्य हो रहा है।

*6—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[7वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रतिभा सिनेमा, लखनऊ का लाइसेन्स

*7—श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन परिस्थितियों में प्रतिभा छविगृह, लखनऊ को कितने दिनों तक लाइसेंस नहीं दिया गया और अब क्या वह परिस्थितियाँ दूर

ो गयीं, जिससे उसको लाइसेंस प्रदान कर दिया गया ? क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखन की कृपा करेगी ?

श्री मधुकर दिघे—

"प्रतिभा" सिनेमा, लखनऊ के भवन में उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (कक) (1) एवं उनके अधीन बनी नियमावली के नियम 7 (2) (क) का उल्लंघन होने के कारण सितम्बर, 1974 से 23 जुलाई, 1978 तक चलचित्र प्रदर्शन का लाइसेंस नहीं दिया गया।

यह दृष्टिगत रखते हुये कि सिनेमा स्वामी द्वारा सिनेमागृह का निर्माण नियमानुसार अनुमति प्राप्ति करके अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार करवाया गया था तथा भवन के ध्वनि नियंत्रित होने के कारण सचिवालय के सामान्य काय में बाधा उत्पन्न न होगी, मानवीय दृष्टिकोण मनोरंजन कर की आय में बढ़ोत्तरी, सभी राजनैतिक दलों के कतिपय विधायकों, संसद सदस्यों तथा विधान सभा की याचिका समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुये, शासन द्वारा उपर्युक्त विधिक प्राविधानों को शिथिल करके इस सिनेमा को चलचित्र प्रदर्शन का लाइसेंस दे दिया गया है।

इससे संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 664 पर)

बस्ती जिले के ग्राम कड़जा के भूतपूर्व प्रधान द्वारा कथित गबन

*8—श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या उप मुख्य मंत्री एवं राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बस्ती जनपद तहसील बाँसी के ग्राम कड़जा के भूतपूर्व प्रधान के ऊपर मु0 रु0 6733.00 के लगभग गबन का आरोप जाँच द्वारा सिद्ध हो चुका है और उक्त धन को मालगुजारी के रूप में वसूली करने हेतु तत्कालीन जिलाधिकारी, बस्ती ने अपने बाँसी दौरे के समय जून, 1978 से सितम्बर, 1978 के बीच कभी फाइल पर आदेश दिये थे ? यदि हाँ, तो उक्त वसूली की क्या कार्यवाही अभी तक की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जी नहीं।

कोई गबन नहीं हुआ और न ही जिलाधिकारी ने मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूली करने हेतु कोई आदेश दिये।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या माननीय उप मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अगर कोई गबन नहीं हुआ, तो किन आरोपों में परगनाधिकारी, बाँसी द्वारा भूतपूर्व प्रधान, मोहर राय के विरुद्ध थाना खेसरहा में आई0 पी0 सी0 की धारा 409 के अन्तर्गत एफ0 आई0 आर0 सितम्बर-अक्टूबर, 1978 में दर्ज करायी गयी तथा फरवरी, 1979 में तहसीलदार, बाँसी ने कार्यवाहक प्रधान गाँव सभा कड़ंजा श्री बेचई को निर्देशित किया है कि लगभग 4,000 रुपये पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत भूतपूर्व प्रधान मोहर राय से मुकदमा दर्ज कराकर वसूल किया जाये ?

श्री नारायण सिंह—

इस गाँव में साढ़े 4 बीघा जमीन गाँव समाज की थी, जो स्कूल तथा मन्दिर आदि के लिये छोड़ी हुई थी। प्रधान ने उस जमीन को 5 साल के लिये बटायी पर दे दिया और 150 रुपये प्रति बीघा उनसे तय किया। इस हिसाब से 3 साल का करीब 2,025 रुपये बैठता था, तो यह 3 वर्ष की रकम आनी थी। बाद में इन प्रधान के खिलाफ नो कान्फी-डेन्स आया और यह हटा दिये गये। वह पैसा इनके पास रहा। यह कहते थे कि हमने

ईंटा आदि समान में लगा दिया, तो मुकदमा 409 का कायम हो गया है। यह भी आदेश हो गया है कि रुपया वसूल किया जाये।

*9--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[5वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

मैनपुरी कोषागार के कर्मचारी का स्थायीकरण

*10--श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

1978 के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्नकर्त्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब न्याय विभाग ने सितम्बर, 1977 में यह परामर्श दे दिया कि राजस्व परिषद् के आदेश संख्या 13958/12-319-ए/73, दिनाँक 23 मई, 1975 के द्वारा मैनपुरी कोषागार में एक कर्मचारी का लिपिक के पद पर दिनाँक 1 अप्रैल, 1964 से किये गये गलत स्थायीकरण को निरस्त किया जा सकता है तो एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी राजस्व परिषद् के उक्त गलत स्थायीकरण आदेश को निरस्त न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मधुकर दिघे--

राजस्व परिषद् के प्रश्नगत स्थायीकरण आदेश के अब तक निरस्त न किये जाने का कारण यह है कि परिषद् ने मामले में शासन से विधिक परामर्श प्राप्त करके सूचित करने का अनुरोध किया था, जिससे उन्हें अवगत करा दिया गया है, जिसके आधार पर उनके द्वारा विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की संस्तुतियों के कार्यान्वयन की मांग

*11--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1979 के दूसरे शुक्रवार दिनाँक 23 मार्च, 1979 के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न (1) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और उसकी मुख्य संस्तुतियों को लागू करने का प्रश्न कब से शासन के विचाराधीन है और कब तक निश्चित रूप से इसके बारे में शासन द्वारा अन्तिम निर्णय ले लिया जायगा ? क्या सरकार आयोग की उस रिपोर्ट को स्वीकार करके आरक्षण की मौजूदा नीति में संशोधन करके सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को विशेष अवसर प्रदान करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और उसकी मुख्य संस्तुतियों को लागू करने का प्रश्न दिनाँक 24-3-1978 से शासन के विचाराधीन है। अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। उक्त रिपोर्ट तथा संस्तुतियों पर निर्णय लेने के पश्चात् ही आरक्षण की मौजूदा नीति में संशोधन करके सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को विशेष अवसर देने के संबंध में विचार करना सम्भव होगा।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या माननीया मंत्री जी बतलायेंगी कि सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, उस आयोग की मुख्य संस्तुतियाँ इसके ऊपर है कि किस तरह से इस वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, उसके लिये क्या-क्या होना चाहिये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

वह क्या-क्या हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

यह संस्तुति करना कि प्रस्तर (1) में वर्णित वर्ग को उनके पिछड़ेपन को देखते हुये क्या-क्या सुविधाएं शिक्षा के प्रसार हेतु शासन द्वारा की जानी चाहिये। (2) यह संस्तुति करना कि इस वर्ग का सामाजिक स्तर ऊंचा करना तथा समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिये शासन द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप कौन-कौन से मुद्दे जाँच के हैं यह पढ़ रही हैं, जो संस्तुतियाँ हों, कृपया उन्हें बता दीजिये।

श्रीमती चन्द्रावती—

उसकी सूचना इस समय नहीं है।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

रिपोर्ट मंत्री जी को मिल गयी है, अब कहती हैं कि सूचना नहीं है, इसलिये आप इसे स्थगित कर दें।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

इस प्रदेश के 16 लाख हरिजनों के प्रति अन्याय हो रहा है और कोई उत्तर ऐसा नहीं आ रहा है, जिससे पता चल सके कि सरकार हरिजनों के हितों के प्रति जागरूक है। मेरा निवेदन है कि आप ऐसा कोई निर्देश मंत्री जी को दें जिससे कि इन 16 लाख हरिजनों के जन जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जाये।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्नों का महत्व होता है। पूरे प्रदेश की अहम समस्या है। माननीय मंत्री जी को निर्देश दें, बल्कि शासन को निर्देश दें, मंत्री जी न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, इस संबंध में आप स्पष्ट निर्देश दें, एक वर्ष से ज्यादा हो गया है, अभी तक उनके पास सूचना नहीं है। कब तक इन संस्तुतियों को लागू करने का शासन निर्णय लेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, जो ये प्रश्न हैं, कम से कम जो सूची है, उसका तो उत्तर आपके पास होना चाहिये।

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, सूचना मांगी है।

श्री उपाध्यक्ष—

तो यही उत्तर दे दें कि सूचना मांगी गयी है।

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, सूचना इकट्ठी की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इस प्रश्न को स्थगित किये देता हूं।

माननीय मंत्री जी अगले सप्ताह में इसका उत्तर आप शनिवार तक दे दें।

वाराणसी जिले के सहायक बिक्री-कर अधिकारी, श्री शिव शंकर चौबे द्वारा फार्म की कथित बिक्री

*12—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि वाराणसी जनपद के सहायक प्रशासकीय बिक्री-कर आयुक्त (श्री शिव शंकर चौबे) ने फार्म 31, वर्ष 1978 में हजारों की संख्या में अवैध रूप से बिक्री

करने, के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता ने वर्ष 1978 में एक शिकायती पत्र सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही हुई और यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

जी हां। प्रश्नकर्त्ता का इस विषय पर एक शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ था। प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच करायी गयी तथा आरोप निराधार पाया गया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि शिकायती पत्र कब प्राप्त हुआ, जांच किसने की, रिपोर्ट कब आई और क्या प्रश्नकर्त्ता, शिकायतकर्त्ता से जांच के दौरान पूछताछ जांचकर्त्ता ने की है ?

श्री मधुकर दिघे—

माननीय शम्भूनाथ चौधरी का एक शिकायती पत्र दिनांक 13-9-78 को प्राप्त हुआ था जिसकी आयुक्त, बिक्री-कर ने जांच की। इसमें जांच के बाद यह पाया गया कि 2800 फार्म नहीं बल्कि 3948 फार्म कम पाये गये। मान्यवर, जिस अधिकारी पर आरोप लगाया गया था, वह सही नहीं था। जो अधिकारी वहां नियुक्त हुए, उन्होंने स्वयं ही शिकायत की कि तब इनकी फार्म आमद हुई और जब इनको बांटा गया, तब उनके रिकार्ड में नहीं दिया गया, इसलिये उनके खिलाफ जो शिकायत थी, वह सही नहीं पाई गयी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय मंत्री ने खुद उस शिकायती पत्र को भूतपूर्व जो बिक्री-कर मंत्री थे माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी, उनके पास लिखा था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस शिकायती पत्र में जांच के पश्चात् कौन अधिकारी दोषी पाये गये ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जब जांच की गयी और यह पाया गया कि जिनके खिलाफ शिकायत की गयी थी, वह सही नहीं पायी गयी। यह बात सही है कि मैंने खुद ही उस प्रार्थना-पत्र पर संस्तुति की थी, माननीय भूतपूर्व संस्थागत वित्त मंत्री को, जांच के बाद यह पाया गया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गयी थी, वह दोषी नहीं है, बल्कि उस अधिकारी ने स्वयं ही शासन के संज्ञान में लाया कि इन फार्मों के बारे में गड़बड़ी हुई है और जो दोषी अधिकारी है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इस माननीय सदन के एक माननीय सदस्य श्री शम्भू नाथ चौधरी ने एक पत्र लिखा, शिकायत की, उसकी जांच हुई, क्या जांच के संबंध में इनको कोई मौका दिया गया जांच के समय कि अपनी बातों को सिद्ध कर सकें, इनको कोई नोटिस आयुक्त ने दिया ?

श्री मधुकर दिघे—

इसकी कोई आवश्यकता समझी नहीं गयी क्योंकि जांच के कारण सही थे, बल्कि शिकायत में यह पाया गया कि 3948 फार्म गायब हैं, शिकायत से पहले ही जिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की थी, उसने जांच शुरू कर दी थी।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

जिस आफिसर ने पहले अपनी रिपोर्ट दी थी कि फार्म कम है, तो क्या उस रिपोर्ट पर भी कोई जांच डिपार्टमेंट ने की थी ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, यह प्रश्न तो तब उठता है जब किसी जांच में जो शिकायत में तथ्य है, उसके विपरीत तथ्य निकले, जो रिपोर्ट की गई और जो जांच हुई, उसमें कहीं मतभेद नहीं है।

इनका कहना है कि फार्म में घोटाला है, तो उक्त अधिकारी ने स्वयं ही जांच शुरू कर दी, तो इस संबंध में यह प्रश्न ही नहीं है। इसलिये इस में जो दोषी पाये जायेंगे, उन पर कार्यवाही की जायेगी।

मेरठ में व्यापारियों के बिक्री-कर सम्मेलन में बिक्री-कर की समाप्ति की कथित घोषणा

*13—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या वित्त मन्त्री बतायेंगे कि क्या उन्होंने जनवरी, 1979 में मेरठ में व्यापारियों द्वारा आयोजित बिक्री-कर सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि सरकार 31 मार्च, 1979 तक प्रदेश में बिक्री-कर समाप्त कर देगी? यदि हाँ, तो मन्त्री जी की घोषणा का आधार क्या था तथा सरकार इसे पूरा करने की दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री मधुकर दिघे—

ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

*14—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

भिलावां, लखनऊ जिले के खसरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*15—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भिलावाँ वार्ड, आलमबाग, लखनऊ के खसरा नम्बर 692/778, 316 व 317, जिसका कुल रकबा 7 बीघा है, श्रीमती शान्ति त्रिपाठी, पुत्री श्री रुद्र प्रसाद त्रिपाठी व चेतराम (हरिजन) पुत्र श्री हरी राम के नाम (संयुक्त खाता) आवंटित है? यदि हाँ, तो किसके आदेश से व किस आधार पर है। क्या इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता ने दिनाँक 3/4 अप्रैल, 1979 को एक शिकायती पत्र सचिव, राजस्व विभाग, जिला अधिकारी, लखनऊ तथा तहसीलदार, सदर, लखनऊ को प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो उस शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*16–20—

[नियम 47(1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]

शाहजहांपुर की गांव सभा, खुदागंज में ब्लाक के नाम भूमि का आबंटन एवं प्रधान द्वारा किया गया भूमि का पट्टा

*21—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहाँपुर की गाँव सभा, खुदागंज (टाउन एरिया वर्तमान) में चकबन्दी आपरेशन के समय ब्लाक हेतु गाटा संख्या 45 रकबा 5–68 एकड़ खुदागंज बन्जर भूमि सुरक्षित की गयी इस भूमि पर दखल भी ब्लाक को करा दिया गया तो क्या उक्त भूमि अभी सुरक्षित हैं? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*22—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि गाटा संख्या 45 रकबा 5–68 एकड़ खुदागंज बाँगर में उस समय के प्रधान गाँव सभा खुदागंज (वर्तमान टाउन एरिया) ने कई पट्टे

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

किए ? क्या सभी पट्टे नियमित हैं और प्रधान को इस भूमि में कोई पट्टे करने का अधिकार था ? अगर नहीं, तो प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और नहीं की गयीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*23—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

*24—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

1—श्री मानपाल सिंह—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

2—श्री जयशंकर पाण्डेय—

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सुल्तानपुर जिले के तहसीलदार श्री ०आर० पी० शर्मा एवं फैजाबाद जिले के तहसीलदार श्री धर्मेन्द्र नारायण वर्मा के स्थानान्तरण की मांग

3—श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल में कितने तहसीलदार ऐसे हैं जो एक ही तहसील पर विगत तीन वर्ष से ऊपर कार्य कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री नारायण सिंह—

ऐसे दो तहसीलदार हैं। एक तहसीलदार श्री आर0 पी0 शर्मा ने सदर तहसील, जनपद सुल्तानपुर में 1 मार्च, 1979 को 3 वर्ष की अवधि पूरी की है। इनका स्थानान्तरण विचाराधीन है। दूसरे तहसीलदार श्री धर्मेन्द्र नरायन वर्मा फैजाबाद सदर तहसील में 27 दिसम्बर, 1974 से कार्यरत हैं। इस जनपद में विशिष्ट अतिथियों का आगमन काफी रहता है, अतः वहाँ एक व्यवहार कुशल तथा अनुभवी तहसीलदार को रखना आवश्यक है और इस कारण इनका अभी तक स्थानान्तरण नहीं हुआ है ।

चकबन्दी अधिकारी, सदर, जिला फैजाबाद के न्यायालय में लम्बित मुकदमा

4—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद सदर चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में 31 मार्च, 1979 को कितने मुकदमें विचाराधीन थे ? और उनमें सबसे पुराना मुकदमा कौन है ? मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायण सिंह—

दिनाँक 31 मार्च, 1979 को जनपद फैजाबाद के चकबन्दी अधिकारी, सदर के न्यायालय में कुल 1,251 मुकदमें विचाराधीन थे। इनमें से वाद संख्या 7387—राम गुलाम बनाम राम सूरत, ग्राम सराय घनेठी, परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर सबसे पुरान है ।

उपरोक्त मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु एक अतिरिक्त चकबन्दी अधिकारी की नियुक्ति मार्च, 1979 के बाद से कर दी गयी है ।

5—श्री जयशंकर पाण्डेय—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद जिले के ग्राम तेदुवा माफी के मुहालतोरों को माफी भूमि की आय

6—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के अन्तर्गत ग्राम तेदुवा माफी के मुहालतोरों माफी खाता–1 सरकारी भूमि नम्बर 188 रकबा 15 बीघा पर खेती होती है ? यदि हाँ, तो यह कृषि कार्य किसके माध्यम से होता है इसकी आमदनी वर्ष 1978 के दोनों फसलों की क्या थी और कहाँ जमा की गयी है ? यदि नहीं, तो यह भूमि किसके उपयोग में है और क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिले के ग्राम पगार की बंजर भूमि का आवंटन

7—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के कानूनगो सर्किल रामकोला के ग्राम पगार में 1974 में कितनी कृषि योग्य बन्जर भूमि थी तथा 1974 से 1977 तक कितनी-कितनी भूमि कब किन-किन लोगों को आवंटित की गयी तथा अब कितनी भूमि गाँव सभा के पास अवशेष है ?

श्री नारायग सिंह—

वर्ष 1974 में ग्राम पगार में 71 एकड़ कृषि योग्य बंजर भूमि उपलब्ध थी तथा सम्पूर्ण भूमि का आवंटन 30–12–75 को 133 व्यक्तियों को कर दिया गया । अब ग्राम सभा के पास आवंटन योग्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है । भूमि के आवंटियों की सूची वाँछित अन्य सूचना सहित, मेरे कक्ष में देखी जा सकती है ।

देवरिया जिले के ग्राम पगार की सीलिंग भूमि का आवंटन

8—श्री श्रीनारायण—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम पगार में 1975 से 1977 तक कितनी सीलिंग की भूमि ग्राम सभा में निहित हुई ? तथा उसमें से कितनी-कितनी भूमि कब-कब किन-किन लोगों को आवंटित की गयी ? क्या भूमि आवंटन में घोटाले के खिलाफ शासन को 1977 में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण सिंह—

वर्ष 1975 से 1977 तक उक्त ग्राम पगार में सीलिंग से कुल 53–85 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई । इसमें आवंटन के लिए पैमाइश करते समय 0–51 एकड़ क्षेत्रफल कम मिला तथा 0–83 क्षेत्रफल अकृषिक व बाग पाया गया । शेष 52–51 एकड़ का आवंटन 105 व्यक्तियों को किया गया । आवंटित भूमि ग्राम सभा में निहित नहीं थी । अकृषिक 0–17 एकड़ भूमि गाँव सभा में निहित हो चुकी है । उक्त 105 आवंटियों की सूची, अन्य विवरण सहित, मेरे कक्ष में देखी जा सकती है । जहाँ तक भूमि आवंटन में घोटाले के खिलाफ आवेदन-पत्र का सम्बन्ध है वर्ष 1977 में श्री रामाश्रय यादव, सदस्य, गाँव सभा, पगार द्वारा भूमि आवंटन में घोटाले एवं अनियमितता सम्बन्धी आवेदन-पत्र दिया गया था । जाँच में आवेदन-पत्र में लगाए गए आरोप असत्य एवं निराधार पाए गए । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा के कतिपय ग्रामों में अग्निकाण्ड

9—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा के ग्राम खड्डा कलाँ, कडुअबना, चमरडीहा, मठिया बुजुर्ग, धनगड़ा और धनौजी में मार्च/अप्रैल, 1979 को अग्नि दुर्घटना में किन-किन लोगों के घर जले तथा उनमें से किनको-किनको क्या-क्या सहायता दी गयी और क्या उक्त अग्नि-काण्ड में ग्राम खड्डा कलाँ के एक नवजवान 10 बालकों के जान की रक्षा में जल मरा ? यदि हाँ, तो उसकी विधवा पत्नी तथा नवजात शिशु के सहायतार्थ सरकार उसे विशेष सहायता देने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कितना और कब तक ?

श्री नारायण सिंह—

देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा के ग्राम खड्डा कलाँ, कडुअबना चमरडीहा, मठिया बुजुर्ग, धनगड़ा और धनौजी में मार्च/अप्रैल, 79 की अग्नि-काण्ड में क्रमश: 32, 38, 65, 46, 27 तथा 34 परिवारों के घर जले थे। जिनमें क्रमश: 1250, 1950, 2750, 1450, 450 एवं 1500 रुपए की अहेतुक सहायता दी गयी है। उक्त गाँवों में अग्निकाण्डों की तिथि प्रभावित परिवारों के मुखियों के नाम तथा उनको दी गयी सहायता का वितरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। ग्राम खड्डा कलाँ के अग्नि-काण्ड में बालकों की जान बचाने में एक नवजवान की मृत्यु हो गयी थी। मृतक के आश्रितों को तत्काल 100 रु0 अहेतुक सहायता के रूप में दिया गया तथा उसके आश्रितों को 1,000 रु0 की अतिरिक्त धनराशि की अहेतुक सहायता के रूप में दिए जाने पर जिला स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ जिले के नायब तहसीलदारों का वेतन एवं संग्रह अमीनों का कार्यभार ग्रहण

10—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ जनपद में ऐसे कितने नायब तहसीलदार हैं, जिन्हें पिछले 3 माह से उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है तथा ऐसे संग्रह अमीन हैं जिन्हें पद का कार्यभार ग्रहण कर लेने के उपरान्त उनसे कार्यभार ले लिया गया है ? क्या उक्त विषय पर कोई प्रार्थना-पत्र मन्त्री जी को जनवरी फरवरी तथा 24/26 मार्च, 1979 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर मण्डल के वृद्धों, विधवाओं तथा विकलांगों पर व्यय की गयी नराशि

11—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर मण्डल में पिछले दो वर्षों में असहाय वृद्धों, विधवाओं तथा विकलाँगों पर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से कुल कितना धन व्यय किया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती—

सूचना एकत्र की जा रही है।

12—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

13—श्री जयशंकर पाण्डेय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

---

†छापी नहीं गयी।

फैजाबाद तहसील में पुनः चकबन्दी किये जाने की मांग

14—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में फैजाबाद तहसील की पुनः चकबन्दी कराने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो फैजाबाद तहसील में पुनः चकबन्दी कब तक कराई जायेगी ?

श्री नारायण सिंह—

जी हाँ। छठी पंचवर्षीय योजना काल अथवा सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में इस तहसील की पुनःचकबन्दी कराए जाने की सम्भावना है।

बलिया जिले के संग्रह अमीन, श्री दीना नाथ तिवारी के विरुद्ध श्री बीर बहादुर सिंह द्वारा दायर किया गया इस्तगासा

15—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बीर बहादुर सिंह पुत्र स्व0 बब्बन सिंह का कोई वसूली में ज्यादती सम्बन्धी पत्र जिलाधिकारी, बलिया को प्राप्त हुआ है जिसमे दिनाँक 21 फरवरी, 1979 को उन्हें अवमुक्त करने की शिकायत है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण सिंह—

जी हाँ।

श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा संग्रह कर्मचारियों के माध्यम से की जा रही वसूली की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किए जाने के कारण दिनाँक 21-2-79 को क्षेत्रीय अमीन द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा 332/225 के अन्तर्गत थाना बैरिया में रिपोर्ट अंकित कराई गयी थी, जिसकी पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। इसके अतिरिक्त श्री बीर बहादुर सिंह द्वारा भी अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट षष्टम, बलिया के न्यायालय में श्री दीनानाथ तिवारी' संग्रह अमीन एवं श्री रामाश्रय तिवारी चपरासी के विरुद्ध इस्तगासा वाद भी दायर किया गया है। उल्लिखित स्थिति में श्री वीर बहादुर सिंह के दिनाँक 22 फरवरी, 1979 के प्रार्थना-पत्र पर, मामला पुलिस विवेचना एवं न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, अलग से कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया।

16—श्री रवीन्द्र सिंह—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

श्री शिव दत्त दीक्षित, सहायक परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

17—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश सहायक परीक्षक, लखनऊ (श्री शिवदत्त दीक्षित) के विरुद्ध तृतीय व चतुर्थ श्रणी कर्मचारी संघ द्वारा कोई शिकायती-पत्र 1978 व 1979 में अभद्र व्यवहार आदि से सम्बन्धित सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो सहायक परीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मधुकर दिघे—

श्री शिवदत्त दीक्षित, सहायक परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, लखनऊ के विरुद्ध 1978-79 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश का कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने आदि से सम्बन्धित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। इस शिकायती-पत्र पर परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश से जाँच कराई गयी। उनकी जाँच आख्या प्राप्त हो गयी है जो शासन के विचाराधीन है। इस पर निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

श्री बृज किशोर शर्मा, सहायक परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, आगरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

18—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय निधि लेखा सहायक परीक्षक आगरा मण्डल, आगरा में कार्यरत अधिकारी (श्री बृजकिशोर शर्मा) मण्डल कार्यालय के समस्त वृतों के कर्मचारियों के साथ अशोभनीय अश्लील एवं अभद्र व्यवहार आदि करने के आतंक से सम्बन्धित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा कोई शिकायती-पत्र जनवरी, 1979 में सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

जनवरी, 1979 में श्री बृज किशोर शर्मा, सहायक परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, आगरा मण्डल, आगरा के विरुद्ध अश्लील एवं अभद्र व्यवहार आदि से सम्बन्धित कोई भी शिकायती-पत्र तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघों द्वारा शासन में प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन एक अहस्ताक्षरित पत्र कर्मचारियों की ओर से शासन में प्राप्त हुआ है जिस पर विभागाध्यक्ष से आख्या माँगी गयी है। आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष ने सूचित किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से उनको एक शिकायती-पत्र उपर्युक्त अहस्ताक्षरित शिकायती-पत्र का सन्दर्भ देते हुए प्राप्त हुआ है।

परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, इलाहाबाद, श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय के विरुद्ध शिकायती-पत्र

19—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश अधिकारी (श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय) परीक्षक (इलाहाबाद) के विरुद्ध सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा व्यक्तिगत घरेलू कार्य लेना, इन्कार करने पर कार्य से प्रथक करने व अश्लील शब्दों का प्रयोग करना व अनुचित व्यवहार करना आदि से सम्बन्धित कोई शिकायती पत्र 1978–79 में सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा की गयी शिकायतों की जाँच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री मधुकर दिघे—

जी हाँ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा चपरासियों से व्यक्तिगत घरेलू कार्य आदि लेने से सम्बन्धित शिकायती-पत्र वर्ष 1978–79 में शासन में प्राप्त हुआ था। परन्तु ऐसे ही कुछ पत्र पहले भी प्राप्त हुए थे जिन पर उच्चस्तरीय जाँच कराई गई थी तथा शिकायतें सही नहीं पाई गई थीं। अतएव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा इस सम्बन्ध में प्रेषित शिकायती-पत्र पर परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा का स्थानान्तरण करके पुनः जाँच कराया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, इलाहाबाद के कर्मचारी, श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव का बकाया वेतन

20—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष (श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव) का माह दिसम्बर, 1978 से अब तक का वेतन भुगतान न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी का वेतन भुगतान कराने का शीघ्र आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव को आदेश दिनाँक 10 नवम्बर, 1978 द्वारा जनपद फैजाबाद में तैनात किया गया था। श्री श्रीवास्तव ने अपने कार्य-भार ग्रहण करने की सूचना सीधे मुख्यालय, इलाहाबाद को प्रेषित की, जो उनके उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी। उनके उच्चाधिकारी द्वारा प्रेषित कर्मचारी की साप्ताहिक उपस्थिति एवं कार्य-विवरण में श्री श्रीवास्तव को या तो अनुपस्थित दर्शाया गया अथवा उपस्थित होने पर राजकीय कार्य को न किया जाना बतलाया गया। इसके अतिरिक्त छोटी-छोटी अवधियों के लिए अनेक बार अवकाश लेने तथा अवकाश उपरान्त कार्यभार ग्रहण न करने की सूचना प्राप्त न होने के कारण उनकी उपस्थिति एवं अवकाश का प्रकरण विवादास्पद हो गया है जिसकी वजह से उन्हें दिसम्बर, 1978 से फरवरी, 1979 तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। ऐसा इस कारण से किया गया जिससे कि राजकीय कोष से कोई अनियमित भुगतान न होने पाए।

मामले की जाँच की जा रही है जिसके पूरे हो जाने के बाद श्री श्रीवास्तव के बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

21—श्री जगन्नाथ सिंह परमार—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

22—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

23—श्री मुहम्मद रफी खां—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

24—श्री श्रीराम द्विवेदी—

[38(2) के ताराँकित प्रश्न संख्या 1 की पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

25—श्री मुहम्मद रफी खां—

[6ठे सोमवार में अताराँकित प्रश्न संख्या 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

इलाहाबाद जिले के ग्राम कुकुढ़ा व चकदौलत का इन्द्राज

26—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) तथा श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में तहसील हंडिया के अन्तर्गत ग्राम कुकुढ़ा में आराजी नं0 524 व 118 क्रमशः ग्राम कुकुढ़ा व चकदौलत में मौके पर आबादी है परन्तु कागजात में बाग दर्ज है? यदि हाँ, तो क्या सरकार मौके की स्थिति के अनुसार इंद्राज दर्ज करने की कृपा करेगी?

श्री नारायण सिंह—

जिलाधिकारी, इलाहाबाद से सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर जिले के ग्राम धर्मपुर की चकबन्दी

27—श्री राम लखन (जिला इटावा)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के तहसील मंगलपुर के ग्राम धर्मपुर में 1975 में हुई चकबन्दी में उस गांव के सभी कृषकों को नये चकों पर कब्जा दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण सिंह—

जनपद कानपुर तहसील डेरापुर के ग्राम धर्मपुर में सभी कृषकों को नये चकों पर कब्जा अभी नहीं दिया गया है। इस गांव की चकबन्दी योजना का पुष्टीकरण 1976-77 में हो गया था। अप्रैल, 1977 में जब सीमांकन का कार्य शुरू हुआ तो स्वरूप नारायण गुप्त के दरख्वास्त पर तत्कालीन राजस्व मन्त्री ने जांच का आदेश दिया तथा सीमांकन कार्य

जांच पूरी होने तक स्थगित कर दिया। जांच पूरी होने के बाद चकबन्दी आयुक्त द्वारा नवम्बर, 1978 में इस गांव का सीमांकन एवं कब्जा परिवर्तन का कार्य यथाशीघ्र कराने के आदेश बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को दे दिये गये। जून, 1979 के अन्त तक इस गांव में सीमांकन कार्य पूरा होने तथा सभी कृषकों को नये चकों पर कब्जा दिलाये जाने की आशा है।

विधान सभाई क्षेत्र, बलिया के अन्तर्गत दी गयी गृह अहेतुक सहायता

28—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद के विधान सभाई क्षेत्र बलिया में वर्ष 1978-79 में 15 जनवरी, सन् 1979 तक किन-किन गांवों में कितनी-कितनी राशि की गृह अहेतुक सहायता दी गयी है? और उसका वितरण कब तक हो जायगा?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

29—श्री राम नरायन वर्मा—

[6ठे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बस्ती जिले के लेखपाल, श्री शम्भू लाल का जी० पी० फण्ड

30—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बस्ती जिले के तहसील नौगढ़ सुपरवाइजर कानूनगो क्षेत्र चिल्हिया के अन्तर्गत हलका नं० 40 के श्री शम्भू लाल, भूतपूर्व लेखपाल जो सन् 1971 में रिटयार हुए हैं जिनका एकाउन्ट नं० ए०वी०यू० 51429 है, उनका अब तक जी०पी०एफ० का फाइनल एकाउन्ट नहीं बना जिसके कारण उनकी जमा धनराशि का दूना का नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र इनके जी०पी०एफ० का फाइनल एकाउन्ट बनवाने की कृपा करेगी?

श्री नारायण सिंह—

श्री शम्भू लाल, सेवा निवृत्त लेखपाल के जी०पी०एफ० के अन्तिम भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा फरवरी, 1977 में भेजा जा चुका है। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से भुगतान का प्राधिकार-पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

31—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

बहराइच जिले के काश्तकारों की जोतबही

32—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शासन को यह जानकारी है कि बहराइच जिले में कई हजार काश्तकारों को जोतबही नहीं दी गयी है जिससे गल्ला बेचने व अन्य कार्यों में विशेष कठिनाई उत्पन्न हो गई है? यदि हां, तो परगनावार किन-किन गांवों में जोत-बही देना अभी तक शेष रह गया है और शेष सभी काश्तकारों को कब तक जोतबही उपलब्ध करा दी जायगी?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बाराबंकी जिले की कतिपय तहसीलों में पुनः चकबन्दी किये जाने की मांग

33—श्री अशर्फी लाल यादव तथा श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद की तहसीलें फतेहपुर, नवाबगंज तथा राम सनही घाट के उन गांवों का नाम जिनमें पहले चकबन्दी हुई थी, पुनः

चकबन्दी हेतु प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उनका धारा 4 चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकाशन कब तक हो जायगा ?

श्री नारायण सिंह—

शासन ने प्रदेश की केवल उन 25 तहसीलों में पुनः चकबन्दी कराने का निर्णय लिया है, जहां प्रथम बार चकबन्दी वर्ष 1954 तथा 1959 के बीच हुई थी। बाराबंकी जिले की केवल राम सनेही घाट तहसील ही इस कोटि में आती है और इस तहसील में पुनः चकबन्दी छठी पंच वर्षीय योजनाकाल अथवा सातवीं पंच वर्षीय योजना काल में कराये जाने की सम्भावना है।

आगरा जिले के फिरोजाबाद में बाढ़ पीड़ितों को बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

34—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या जनपद आगरा और फिरोजाबाद में गत वर्ष जमुना नदी की बाढ़ से नष्ट और बरबाद ग्रामीणों को मकान बनाने, कृषि कार्यों व कृषि उपकरणों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं से सरकार की घोषणा के अनुरूप क्या 4 प्रतिशत की दर पर ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने काश्तकारों को दिया गया और किन-किन बैंकों से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

गत वर्ष सभी बाढ़ पीड़ितों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से 4 प्रतिशत सूद की दर से ऋण दिये जाने की कोई घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गयी। जो बाढ़ पीड़ित भिन्नात्मक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत आते हैं, 4 प्रतिशत व्याज दर पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने के हकदार हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार नवम्बर, 1978 तक आगरा (जिसमें फिरोजाबाद भी सम्मिलित है) जनपद में कुल 744 बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को रु0 18,44,450 का ऋण व्यवसायिक बैंकों तथा भूमि विकास बैंक द्वारा दिया गया।

तहसील मलिहाबाद के प्रधानों को परगनाधिकारी द्वारा दी गयी कथित नोटिस

35—श्री मोहन लाल (जिला हमीरपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 जनवरी, 1979 को जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के अन्तर्गत जनता द्वारा चुने गये दो सौ ग्राम प्रधानों को सम्बन्धित परगनाधिकारी (श्रीमती चन्द्रा निगम) ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा व धन का दुरुपयोग किये जाने की नोटिसें पृथक-पृथक सभी को विधिवत परीक्षण कराके दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी भूमि व धनराशि है ?

श्री नारायण सिंह—

जी नहीं।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, सीतापुर के सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

36—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में हरिजन कल्याण अधिकारी, सीतापुर हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय के एक सुपरवाइजर के भ्रष्ट आचरण, गबन तथा कार्य अकर्मण्यता के सम्बन्ध में सरकार को कोई पत्र लिखा था ? यदि हाँ, तो उस सुपरवाइजर के आचरण के सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

हरिजन कल्याण अधिकारी, सीतापुर ने नहीं बल्कि जिलाधिकारी, सीतापुर ने निदेशक को जिला हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय, सीतापर के एक सुपरवाइजर के भ्रष्ट आचरण,

गबन एवं अकर्मण्यता के संबंध में पत्र भेजा था । उस सुपरवाइजर का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा मामले की जाँच कराई जा रही है ।

37—श्री राम नरायन वर्मा—

[5वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

फतेहपुर जिले के ग्राम चांदपुर की चकबन्दी

38—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील के अन्तर्गत चाँदपुर गाँव की चकबन्दी भूमि विवाद सम्बन्धी 95 प्रतिशत मुकदमे निपटाने के बाद तथा भूमि मूल्याँकन किये जाने के पश्चात वर्ष 75 से अब तक चकबन्दी का कार्य स्थापित करके यथावत स्थिति में पड़ा हुआ है? यदि हाँ, तो कब तक चकबन्दी का कार्य इस गाँव के प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री नारायण सिंह—

जी नहीं । जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के ग्राम चाँदपुर में चकबन्दी का कार्य वर्ष 1972 में प्रारम्भ किया गया था तथा जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत अभिलेखों का प्रकाशन दिनाँक 20 अप्रैल, 1974 को हुआ । अभिलेखों में कुल 5,258 त्रुटियाँ पाई गई जिनमें से 1,849 त्रुटियों का निराकरण सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा चकबन्दी अधिकारी द्वारा अब तक किया जा चुका है और 3,409 त्रुटियों का निराकरण अभी शेष है । अवशेष को शीघ्र ही निस्तारित करके चकबन्दी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश चकबन्दी आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी को जा ी कर दिये गये हैं।

सीतापुर जिले में हरिजनों को गृह निर्माण हेतु दी गयी सहायता

39—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सीतापुर के वर्ष 1974–75, 1976–77, 1977–78 में कितने हरिजन परिवारों को गृह निर्माण हेतु आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की गयी ? यह धनराशि कितनी-कितनी है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

सीतापुर जनपद में वर्ष 1974–75 में 96 व 1976–77 में 20 हरिजन परिवारों को गृह निर्माण हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गयी तथा 1977–78 में किसी हरिजन परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दी गयी । आर्थिक सहायता की धनराशि वर्ष 1974–75 में 1000 रु0 प्रति परिवार के हिसाब से 96,000 रु0 तथा वर्ष 1976–77 में 2000 रु0 प्रति परिवार के हिसाब से 40,000 रु0 है ।

सीतापुर जिले में हरिजनों को रोजगार हेतु दिया गया अनुदान तथा ऋण

40—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में वर्ष 1977–78, 1978–79 में कितने हरिजन परिवारों को रोजगार के लिये ऋण के रूप में तथा अनुदान के रूप में सरकार द्वारा धन वितरित किया गया ? जिन परिवारों को धन वितरित किया गया है उनकी कितनी संख्या है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

प्राप्त सूचना के अनुसार सीतापर जनपद में वर्ष 1977–78 में 19 हरिजन परिवारों को अनुदान एवं 12 परिवारों को ऋण तथा वर्ष 1978–79 में 10 परिवारों को अनुदान एवं 13 परिवारों को ऋण के रूप में शासन द्वारा धन वितरित किया गया। इस प्रकार कुल 53 परिवारों को धन वितरित किया गया ।

बस्ती जिले के इन्दिरा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाल विद्या मंदिर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

41--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिला अन्तर्गत कप्तानगंज स्थित इन्दिरा गाँधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अन्दर चल रहे तुलसी बाल विद्या मंदिर को शासन द्वारा दिये सहायता या अनुदान के घोटाले के सम्बन्ध में, प्रश्नकर्त्ता ने दिनाँक 20 मार्च, 1979 को जो पत्र मन्त्री जी को दिया था उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अप्रैल सन् 1972 के 31 मार्च, 1979 तक उपरोक्त तुलसी बाल विद्या मन्दिर को समाज कल्याण विभाग द्वारा किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि की सहायता दी गई है ? क्या शासन उसका स्पेशल आडिट कराने का कष्ट करेगा ?

श्रीमती चन्द्रावती--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अभियंत्रण विभाग के डिवीजनल एकाउन्टेन्ट्स को राज्य सरकार के नियंत्रण में लिये जाने की मांग और प्रभागीय लेखाकारों का भत्ता

42--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद--

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अभियन्त्रण विभागों में कार्यरत शासन के व्यय पर प्रशिक्षित डिवीजनल एकाउन्टेन्ट्स संवर्ग जिनके वेतन इत्यादि का पूरा व्यय शासन वहन करता है, को शासन महालेखाकार से पृथक करके अपने वित्त विभाग के अधीन करने पर विचार कर रहा है ? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय हो जायेगा ? तथा ग्रहण करने की रूपरेखा क्या है ?

श्री मधुकर दिघे--

जी हाँ, अभियंत्रण विभागों में कार्यरत डिवीजनल एकाउन्टेंट्स संवर्ग को महालेखाकार के प्रशासकीय नियंत्रण से पथक करके राज्य सरकार अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रही है । इस संवर्ग पर प्रशासकीय नियंत्रण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/ महालेखाकार का है। अत: इस संवर्ग को राज्य सरकार के अधीन लेने के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विचार/सहमति माँगी गई है तथा उनका उत्तर आने पर शासन द्वारा समयक विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

43--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद--

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक प्रभागीय लेखाकारों के संवर्ग को, राज्य सरकार का वित्त विभाग अपने नियंत्रण में नहीं लेता उनको केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले सभी भत्ते व सुविधायें न देने का कारण क्या है ?

श्री मधुकर दिघे--

प्रभागीय लेखाकारों का संवर्ग एक अराजपत्रित अधीनस्थ स्तर का सेवा संवर्ग है । प्रभागीय लेखाकार मुख्य रूप से अभियंत्रण विभागों में अधीक्षण अभियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं तथा इन्हें राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मचारियों की भांति वे भत्ते आदि दिए जाते है जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य होते हैं । अतः इनके केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले सभी भत्ते व सुविधायें देने का प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी, देवरिया के कार्यालय की पत्रावलियों की चोरी

44--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अभी हाल में जनपद देवरिया के जिलाधिकारी के न्यायालय से लगभग 70 विभिन्न पत्रावलियाँ गायब हो गयी हैं ? यदि हाँ, तो इस घटना क तथ्य क्या हैं ?

श्री नारायण सिंह—

जी हाँ।

जिलाधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी, देवरिया के न्यायालय की अलमारी का ताला टूटा हुआ पाया गया। मिलान करने पर अब तक 75 पंजीकृत मिसलें गायब होना पाया गया है। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई है और जाँच जारी है। न्यायालय के संबंधित लिपिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है और उनके स्थान पर दूसरे लिपिक की नियुक्ति कर दी गई है।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर का बाढ़ मृतकों सम्बन्धी कथित पत्र

45—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि सन् 1978 की बाढ़ से जनपद शाहजहाँपुर में बाढ़ मृतकों की संख्या जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 5-8-78 के अनुसार 625 दिखाई है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायण सिंह—

जी नहीं। जिलाधिकारी का इस सम्बन्ध का कोई पत्र दिनांक 5-8-78 का नहीं है। प्रश्न के शेष अंश का प्रश्न ही नहीं उठता।

46—श्री राम आसरे वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बदायूं जनपद में गंगा की बाढ़ से कतिपय ग्रामों को क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मान्यवर, जनपद के कादर चौक विकास खंड में गत वर्ष गंगा में बाढ़ से इस क्षेत्र के कई ग्राम नरीका नगला, तिलिया नगला, पभेरी नगला आदि पूर्णतया नष्ट हो गये एवं इन तीन ग्रामों के लगभग 600 परिवार के मकान तथा खेती योग्य भूमि पूर्णतया नष्ट हो गयी। मैंने गत वर्ष शासन को लिखा था कि गंगा से बाढ़ को रोकने के लिये कछला से तलारपुर तक बाँध का निर्माण कराया जाय एवं स्रोत नदी को चौड़ा किया जाय तथा तत्काल गंगा के बहाव को रोकने के लिये, जिससे कि अन्य ग्रामों को क्षति न पहुंचे, पक्की ठोकरें लगायी जायं अन्यथा जुलाई अगस्त माह के दिनों में गंगा के फाट के बढ़ने से देवी सिंह का नगला एवं नंगी सिंह के नगले पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं और ग्राम भदरौल को क्षति पहुंचने का पूरा खतरा है।

अतएव मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री से निवेदन करता हूं कि तत्काल तिलिया कादर चौक विकास खण्ड में तिलिया नगला से गंजी सिंह नगला के मध्य पक्की ठोकरें (पंचम) लगवाने की व्यवस्था करें, जिससे कि आगामी वर्ष के दिनों में ग्रामों को नष्ट होने से बचा सके।

गोण्डा जिले में आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिये बंधे बनाने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञानमें लाना

*श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)—

मान्यवर, गोण्डा जिला हर वर्ष बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित होता रहा है। पिछले वर्ष की बाढ़ की विभीषिका ने तो दो तिहाई गोण्डा को ही डुबो दिया था, जिसमें सरकार ने काफी राहत कार्य भी किये हैं। किन्तु खेद है कि आगे आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बिन्दू लाल]

अब वर्षा का समय आ रहा है। आज से ही पिछली बाढ़ की कल्पना कर जनता भय त्रस्त है ।

अत: आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि विकास खंड बलरामपुर में मिर्जापुर लिफ्ट कैनाल तथा पुराने बंधों की मरम्मत कराई जाय तथा विकास खंड, गैसड़ी ग्राम लइव्डवा के समीप दुबहा नाला पर बाँध, विकास खंड, पचपेड़वा के मानपुर ग्राम के पास भाभर नाले पर बाँध बनाया जाय तथा ग्राम गैडहवा, ललभरिया, मधवा नगर तथा खादर विकास खंड, पचपेड़वा आदि को ऊंचा कर बाढ़ से बचाने की व्यवस्था की जाय। साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि कई बार कहने के बाद भी जिला प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है जिससे जनता में घोर निराशा है। शासन से अनुरोध है कि अविलम्ब कार्यवाही हेतु उन्हें आदेश दें ।

सुल्तानपुर के थाना पीपरपुर क्षेत्र में डकैतियों की भरमार तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं।

जनपद सुल्तानपुर थाना पीपरपुर के अन्तर्गत चोरी, डकैती, राहजनी व हत्याओं का साम्राज्य कायम हो चुका है। थाना पीरपुर के थानाध्यक्ष डकैतों को संरक्षण दिये हुए हैं और कोई डकैती की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। डेढ़ दो माह पूर्व ग्राम छेड़ा के निवासी श्री मोहन, राम भरोसे, सतई, सुखदेव, राम अजोर के यहाँ एक ही रात को भीषण डाका पड़ा, थाना में डकैती की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, दिनाँक 27/28 अप्रैल, 1979 को मेरे गाँव परसोइया में श्री रमा शंकर गुप्ता के यहाँ भीषण डाका पड़ा था पचासों हजार रुपया का जेवरात तथा नकद संपत्ति लूटी गयी, थाना में कोई रिपोर्ट डकैती की नहीं दर्ज की गयी। इलाहाबाद-फैजाबाद रोड पर ग्राम छेड़ा व त्रिसुंडी के बीच पुलिया पर लालेन्द्र बहादुर सिंह छोटे लाल सिंह पर बदमाशों ने प्राण घातक हमला किया और वे मरणासन्न अवस्था में जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर में भर्ती हुये। थाना में राहजनी की भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। इसी प्रकार अनेकों घटनायें हैं ।

अत: आपके माध्यम से शासन से माँग करता हूं कि तत्काल थाना पीपरपुर के थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण जनपद से सुदूर कर दिया जावे तथा सम्पूर्ण घटनाओं की जाँच सी0 आई0 डी0 से अथवा कम से कम डी0 आई0 जी0 से करायी जाय।

फैजाबाद जनपद में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हालत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

फैजाबाद जनपद में कानून एवं व्यवस्था की हालत अत्यन्त खराब हो जाने के कारण जन जीवन असुरक्षित हो गया है। बीकापुर थाने में वासुदेवपुर गाँव में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गयी। गत छः महीने में शहर फैजाबाद में छुरेबाजी, राहजनी व अन्य अपराध चरम सीमा पर हैं। यहाँ तक कि सड़कों पर लोग चलने में भी भयभीत हैं। असामाजिक तत्वों का सर्वत्र बोलबाला है। इसे नियंत्रित कर पाने में जिला प्रशासन पूर्णतया अक्षम सिद्ध हुआ है । अकबरपुर में तनाव की स्थिति है। साकेत महाविद्यालय अनिश्चितकाल के लिये बन्द कर दिया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फैजाबाद जनपद में कानून एवं व्यवस्था की बिगडती हालत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना 585

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर नियम 301 के तहत मुख्य मंत्री से वक्तव्य की मैं माँग करता हूं।

मिर्जापुर जिले के ग्राम रायपुर में छेदी नामक मुसलमान की हत्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में थाना पन्नूगंज (मिर्जापुर) ग्राम रायपुर के निवासी श्री छेदी नामक मुसलमान की हत्या का गंभीर मामला जो पन्नूगंज थाना द्वारा कराई गई है, को लाना चाहता हूं।

दिनांक 9-5-79 को लगभग 6.30 बजे प्रातः ग्राम रायपुर थाना पन्नूगंज में श्री छेदी मुसलमान की हत्या श्री राम जी मिश्र थानाध्यक्ष पन्नूगंज की साजिश से की गई है। श्री छेदी ने श्रीरामजी मिश्र थानाध्यक्ष के विरुद्ध दो तीन माह पूर्व एक इस्तगासादायर किया था। जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि थानाध्यक्ष हमारी हत्या के प्रयास में हैं। दिनांक 8-5-79 को थानाध्यक्ष सायंकाल रायपुर पुलिस चौकी पर पहुंचे और शराब मुर्गा का उपयोग कर वहीं रात्रि में रुके व छेदी के हत्या करने का पूरा षडयंत्र रचा गया श्री मिश्र ने इसके पूर्व श्री छेदी को कई बार धमकी दिये कि अगर इस्तगासा वापस नहीं करोगे तो तुम्हारी हत्या करा दी जायेगी। दिनांक 9-5-79 को प्रातः गड़ासा, बल्लम से लैस लोग जब छेदी की हत्या कर रहे थे, तो छेदी की लड़की दौड़कर पुलिस चौकी रायपुर गई और अपने पिता की जान बचाये जाने की गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की तो उपस्थित थानाध्यक्ष ने कड़क कर कहा कि अभी तुम्हारे पिता मरे तो नहीं हैं। चलो मैं चाय पीकर आ रहा हूं। घटनास्थल बिल्कुल रायपुर चौकी के सन्निकट है जब मुलिजमान मारकर भाग गये तो उसके बाद पुलिस पहुंची। उस समय छेदी जिन्दा था और अस्पताल ले जाने की प्रार्थना कर रहा था। परन्तु थानेदार ने जानबूझ कर दो तीन सवारी बसों व ट्रकों को छोड़ दिये और एकदम मरने की स्थिति में चौकी गाड़ी से उसको रामगढ़ अस्पताल ले जाया जा रहा था तो छेदी ने बस में चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि थानेदार ने मेरी हत्या करा दी और अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी।

जब इस घटना के संबंध में थाना पन्नूगंज में रपट लिखाई गयी तो उसमें थानाध्यक्ष का भी नाम दिया गया लेकिन थानाध्यक्ष ने रपट लिखाने वाले व्यक्ति को धमकी दी कि अगर हमारा नाम दोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। रपट लिखाने वाले व्यक्ति को धमका देकर थानाध्यक्ष ने कहा कि जिस जिस का नाम बताये हो, सबका नाम लिखा लिया गया है, तुम घर जाओ इसी प्रकार थानाध्यक्ष पन्नूगंज मिर्जापुर के अन्तर्गत 10-12 डकैतियाँ हुई जिसमें थानाध्यक्ष का हाथ है। इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी गयी थी लेकिन आज तक इसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अस्तु अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये शासन से माँग करता हूं कि थानाध्यक्ष को तुरन्त निलम्बित किया जाय एवं उनके ऊपर धारा 302 आई० पी० सी० का मुकदमा दायर कर गिरफ्तार कराया जाय ताकि सामान्य जनता में व्याप्त भय असंतोष समाप्त हो सके।

[× × ×]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट---[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

उसके अलावा जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। कृपया आप बैठ जायं।

बाराबंकी जनपद के ग्राम बोहरपुर में सामतोंद्वारा हरिजन, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसख्यकों पर अत्याचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, मैं माननीय सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान बाराबंकी जनपद के थाना असंदरा में नियुक्त थानाध्यक्ष तथा स्थानीय सामन्तों की साजिश से क्षेत्र के गरीब हरिजन, पिछड़ी जाति तथा अल्प संख्यकों पर किये जा रहे बर्बर अत्याचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे लोगों में आतंक तथा असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो गया है।

मान्यवर, उक्त थाना क्षेत्र का गाँव बोहरपुर हरिजन, पिछड़े एवं अल्प संख्यकों का है। जहाँ के लोग आजादी के 31 वर्षों बाद आज भी पुलिस और सामन्तों की मिली भगत की चक्की में पिस रहे हैं, जहाँ अब भी गरीबों से बेगार कराई जाती है उनके मकानों, भूमि व बाग पर जबरदस्ती सामंत कब्जा करके स्थानीय अधिकारियों पर अपने आतंक का प्रभाव डाल कर उनके हक से बेदखल करा लिया जाता है। सभी असुरक्षित हैं, कई लोगों को गाँव से निकाल दिया गया है जिसके ज्वलन्त उदाहरण उसी गाँव के बाबा दीन और गोपी यादव हैं। जो आज भी अपना घर-बार छोड़कर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। गरीबों के सैकड़ों पेड़ गर कानूनी ढंग से सामंतों ने कटवा लिये हैं। कुमारी रामरती को अपनी माँ की जायदाद हड़पने वालों का विरोध करने पर ओम प्रकाश नामक सामंत ने दिन दहाड़े उसके साथ बलात्कार किया। जिसके विरुद्ध गाँव के 72 व्यक्तियों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को दिनाँक 27-3-79 को प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी जाँच में अधिक री, दरोगा सभी सामन्तों से प्रभावित हो गये हैं। गरीबों को सही बयान न देने के लिए धमकाया जा रहा है। दरोगा ने गाँव के लोगों से ऐलानिया कह दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति ओम प्रकाश आदि के खिलाफ बयान देगा तो उन्हें बन्द कर दूंगा। सामन्तों का कारिन्दा सनेही दिनाँक 23-5-79 को रात को गाँव के रहमत हलवाई का घर लूट रहा था। लोगों के दौड़ने पर लूटा सामान छोड़कर भाग गया। घटना की सूचना थाने में करने पर दरोगा ने लोगों को बुरी तरह डरा धमका कर थाने से भाग जाने को कहा और सनेही के विरुद्ध शिकायत करने पर किसी न किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जिससे लोगों में भय, आतंक व असुरक्षा की भावना व्याप्त है, मान्यवर।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए पुलिस एवं सामन्तों की साजिश से पीड़ित प्रताड़ित जनता को उचित न्याय दिलाने तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने की माँग करता हूं।

बांदा जनपद में बढ़ते हुए अपराधों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बांदा जनपद में बढ़ रहे अपराधों की ओर आकर्षित कर रहा हूं।

मान्यवर, पूरा जनपद आज बढ़ते हुए अपराधों से चिंतित है।कोई भी व्यक्ति आज अपने आपको सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। पूरा जनपद कत्लों, डकैतियों, राहजनियों से जल रहा है। दिनाँक 1/2-5-79 की रात जनपद के थाना कलिंजर के अन्तर्गत नाम सिढ़ौती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में बदमाशों द्वारा राइफलों एवं बन्दूकों की नोक पर चार कृषक परिवारों (महा प्रसाद आदि) के घरों में औरतों और पुरुषों पर मिट्टी का तेल डाल-डाल कर निर्मम पिटाई करते हुए लाखों रुपये की संपत्ति लूट कर ले गये। चारों परिवारों के घायल आज भी अस्पताल में पड़े सिसक रहे हैं। इस सनसनीखेज डकैती से क्षेत्र में भय का वातावरण व्याप्त है। डकैतों को पहचान लेने एवं थाने में नामजद रिपोर्ट करने के बावजूद भी पुलिस निष्क्रिय है और पुलिस ने डकैतों से साँठगाँठ कर लिया है। जिससे डकैत आज भी गाँव में आजाद घूम रहे हैं। और गाँव में आतंक उत्पन्न कर दिया है। उपरोक्त चारों परिवारों के व्यक्तियों को जान का खतरा उत्पन्न है। सुना जाता है कि स्थानीय पुलिस जो डकैतों से साँठ-गाँठ कर चुकी है, डकैती की धारा को बदल कर 452, 325, 323 आई0 पी0 सी0 में तरमीम कर रही है। इसी थाने के अन्तर्गत में 16/17 अप्रैल, 1979 को रात में ग्राम महुरछा में 3–4 परिवारों में भीषण डकैती पड़ी और सुरक्षा में दौड़ने वाले एक व्यक्ति को गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी है। इन दोनों डकैतियों में अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त दोनों डाकों के बदमाशों को अविलम्ब जेल भेजा जाय और इनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाय तथा स्थानीय पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ताकि भविष्य में बदमाशों से साँठ-गाँठ न कर सकें।

कानपुर की तहसील भोगनीपुर के तहसीलदार श्री शैलजीत सिंह द्वारा हरिजनों व गरीबों को बांटे जाने वाले अनुदान में गड़बड़ी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मौजी लाल कुरील (जिला कानपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनपद कानपुर के अन्तर्गत तहसील भोगनीपुर के तहसीलदार श्री शैलजीत सिंह राठौर द्वारा हरिजनों व गरीबों को बाँटा जा रहा अनुदान की धनराशि को सरकारी कागजों में फर्जी दिखाकर हड़पने के संबंध में आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री से कहना चाहते हैं कि इस तहसील में अतिवृष्टि के कारण जिन लोगों के मकान गिर गये थे। उनको 100 रु0 व 200 रु0 के हिसाब से बाँटा जा रहा अनुदान में किसी ग्राम के लेखपाल के माध्यम से 25 प्रतिशत व 50 प्रतिशत के हिसाब से कटौती करके रुपया दिया जा रहा है। उसमें भी यदि किसी गाँव में 10 मकान गिरे थे तो 50 मकान गिरे दिखा कर रुपया बाँटा जा रहा है जिसमें अधिकांश लोगों को रुपया बिल्कुल नहीं दिया गया और कह दिया जाता है कि तुम्हारा मकान नहीं गिरा है। इस प्रकार इस तहसील में लगभग तीन लाख रुपया बाँटा जा चुका है जिसका वास्तविक उपयोग नहीं हुआ। अब भी ऐसे सैकड़ों गाँव बाकी हैं जहाँ पर मकान गिरे है और रुपया नहीं बाँटा गया, क्योंकि वहाँ के लेखपाल द्वारा कोई कटौती नहीं हो पायी। उदाहरण स्वरूप ग्राम मोहम्मदपुर केलई, देवीपुर, मुरादपुर, केलरीपुर बड़ौत सोरा डाँडा जुनेदपुर आदि गाँव में नहीं बाँटा गया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो भी सामान सरकार द्वारा जैसे कम्बल, धोती, चावल, आटा, मिट्टी का तेल बाँटने के लिये आया था, बाँटा नहीं गया। आज भी तहसील कार्यालय में रखा हुआ है। अनुदान बाँटने में तहसीलदार स्वयं ग्राम तुर्कीमऊ गये, वहाँ पर हरिजनों को दिया गया रुपया तुरन्त वापस छीन लिया गया, नहीं दिया गया। इस प्रकार इस क्षेत्र का गरीब व हरिजन तहसील में अनशन पर बैठने की तैयारी में है। स्थिति भयंकर है। सारा क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता ऐसे भ्रष्ट तहसीलदार को हटाने की माँग कर रहा है ताकि इसके काले कारनामों की जाँच निष्पक्ष की जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के कतिपय गेहूं क्रय केन्द्रों पर बोरों का अभाव तथा एफ० सी० आई० क्रय केन्द्रों पर भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र फतेहपुर सीकरी, जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी, डाबर, रसूलपुर, दूरा, गमारा, कोरई, अछनेरा, सनकता, अकोला और किरावली के क्रय केन्द्रों पर किसानों को अपना गेहूं समर्थित रेट पर बेचने मे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एफ० सी० आई० के क्रय केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य किसी भी केन्द्र पर बोरियां उपलब्ध नहीं हैं, वे क्रय केन्द्र बंद पड़े हैं। इसलिये सभी किसानों को एफ० सी० आई० के क्रय केन्द्रों पर दूरा, अछनेरा और किरावली गेहूं बेचने के लिये जाना पड़ रहा है। वहां पर भारी धांधले-बाजी और अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इन केन्द्र पर गुण्डों और व्यापारियों का ही गेहूं खरीदा जा रहा है, खाली बोरे सीधे उनको दे दिये जाते हैं और रात्रि में उनके ट्रकों से बिना छने गेहूं पल्लेदारों से उतरावा लिये जाते हैं जिसमें कंकड़, मिट्टी, ढेले मिले रहते हैं। पल्लेदार रात्रि में काम करने के कारण थक जाते हैं और दिन में इन केन्द्रों पर कांटे बन्द रहते हैं। पहल्लेदार न मिलने का बहाना लेकर किसानों का गेहूं नहीं तौला जाता है। किसान पाँच-पाँच, छः-छः दिन तक इन क्रय केन्द्रों पर पड़ा रहने से परेशान होकर या तो व्यापारियों को सस्ते दामों पर गेहूं बेच रहा है या क्रय केन्द्रों के कर्मचारियों की मनमानी का शिकार हो रहा है। कर्मचारी ऐसे किसानों का गल्ला, 4–4, 5–5 किलो प्रति बोरा अधिक तौल लेते हैं। 1 रुपया प्रति बोरी तुलाई पल्लेदारों को दिला दी जाती है। इस तरह से दूरा, किरावली और अछनेरा के एफ० सी० आई० के क्रय केन्द्रों पर खुले आम किसानों को लूटा जा रहा है और किसान लगान, आबपासी, तकावी और अन्य कर्जों की कड़ी वसूली के कारण मजबूर हो कर लुट रहा है।

अतः मेरी शासन से माँग है कि वह मेरे क्षेत्र के एफ० सी० आ ई० के इन खरीद केन्द्रो पर तुरन्त छापे मारे तथा तथ्यों की जाँच करके भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्य-वाही करें। एफ० सी० आई० के अतिरिक्त केन्द्र पर बोरियाँ भिजवायें। जब तक किसानों का गेहूं समर्थित रेट पर बिक न जाय तब तक उनको विभिन्न वसूली के लिये तंग न किया जाय।

जालौन की मौजूदा अपराध स्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कौशल किशोर (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में आपकी अनुमति से लाना चाहता हूं। जनपद जालौन की मौजूदा अपराध स्थिति उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है जिससे सम्पूर्ण जनपद के नागरिकों का जीवन खतरे में है। जनपद जालौन की पुलिस अपराध स्थिति को नियंत्रित करने में अक्षम साबित हो रही है। घनश्याम और मलखान सिंह तथा उनके सहयोगी मुश्तकीम गैंग के लोगों ने जिले में आतंक की स्थिति पैदा कर दी है। गत वर्ष एक साथ 8 व्यक्तियों की हत्या, पुलिस सब-इन्सपेक्टर श्री स्वामीदीन खांगर की हत्या, पुलिस के जवानों की राइफल छीना जाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो अत्यन्त गम्भीर हैं। अभी हाल में ही थाना कठोंध के अन्तर्गत ग्राम लालपुरा से एक अपहरण थाना आटा के अन्तर्गत एक हत्या, श्री शिवनाथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंह ग्राम परासन, ग्राम पिपराया में एक साथ 4 हत्याएं, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं। ग्राम अटरिया में 3 हरिजनों की एक साथ हत्या हुई। ग्राम जयसारी, थाना डकोर में 5 माह के अन्तर्गत 5 हत्याएं, जिसमें अभी हाल में एक हत्या हथगोले से की गयी है। पुलिस इन सबके अपराधियों को गिरफ्तार करने में असमर्थ रही। अपराधी सम्पूर्ण जनपद में बड़ी तेजी के साथ सकिय होते जा रहे हैं। नागरिकों में यह धारणा बन गई ह कि पुलिस अपराधियों और सक्रिय गैंग के सदस्यों के साथ साजिस करके जिले में आतंक पैदा कर रही है। इससे नागरिक जीवन असुरक्षित है। आये दिन निर्दोष व्यक्तियों को बंद कर प्रताड़ित करना ही पुलिस का कार्य रह गया है। अभी तक श्री स्वामी दीन खांगर, सब-इन्सपेक्टर पुलिस की राइफल तथा उनके हत्यारों को नहीं पकड़ा जा सका। जिला जालौन में मुश्तकीम और मलखान सिंह का गिरोह जिसमें 125 व्यक्ति हैं, जिनमें से सभी के पास विदेशी और देशी अग्नेयास्त्र हैं।

शासन से यह अनुरोध है कि अविलम्ब जिला जालौन में बढ़ती हुई अपराध स्थिति को नियंत्रित करने हेतु वक्तव्य दें तथा दस्यु उन्मूलन अभियान हेतु पुलिस फोर्स बढ़ाया जावे।

सूचना विभाग द्वारा देवगढ़ स्थान को ललितपुर जिले में न दर्शाकर सीतापुर में दर्शाये जाने से जनता में असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा ललितपुर जिले के प्रति किये जा रहे व्यवहार की ओर सरकार और इस माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश पाक्षिक 16 मई, 1979 के अंक के अन्तिम पृष्ठ पर एक फोटो प्रकाशित किया गया है जिसमें गजरथ महोत्सव के अवसर पर एक सभा को माननीय मुख्य मंत्री जी सम्बोधित करते हुए दिखाये गये हैं। इस फोटों में देवगढ़ को सीतापुर जिले में बताया गया है।

सूचना विभाग द्वारा इस प्रकार ललितपुर को प्रदेश में न बताने की यह दूसरी घटना है। सन् 1979 की डायरी में प्रकाशित नक्शे में ललितपुर जिले का नाम व सीमा न बता कर और इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक देवगढ़, (जिला ललितपुर) जहाँ पर हजारों पर्यटक देश, विदेश से प्रतिवर्ष आते हैं और गजरथ महोत्सव के अवसर पर 19 अप्रैल, 1979 को लाखों दर्शक प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से पहुंचे थे। इस अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्री माननीय पुरुषोत्तम कौशिक और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री माननीय सत्य प्रकाश मालवीय, विद्युत् मंत्री माननीय श्री रेवती रमण सिंह जी तथा प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय बनारसीदास भी पहुंचे थे। उक्त अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्री ने देवगढ़ की भारत के पर्यटन नक्शे में लाने की तथा उसके विकास करने की घोषणा की थी तथा उत्तर प्रदेश सरकार भी लाखों रुपया खर्च करके इसके विकास की योजना बना रही है। वहीं प्रदेश का सूचना विभाग ललितपुर जिले को उत्तर प्रदेश से मिटाने में निरन्तर प्रयत्नशील है। श्रीमन्, सूचना विभाग द्वारा इस प्रकार भ्रामक प्रचार से देवगढ़ जाने वाले हजारों पर्यटक भ्रांति में पड़ गये हैं और बहुत से लोग सीतापुर जाकर सूचना विभाग को कोसते हुए ललितपुर पहुंचे और फिर देवगढ़ पहुंचे।

सूचना विभाग के इस कृत्य से ललितपुर निवासियों में बड़ा रोष व्याप्त है और देवगढ़ जाने वाले हजारों पर्यटक परेशानी में पड़ गये है। अस्तु मेरा आपसे निवेदन है कि सूचना विभाग द्वारा निरन्तर ललितपुर जिले की उपेक्षा का रवैया अपनाने के विरुद्ध सरकार को

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी]

कड़ी कार्यवाही करने का आप निर्देश दें और सरकार तुरन्त ही इस सबका प्रतिवाद करके ललितपुर जिले के निवासियों और देवगढ़ आने वाले पर्यटकों में उत्पन्न भ्राँति को दूर करने की कृपा करें।

जनपद फर्रुखाबाद के थाना गुरसहायगंज के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, फर्रुखाबाद जनपद के थाना गुरसहायगंज के ग्राम गौरियापुर में दिनाँक 20 मई के लगभग एक कुएं में श्री पप्पू पुत्र श्रीराम, निवासी गदौरा थाना तालकग्राम की लाश बरामद हुई। लाश के साथ वस्त्र, बनियाइन तथा लूंगी भी बरामद हुई, किन्तु पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाँव वालों की सहायता से लाश को निकलवाकर सैकड़ों व्यक्तियों के सामने लाश को जलवा दिया और यह कह दिया कि यह लाश किसी जानवर की है। इस घटना को आस पास के हजारों नागरिकों ने देखा है। यह पुलिस की घोर अनियमितता का एक सजीव उदाहरण है।

इसी के साथ उसी थाने की पुलिस ने ग्राम मूसर ग्राम के अध्यापक श्री सुरेश सिंह की शिकायत की जाँच के लिए जब उन्हें थाने में बुलाया तो उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करके अत्यन्त अभद्र व्यवहार किया और उन्हें थाने से मारपीट कर भगा दिया। ग्राम रसूलपुर के हरिजनों द्वारा जब रिपोर्ट उस गाँव के सवर्णों द्वारा आग लगाने की लिखायी गयी तो पुलिस ने पहले तो रिपोर्ट को तोड़-मरोड़ कर बदल दिया और मनचाहे ढंग से लिख दी और इतना ही नहीं, कुछ कार्यवाही करना तो दूर रहा, उल्टे हरिजनों को थाने में बुलाकर बुरी तरह मारपीट दिया।

अस्तु माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त थाने के पुलिस कर्मचारियों की किसी उच्च अधिकारी से जाँच कराकर सदन में वक्तव्य देने कौं कृपा करें।

श्रीमती राम लली कन्या जूनियर हाई स्कूल, रौजा, जिला शाहजहांपुर की प्रबंधिका द्वारा चार अध्यापिकाओं को स्कूल से निकाल दिये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहाँपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान शाहजहाँपुर जनपद, शिक्षा विभाग की अनियमितताओं की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमती रामलली कन्या जू0 हा0 स्कूल, रोजा में आठ वर्ष से कार्यरत चार अध्यापिकाओं को अवैध ढंग से निकाला गया और उनका वेतन भी नहीं दिया गया जो गत 24 दिन से बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ कार्यालय पर भूख हड़ताल कर रही है। जिला महिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रबंधिका को लिखा कि इनको कार्य करने दिया जाय, लेकिन प्रबंधिका ने आदेश की अवहेलना की उसके उपरान्त बेसिक महिला रीजनल, बरेली ने भी आदेश दिया, उसका भी प्रबंधिका ने अवहेलना की। निम्न अध्यापिकाएं आज भी भूख हड़ताल पर बैठी हैं।

अत: आप से अनुरोध है कि लोक महत्व प्रश्न पर अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करें। अध्यापिकाओं के नाम: 1—कु0 वसुन्धरा 2—कु0 मनोरमा सहगल 3—कु0 रवीन्द्र कौर 4—कु0 मीरा श्रीवास्तव।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्नाव जनपद में बढ़ते हुए अपराधों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से उन्नाव जनपद में बढ़ रहे अपराधों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गत 23 मई, 1979 को उन्नाव जनपद में एक दिन में 6 हत्याएं होने का सनसनी खेज समाचार मिला है। इन 6 हत्याओं में दो पुलिस कानिस्टेबुलों की भी हत्या कर दी गयी है। इनमें दरौली निवासी एक व्यक्ति की सिन्धी भट्ठा सफीपुर में तथा एक भिवरवारा में व 4 मसोहा में हत्याएं हुई हैं। एक-एक दिन में आधा-आधा दर्जन हत्यायें होने से आम जनता में भय व असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है इसके पूर्व भी थाना बिहार के एस0 ओ0 श्रीवास्तव की पत्नी व बच्चे थाना प्रांगण में स्थित निवास से ही गायब हो चुके हैं, जिनकी हत्या कर दिये जाने का सन्देह है। उन्नाव जनपद में एक दो हत्यायें प्रतिदिन होना एक आम बात हो गयी है। उन्नाव जनपद में बढ़ते हुए इन अपराधों की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर, अपेक्षा करता हूं कि वह इन बढ़ते हुए अपराधों के कारणों की सी0 बी0 आई0 द्वारा जाँच कराकर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करेंगे ताकि जनपद की जनता में व्याप्त भय व असुरक्षा की भावना समाप्त हो सके।

मान्यवर, मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बढ़ते हुए अपराध कर्मों के संबंध में एक वक्तव्य दिलवायेंगे।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री आरिफ मोहम्मद खां ने नियम 63 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमानना की एक सूचना दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 मई, 1979 को उनके एक प्रश्न का स्पष्टीकरण देते हुए माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था कि काँग्रेस (आई) द्वारा आयोजित 16 मई की रैली में भाग लेने के लिए जाने वालों को शासन द्वारा रोकने की कोशिश नहीं की जायेगी। माननीय सदस्य का कहना है कि शासन ने यह निर्णय लिया था कि 16 मई की रैली में भाग लेने वालों को रोका जायेगा किन्तु सदन में इस निर्णय के विपरीत आश्वासन देकर माननीय मुख्य मंत्री ने सदन को गुमराह किया और उसका अवमान किया।

माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खां की सूचना का आधार.....

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन में 10 मई, 1979 को दिया गया आश्वासन है किन्तु माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खां ने उक्त आश्वासन से संबंधित कार्यवाही के उद्धरण की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की है और इस प्रकार नियम 64 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है

श्री आरिफ मोहम्मद खां —

श्रीमन्, मैं प्रतिलिपि आप के चेम्बर में दिखा कर आया था। मेरे पास यह श्रीमन्, प्रार्थना-पत्र एक मिसाल के तौर पर है.....

श्री उपाध्यक्ष—

जिस समय आपने यह विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था, उस समय इसे नहीं दिया था।

श्री आरिफ मोहम्मद खां---

कलेक्टर के इस में दस्तखत है, ए0 आर0 टी0 ओ0, गाजियाबाद के दस्तखत हैं। इसके अलावा माननीय हाउसिंग मंत्री मसद साहब ने 14 तारीख को सुल्तानपुर में कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ताओं द्वारा घेराव कर के मालूम किया। श्रीमन्, हर जिले में वायरलेस गया है। वायरलेस में यह कहा गया था कि 16 तारीख और उसके आस पास दिल्ली जाने वाली सवारियों को कोई परमिट न दिया जाय। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन श्रीमन्, मेरे पास बिल्कुल प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस पर आप इनक्वायरी के आदेश दे दें। मैं यह मानता हूं कि सरकार के आदेशों के अनुसार अधिकारियों ने कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ताओं को दिल्ली जाने से रोकने के लिये बस के परमिट नहीं दिये। यह जो आश्वासन दिया था उसके विपरीत बात है। इसलिये आपसे यह प्रार्थना है कि इस की इंक्वायरी हो जाय। उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो किसी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी वह पता चल जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

यह पहले देना चाहिये था, जिस समय आपने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था। बाद में कागज नहीं दिया जाता।

श्री आरिफ मोहम्मद खां---

लायब्रेरी में मशीन आई है जिससे फोटो की कापियाँ हो जाती हैं। मुझे बतलाया गया कि वह मशीन खराब हो गयी है। इसलिये कापी नहीं दे सका।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री आरिफ मोहम्मद खां ने अपनी सूचना के साथ कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि माननीय मुख्य मंत्री ने जानबूझ कर सत्य को छिपाने या गलत सूचना देने का प्रयास किया और उनका कोई उद्देश्य सदन को गुमराह करने का था। अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णय के संहत संकलन (1952---1967) के पृष्ठ 526 के निर्णय संख्या 93 में कहा गया है कि---

"अपनी सूचना के आधार पर किसी मंत्री द्वारा सदन में कही गयी किसी बात पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।" उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिये गये, निर्णयों के संहत संकलन के पृष्ठ 525 पर निर्णय संख्या 91 के अनुसार "किसी वादे की पूर्ति न करने पर किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता"।

अतः मैं श्री आरिफ मोहम्मद खां द्वारा दी गयी सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)---

व्यवस्था का प्रश्न है.....

कुण्डेश्वरी (काशीपुर) में वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा भूमि खरीदे जाने में अनियमितता के संबंध में सहकारिता मंत्री व गुरुदत्त सोलंकी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 64 के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्न की सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने दी थी....

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

आप निर्णय लिख कर लाये हैं, बिना मुझे सुने, तो मुझे कुछ नहीं कहना है.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपनी बात कह लीजिये। अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

इस केस के फैक्ट्स के बारे में सदन को नहीं बतलाना चाहता। इससे सारा सदन अवगत है। मैं तो आपका ध्यान आर्टिकिल 194 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें हमारे प्रिविलेजेज दिये हुये हैं। सदन के विशेषाधिकारों के लिये हमें हाउस आफ कामन्स की ओर देखना पड़ता है। 22 जून, 1958 को हाउस आफ कामन्स ने एक फैसला किया था जिसमें एक सिद्धान्त निरुपित किया था जो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के 19वें एडीशन के पृष्ठ 143 पर दिया हुआ है। इसमें उन्होंने यह दिया है :

"Any act which is contrary to the usage and derogatory to the dignity of this House is contempt."

To consider and report by the last day of the first week of the next session whether the conduct of the hon, Member was derogatory to the dignity of the House and insonsis tent with th e standards which Parliament is entitled to expect from its Members,

इसका हिन्दी अनुवाद यों है:--

यह विचार करना और अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन को इस बात की रिपोर्ट देना कि क्या माननीय सदस्य का आचरण सदन की गरिमा के विपरीत है और सदन द्वारा अपने सदस्य से अपेक्षित स्तर के प्रतिकूल था।

इस सिद्धान्त पर आधारित हमारे देश में पहली बार हमारी संसद के सामने एक मामला एच0 जी0 मुदगल का 1951 में आया था। उस समय एक कमेटी लोक सभा के स्पीकर ने नियुक्ति की थी और उसमें जो टर्म्स आफ रिफरेंस उन्होंने दिये इसमें एक वह इस प्रकार थी:--

मैं इसका तरजुमा कर देता हूं ऐसा कोई भी कार्य या आचरण जो सदन की परम्परा के विपरीत तथा सदन की गरिमा के प्रतिकूल हो तो वह सदन की अवमानना है। मेरा निवेदन है कि अगर आप यह निर्णय देते हैं कि सदन में तथ्यों को छिपायेंगे, सदन में गलत जबाव देंगे या इस तरह के सदस्यों और मंत्रियों के आचरण सदन की गरिमा को गिराने वाले नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर आप समझते हैं कि तथ्यों को गुमराह करने के लिये गलत बात कहना सदन की गरिमा के प्रतिकूल है तो मेरा कहना है कि तथ्यों को छिपाया गया है और सदन को गुमराह किया गया है। मेरी नोटिस में 1 मार्च, 1979 को जो जबाव माननीय मुलायम सिंह जी ने दिया है जो कि मैंने संलग्नक 1 में दिया है, उसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 1978-79 में रु0 71.66 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदी गयी जो कि तहसीलदार काशीपुर द्वारा वर्ष 1978 में प्रमाणित रेट रु0 74 प्रतिवर्ग मीटर से कम है। संलग्नक 2 में माननीय मंत्री जी ने दिनाँक 8 मई, 1979 को नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का उत्तर देते हुये कहा था उसके कुछ अंश दिये गये हैं कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार 66 रुपये वर्ग मीटर पड़ता था। यह पिछले जबाव में छिपाया गया था। तहसीलदार के हिसाब से 66 रुपये आना चाहिए था, लेकिन वह 71.66 पैसे के हिसाब से खरीदी गई जो कि 74 रुपये वर्ग मीटर से कम है। फिर इस बात की क्या गारन्टी है कि जो आँकलन 74 रुपये का किया गया था वही सही था। और कोई मैन्योवरिंग नहीं की गई थी।

मान्यवर, इसके अलावा मेरी निश्चित जानकारी है कि गोविन्द सिंह जो है वे वेल्थ टैक्स की परिधि में आते हैं। उन्होंने जो कीमत उस जमीन की अपने रिटर्न में दिखाई ह

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

उससे ज्यादा कीमत पर कैसे दिया गया। कैसे तथ्यों को छिपाकर सदन के सामने रखा गया। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने 28 मार्च, 1978 को जब विधान परिषद में बयान दिया था और कहा था तो मैं दीर्घा में मौजूद था। उन्होंने कहा कि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के जो चयरमैन सोलंकी हैं उन्होंने कहा अब जमीन की जो डीड हो चुकी है वह रद्द की जायगी। तीन लाख रुपया का एक चेक उन्होंने कारपोरेशन को दिया है। यह बयान उन्होंने दिया है.....

श्री उपाध्यक्ष—

तिवारी जी आप इसकी ग्राह्यता के बारे में बतायें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैंने निवेदन किया कि हमारे जो प्रिविलेज हैं वे डेराइव होते हैं हाउस आफ कामन्स से। हाउस आफ कामन्स की एक प्रोसीडिंग्स 22 जून, 1858 की और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ 143 पर मैंने देखा है। लोक सभा की जो कमेटी मुदगल के लिये बैठी थी, उसके जो टर्म आफ रिफरेन्स थे उसको देखें। ग्राह्यता पर मेरा इतना ही कहना है। अगर आप यह कहते हैं कि कोई सदस्य गलत बयान दे, तथ्यों को छिपाये, ऐसा आचरण करें कि अपने रिश्तेदार को अगर एम0 एल0 ए0 हैं तो ज्यादा से ज्यादा जमीन की कीमत दिला दें, अगर इसको ठीक होल्ड करते हैं और इस तरह की अपेक्षा करते हैं तब तो ग्राह्यता नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप हाउस आफ कामन्स के प्रस्ताव को मानते हैं, अगर लोक सभा ने जो डिसीजन दिया उसको मानते हैं तो मेरा निवेदन है कि इससे स्पष्ट ग्राह्यता का केस दूसरा कोई हो नहीं सकता। मैं निवेदन करूंगा चूंकि ग्राह्यता पर फिर लगता है मैं आपको क्लीयर नहीं कर पाया हूं। मेरे हाथ में पार्लियामेन्ट डिवेट की किताब 24 सितम्बर, 1951 से 16 अक्टूबर, 1951 का वाल्यूम 16 पार्ट 2 है इसके पृष्ठ 3202 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा–मान्यवर, इसमें स्व0 जवाहरलाल नेहरू ने सदन के अंदर जो प्रस्ताव पेश किया था मुदगल के बारे में इनक्वायरी सेटअप करने के लिए उन्होंने कहा था—

I think it will be unfortunate from a variety of points of view, more especially because this being the first case of its kind coming up before the House, if the House does not express its will in such matters in clear, unambiguous and forceful terms, than doubts may very well arise in the public mind as to whether the House is very definite about such matters or not.

इसी पर मान्यवर, उन्होंने कहा था—

I beg to move :

That this House, having considered the report of the Committee appointed on the 8th June, 1951 to investigate into the conduct of Shri H. G. Mudgal, Member of Parliament, accepts the finding of the Committee that the conduct of Shri Mudgal is derogatory to the dignity of the House and inconsistent with the standard which Parliament is entitled to expect from its Members, and resolves that Shri Mudgal be expelled from the House.

इसका मैं तर्जुमा कर देता हूं। मैं समझता हूं कि कई दृष्टि से विशेष तौर पर सदन के सामने अपनी तरह का पहला मामला होने से यह दुर्भाग्य की बात होगी कि यदि ऐसे मामलों में सदन अपने विचार स्पष्ट और जोरदार शब्दों में व्यक्त न करे और जनता के मन में यह भावना बन जाय कि ऐसे मामले में सदन की दृष्टि बहुत साफ नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारा कर्त्तव्य और दायित्व हो गया है कि हम स्पष्ट ठोस निश्चित बात करें। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि 8 जून, 1951 से श्री मुदगल संसद सदस्य के आचरण की जाँच करने के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के

बाद यह सदन समिति के उस निर्णय को स्वीकार करता है। जो श्री मुदगल के आचरण और सदन की गरिमा के विपरीत–शब्द देखें "गरिमा के विपरीत" और संसद द्वारा अपने सदस्यों से अपेक्षित आचरण के प्रतिकूल है। सदन निश्चय करता है कि श्री मुदगल को सदन से निष्कासित कर दे।

मान्यवर, ऐसा करके नैतिकता का एक कीर्तिमान स्थापित किया स्व0 जवाहर लाल नेहरू ने। हमारे नेता सदन की नैतिकता और ईमानदारी सर्वविदित है, मैं भी नतमस्तक हू जिसका सारा प्रदेश लोहा मानता है। यह प्रस्ताव उनकी तरफ से आना चाहिये था। लेकिन अगर आज मैंने यह प्रश्न उठाया है और आप उसको क्वेश्चन करते हैं कि ग्राह्य कैसे किया जाय तो मैं स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं कि अगर बेइमानी हुई है और बिना डाकूमेंट को देखे ही आप कोई फैसला देते हैं, सारे डाकूमेंट छिपाये गये। सोलंकी साहब ने कितनी चिट्ठियां लिखी, उन सारी चिट्ठियों को सदन के सामने नहीं रखा गया और श्री गोविन्द सिंह को कितनी चिट्ठियां लिखी गयी उनको नहीं रखा गया और सारे तथ्यों को छुपा कर तहसीलदार की रिपोर्ट 66 रु0 की थी उसको छिपाया गया और 71.66 के हिसाब से दिला दिया गया। उसके बाद अगर आप कहेंगे कि ग्राह्यता का प्रश्न कैसे बनता है तो मैं असमर्थ रहूंगा समझने में, मान्यवर, मैं कुछ तथ्य और रखूंगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैंने निवेदन किया था कि यह झूठ कहा गया है कि जो डीड हो चुकी है वह रद्द की जायगी। मैं चुनौती देता हूं कि इसे इस तरह से कैंसिल नहीं किया जा सकता है। चूंकि कैंसिलेशन आफ डीड के दो-तीन प्राविजंस ही है और यह उसमें नहीं आता है। यह केवल सेक्शन 31 आफ दि स्पेशफिक रिलीफ ऐक्ट रेड विथ सेक्शन 7 आफ दि कोर्ट फीस ऐक्ट में ही आ सकता है; और उसमें भी यही दस्तावेज आयेंगे जो कान्ट्रैक्ट ऐक्ट की धारा के अन्तर्गत 19 से 30 तक में आते है, इसके अलावा नहीं। इनके तहद कोई इंस्ट्रमेंट तब ही कैंसिल हो सकता है, जब वह वायड या वायडेबेल होगा। यह कॉंट्रेक्ट रिवोकेबेल था या वायड या वायडेबेल था, यदि आप ऐसा कह दें और सिद्ध कर दें तो मैं आज ही यहाँ ही इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। वह डीड कैंसिल नहीं हो सकता है, उसको कैंसिल करने के लिए कारपोरेशन भी कैंसिलेशन का कोई सूट नहीं ला सकता है, जबकि वह इम्पीच न करे अपने चेयरमैन श्री सोलंकी को।

चिकित्सा एवं आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)––

श्रीमन्, इस पर काफी कहा जा चुका है, आप भी कह चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

मैंने आपको करीब 12 मिनट सुन लिया है। इस पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं और उसे बाद में दूंगा। इसके अलावा कोई बात हो तो आप बाद में दे दीजियेगा, उनको भी मैं फैसला लेते वक्त देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी––

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब यह कहा जा रहा है....

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर कौशिक––

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आप 65 (2) देख लीजिये। एक तो आप इस उपवेशन में दो ले रहे है, जबकि नियमानुसार एक उपवेशन में एक ही विशेषाधिकार का प्रश्न लेना चाहिए। मान्यवर, जहाँ तक ग्राह्यता का प्रश्न है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आबकारी मंत्री जी, जो मैंने निर्णय लिया था वह पहले की नोटिस का था। यह पहले का है जिस पर मैंने उनको आज सुना है। अब तिवारी जी आप बैठें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

मैं कुछ नये फैक्ट्स दे रहा हूं, आप उनको देख लीजिये। अब तक कहा जा रहा था कि शीघ्र डीड रद्द की जा रही है और अब यह कहा जा रहा है कि गोविन्द सिंह ने पहल की है उसको दुबारा खरीदने के लिये और तीन लाख रुपया ऐडवांस दिया है। यदि वह डीड इन दी इन्ट्रेस्ट आफ दि कारपोरेशन थी, तो उसको दुबारा बेचने का कैसे सवाल उठता है। फिर अब उन्होंने पहल की थी, तो क्या उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी, कोई कारपोरेशन ने सहमति दे दी। ये कोई करेस्पाडेंस आपके सामने आयेगी, तभी तो आप व्यवस्था देंगे या आपको कोई इल्हाम होता है कि इसमें क्या-क्या डाकूमेंट्स है। तो मेरा एक निवेदन है, आप सारे डाकूमेंटस को मंगा लें। यह सारी बात जो माननीय मंत्री जी ने सदन से छिपायी है, जो लीगल प्राविजन्स है, उनको देख लें। मेरा निवेदन है कि धारा 114 इविडेंस ऐक्ट की तरह अगर कोई व्यक्ति किसी डाकूमेंट को छिपाता है, तो इनफरेंस उसके खिलाफ ड्रा होता है। उन्होंने जो तथ्यों को छिपाया.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो दोहरा रहे हैं। उस पर विचार करेंगे, यदि विशेषाधिकार समिति को भेजने वाला होगा तो भेजेंगे, नहीं भेजने वाला होगा तो खारिज करेंगे। आपको और मिसालें देनी हों तो लिखकर दे दीजियेगा।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें। इसका फिर अन्त नहीं होगा। आप बैठ जाइये।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

यह विशेषाधिकार समिति में जानें दें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

मेरा निवेदन है कि अगर कोई अदालत हो....

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

यह कैसी व्यवस्था है?

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी से) आप कृपया बैठिए। अब आगे इजाजत नहीं देता हूं। और मिसालें देनी हों तो आप मेरे कक्ष में आ कर बता दें। अब इसमें सदन का समय न लें। अब आगे इजाजत नहीं देता, जो अब आप बोलेंगे, लिखा वह नहीं जायगा।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आगे इजाजत नहीं दी।

(श्री मोती राम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

इस मामले पर आप फैसला न दें। मैं आपके खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव की नोटिस दूंगा। उस पर फैसला होने के बाद ही इस मसले को लिया जाय, यह मेरा निवेदन है।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

वह ठीक है।

श्री मोती राम---

यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न सदन के सामने है, इसकी ग्राह्यता आपको तय करनी है। मैं तथ्यों के बारे में दोहराना नहीं चाहता।

श्री रमाशंकर कौशिक---

क्या इस पर स्पीच करवा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसके ऊपर आप नहीं बोल सकते।

श्री मोती राम---

मान्यवर, नियम के ऊपर बोल रहा हूं। मैं उनको दोहरा नहीं रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने उनको सुन लिया। आगे अब इजाजत नहीं देता।

श्री मोती राम---

नियम 65 है। व्यवस्था का प्रश्न है। सुन तो लें, मुझको। जो ग्राह्यता की शर्तें हैं, नियम 65 में उसमें (ग) है "ऐसे मामले में सदन का हस्तक्षेप हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्पत्ति तथा ग्राह्यता संबंधी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेखों, यदि कोई हो, के निरीक्षण का अवसर दे कर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्त्ता को भी सुन सकेंगे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न आया है, यह सदन के किसी माननीय सदस्य से जुड़ता है, माननीय तिवारी जी ने कुछ लेखों और तथ्यों का हवाला दिया जो आपके और सदन के संज्ञान में है। इससे पहले कि आप अपनी रूलिंग दें आप निर्देश दें, उस माननीय सदस्य को जिसके विरुद्ध यह विशेषाधिकार का प्रश्न आया है कि वह उन लेखों और तथ्यों को सदन के सामने रखें और उस पर अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री उपाध्यक्ष---

उनका स्पष्टीकरण लिखित आ चुका है। लिखित उत्तर आ चुका है।

सदन में माननीय सदस्यों के भाषण ठीक ढंग से प्रतिवेदित न किये जाने के संबंध में शिकायत

*श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)---

एक व्यवस्था का प्रश्न नियम 303 के अन्दर मैं उठाना चाहता हूं। हम हाउस में जो बोलते हैं उसकी रिपोर्ट मिलती है, करैक्शन करने के लिये आती है कि जहाँ अल्फाज छूट गये हों, बदल दिये जायं। लेकिन वह ऐसा है, मैं समझता हूं, यहाँ पर जानबूझ कर ऐसा हो रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि यही बोलता हूं। इससे अच्छा हो, मैं इस हाउस को छोड़ दूं, यानी अपनी बोली हुई जो तकरीर मिली, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, तो हाउस में रहने से फायदा क्या ? आप अपनी व्यवस्था दें, ऐसे लोगों से यह पूछे, कि हम जिस जबान को बोलते हैं, उसको न बोल कर कोई और जबान जिसको वह चाहें, उसे कहीं पढ़ें। कल परसों की मेरी जो तकरीर मिली है, मैं उसके जुमले नहीं समझ पा रहा हूं। अगर रटा हुआ रहा हो तो फिर से लिख दूं। रटी हुयी या लिखी हुयी बात भी नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में आप मेरे कक्ष में आ जायें और दिखा दें। अगर कोई गलती हुई है तो मैं देखूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, यह आम शिकायत है कि बोला कुछ जाता है और लिख कर कुछ दिया जाता है। माननीय सदस्य के कहने पर मुझे भी याद आ गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह शिकायत इस सदन में प्रथम बार की गयी है और जब माननीय सदस्य मेर कक्ष में आयेंगे तो हम जाँच करा लेंगे।

श्री राज मंगल पाँडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मेरे एक मित्र ने कहा कि जो कुछ मैंने इस सदन में कहा वह उसके बिल्कुल विपरीत है जिसकी रिकार्डिंग की गयी। यह पता नहीं चला कि किस माननीय सदस्य का भाषण है। आप मंगा कर देख लें कि किसका है। ये मना करते हैं कि मैंने भाषण नहीं दिया। तो आप इसकी इन्क्वायरी करा लें कि यह भाषण किसी और सदस्य ने तो नहीं दिया और इनका नाम अंकित हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न तो आपका काल्पनिक है।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दंगे के संबंध में मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर औचित्य का प्रश्न

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। हमारे संविधान के अनुसार राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र बंटे हुए हैं मिसाल के तौर पर शांति व्यवस्था का मामला प्रदेश की सरकार का है और फारेन अफेयर्स को केन्द्रीय सरकार देखती है। एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखलन्दाजी न हो, इस काम के लिए संविधान है। पिछले 8 दिनों से खास तौर से कल या परसों से, जैसा कि मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है, माननीय मुख्य मंत्री अलीगढ़ दंगों के संदर्भ में बार-बार पाकिस्तान, बंगला देश और अरब देशों की बात करते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है जिसमें बीच में नहीं उठाया जा सकता। आप इन्हें नियम बता दें कि औचित्य के प्रश्न पर बीच में नहीं उठा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी तकरीर में अलीगढ़ के सम्बन्ध में बार-बार पाकिस्तान, बंगला देश और अरब देशों का जिक्र किया।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय मुख्य मंत्री की तकरीर मंगा कर देख ली है, उन्होंने यह नहीं कहा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मान्यवर, पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जुल्फिकार अली भुट्टो की निर्मम हत्या के सम्बन्ध में, हम यहाँ पर प्रस्ताव लाये थे लेकिन यह मामला इस सदन के कार्य

क्षेत्र में न होने के कारण आपने इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान के अखबारों में क्या छपता है, इस सदन का उससे क्या ताल्लुक होता है। मेरी प्रार्थना है कि आप मंत्रियों और माननीय मुख्य मंत्री को निर्देश दें कि वे कानून और संविधान को पढ़ कर यह जानने की कोशिश करें कि उनके कार्य क्षेत्र में क्या-क्या काम आते हैं। मैं कोई दुकानों के जलाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिविसटी का ओल्ड ब्वाय होने के नाते....

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप उसका जिक्र न करें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मान्यवर, आप उन्हें निर्देश दें कि ये अपने अधिकारों को और अपने कार्य क्षेत्र को समझें, और उसके अनुसार काम करें। इस प्रकार से प्रश्न उठाकर साम्प्रदायिकता फैलाने की कोशिश न करें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उनकी तकरीर मंगाकर देख ली है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं।

श्री रमाशंकर कौशिक--

औचित्य का प्रश्न उठाने के लिये जो नियम है मान्यवर, आप उसे देख लें...

श्री उपाध्यक्ष--

वह मैंने कह दिया कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री रमा शंकर कौशिक--

तो उसे कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

बात यह थी कि माननीय सदस्य ने कहा कि मानदीय मुख्य मंत्री जी ने विदेशों की बात कही, मैंने कहा कि मैंने कार्यवाही देख ली है ऐसी बात उन्होंने नहीं की है। वह अगर देखना चाहें तो देख लें। मैंने औचित्य का प्रश्न स्वीकार नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

इस आदरणीय सदन का काम नियमावली के अनुसार होना चाहिये। आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार जो आपका निर्णय इस करण के पृष्ठ 50 पर है उसमें आपने जो व्यवस्था मान्यवर दी है, उसे आप देख लें। उसके अनुसार अगर कोई मंत्री अथवा कोई सदस्य ऐसी बात कहता है जो असंगत है तो उसके संबंध में यह आपत्ति उठाने से पहले वह आपको पहले लिख कर देगा। माननीय आरिफ साहब ने आपको लिखकर पहले नहीं दिया है और जो प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये थी वह नहीं अपनायी। तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। जो बात नियमों के विपरीत कही गयी है उसको आप सदन की कार्यवाही से निकालने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

औचित्य का प्रश्न जो उन्होंने उठाया उसको मैंने सुन कर अस्वीकृत कर दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो उसे निकाल दीजिये कार्यवाही से। उनको मौका ही नहीं देना चाहिये था।

---

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां---

मुझे खुशी है कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी माननीय मुख्य मंत्री को डिफेन्स कर रहे हैं। इस प्रदेश में क्या एलायन्स काम कर रहा है.....

(व्यवधान)

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)---

जो प्रश्न औचित्य का उठाया गया अगर वह औचित्य के अन्दर नहीं है तो क्या वह कार्यवाही का अंग बन सकता है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अगर कोई मेरी इजाजत के बिना बोलता है तो वह कार्यवाही का अंग नहीं बनता।

श्री नेम सिंह चौहान---

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जो हमारी नियमावली में दिया हुआ है, क्या वह माननीय आरिफ की बात उस नियमावली के अन्तर्गत आती ह ?

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)---

उन्होंने संविधान की बात उठाई है, प्रदेश और केन्द्र के बारे में.....

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं किसी को इजाजत नहीं देता।

भू-वैज्ञानिक डा० खडग सिंह बोल्दया द्वारा शोध लेख में "नैनीताल के धरती के गर्भ में समा जाने" के विषय पर नियम 301 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)---

मान्यवर, श्री देव बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने शासन को यह सूचना दी है डा0 किशन सिंह बल्दिया (सही नाम डा0 खड़ग सिंह वल्दिया है) ने उत्तर प्रदेश एवं केन्द्र सरकार के आदेशों पर नैनीताल शहर के स्थायीत्व के सम्बन्ध में अपने शोध कार्य के बाद जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं उनसे नैनीताल नगर के विनाश की आशंका बलवती होती है तथा नैनीताल की भूमि में गहरी दरार पड़ गयी है जो शहर को दो भागों में विभक्त करती है। इस दरार की चौड़ाई प्रतिक्षण बढ़ रही है जिससे एक दिन सारा शहर भू-गर्भीय दरार में विलीन हो जायगा।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, नैनीताल से वस्तु स्थिति की जानकारी की गयी जिससे यह ज्ञात हुआ है कि डा0 बल्दिया ने दिनाँक 12 मई, 1979 को युसूफ मेहर अली सेन्टर नैनीताल व इसके पूर्व रोटरी क्लब में कुमायूं लोअर हिमालय की स्थायित्व दशा पर एक भाषण दिया था जिसके सम्बन्ध में विभिन्न समाचार पत्रों में एक भ्रामक और गलत समाचार छपा कि नैनीताल भू-गर्भ में समा जायेगा। जबकि भू-गर्भ विज्ञान के प्रोफेसर ने जो बात कही वह केवल यह है कि नैनीताल की धरती दरारों से कटी फटी है और चट्टान कमजोर हो गयी है बरसाती पानी के निकास में बाधायें पैदा हो गयी हैं और अनेक स्थानों में भूस्खलन के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं इसलिए सड़कों, मकानों और भारी निर्माण कार्यों को बनाते समय सावधानी बरती जानी चाहिए तथा पानी के बहाव का उचित प्रबन्ध होना चाहिए। डा0 बल्दिया ने न तो यह कहा कि "विनाश की आशंका बलवती है और न ही ऐसी दरार का उल्लेख किया है जो फतेहपुर होते हुए पीलीभीत तक गयी बताई जाती है"। अतः डा0 वल्दिया ने समाचार पत्रों में छपे उक्त भ्रामक और गलत समाचार का प्रतिवाद किया है। इस समाचार का

खड़ग दैनिक समाचार पत्र स्वतन्त्र भारत दिनाँक 20 मई, 1979 में भी किया गया है और डा0 वल्दिया ने लिखित रूप से इसकी सूचना भी दी है। डा0 वल्दिया प्रशासनिक निर्देशों पर शोध कार्य नहीं कर रहे हैं और न ही उनके द्वारा कोई रिपोर्ट शासन को भेजी गयी है। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चालू की गयी योजना के अनुसार स्वतन्त्र रूप से अध्ययन कर रहे हैं। अतः श्री देव बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना सही नहीं है।

नैनीताल नगर के पहाड़ों के ढलानों की सुरक्षा हेतु एक समिति आयुक्त कुमायूं मण्डल की अध्यक्षता में बनी हुई है तथा डायरेक्टर जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया तथा अन्य तकनीकी अधिकारी इसके सदस्य हैं जो सुरक्षात्मक कार्यों एवं उनके उपयोगी प्रभाव का मूल्यांकन कर ी है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना श्री गुलाब सेहरा की प्राप्त हुई है, जो मुजफ्फरनगर में भूतपूर्व संसद सदस्य श्री विजयपाल सिंह द्वारा हरिजनों के साथ हुए अत्याचारों के विरोध में 15 मई से अनशन किए जाने के सम्बन्ध में है। इसको मैंने अस्वीकार किया है, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि इसकी जाँच करवा लें और इसमें उचित कार्यवाही करें।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, ये भूतपूर्व संसद सदस्य आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जिन हरिजनों का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। श्रीमन्, आज 25 मई को इस सम्बन्ध में वहाँ बहुत भारी प्रदर्शन हो रहा है। मेरा कहना यह है कि फिर कोई घटना मुजफ्फरनगर में न हो जाय। माननीय मुख्य मन्त्री जी आज सदन में बतावें और वहाँ के डी0एम0 को भी कुछ राहत दे दें। 20 आदमी अनशन में बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मैं कह रहा हूं कि इसे जाँच के लिए भेज रहा हूं, इसकी जाँच करवा लें। माननीय आबकारी मन्त्री जी, माननीय मुख्य मन्त्री के पास यह सूचना भिजवा दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, उचित आदेश चले जायेंगे।

1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 34 शिक्षा विभाग तथा अनुदान सख्या 111—शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,11,03,61,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[श्री कैलाश नाथ सिंह]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 111—शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,07,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, वर्ष 1979–80 के आय-व्ययक में 2 अरब 76 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष में यह प्राविधान 2 अरब 58 करोड़ रुपए का था। इस प्रकार इस वर्ष 18 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यह धनराशि पूरे राजस्व लेखे का 205 प्रतिशत है। मान्यवर, इसमें गत वर्ष इस मद में 22 प्रतिशत का प्राविधान किया गया था लेकिन इस वर्ष इस मद में जो प्राविधान किया गया है उसमें प्राविधिक शिक्षा, खेल-कूद तथा राष्ट्रीय एकीकरण का प्राविधान नहीं है ।

इस समय 6 से 11 वर्ष की आयु तक के 95 प्रतिशत बालक, बालिकाएं स्कूलों में हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त छात्र संख्या में 25.76 लाख की वृद्धि प्रस्तावित है। यह 1978–79 में 127·61 लाख से बढ़कर 82-83 तक 153.37 लाख हो जायेगी। इस वर्ष इस आयु में 2.68 लाख अधिक छात्र स्कूलों में आयेंगे ।

हर 300 से ऊपर की जनसंख्या की बस्तियों से 1.5 कि0मी0 की दूरी पर स्कूल का प्राविधान लगभग पूरा हो रहा है। सर्वेक्षण द्वारा ऐसे स्थानों को इंगित करने के लिए कार्य चल रहा है। जुलाई तक यह सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जायेगा। इस वर्ष 6·39 नये प्राय-मरी स्कूल खोले जाने की व्यवस्था है जिसके लिए 227 लाख रुपए का प्राविधान है। नये वर्ष में स्कूल खोले जाने की विशेषता यह है कि इन सभी स्कूलों के लिए भवन निर्माण का भी प्राविधान किया जा रहा है। इससे अब जो नये स्कूल खुलेंगे उनके भवन बनाने की भी व्यवस्था साथ ही साथ कर दी गयी है ।

प्राथमिक विद्यालयों मे इस समय 100 छात्र जो कक्षा एक में प्रवेश लेते हैं उनमें से केवल 39 ही कक्षा 5 तक पहुंचते हैं। स्कूलों की इस क्षेत्र में उपयोगिता को बढ़ाने के लिए और जो व्यय हो रहा है उसका भी अच्छी तरह उपयोग हो, उसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें कक्षा एक में सभी छात्रों को उत्तीर्ण करने की व्यवस्था पहले से ही है अब इस वर्ष दर्जा 2 में भी कोई लड़का फेल नहीं किया जायेगा। इस प्रकार कक्षा एक से लेकर 3 तक जो क्षमता थी उसमें निश्चित ही सुधार आयेगा। विद्यालयों के वातावरण में सुधार की आवश्यकता है। भवन निर्माण और मरम्मत के लिए जिसका प्राविधान किया गया है, मुख्य रूप से साज-सज्जा विज्ञान के उपकरण आदि की वृद्धि की गयी है। और जो भवनहीन विद्यालय हैं उनमें ही 120 स्कूलों के लिए 34 लाख रुपए का प्राविधान स्कूल बनवाने के लिए किया गया है। इसमें विज्ञान उपकरण आदि के लिए 24 लाख रुपयों क प्राविधान किया गया है, 8,000 विद्यालयों में नान-प्लान में मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। कक्षा 5 को परीक्षा के सम्बन्ध में यह सुझाव आया था कि इसकी परीक्षा पद्धति में सुधार किया जाय। तो यह जो परीक्षाएं हो रही ह उनमें सुधार किया गया है और अध्यापकों द्वारा एक सामूहिक उत्तरदायित्व निर्वाह करने की व्यवस्था की गई ह। माननीय सदस्य अवगत होंगे कि कई स्कूलों का मिलकर सरपनाई जू0हाई स्कूल बनाया जाता है।

यह भी व्यवस्था की गयी है कि एस0डी0आई0 लोग जिनके खिलाफ काफी भ्रष्टा-चार के आरोप लग रहे हैं और वास्तविकता भी है कि उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है.। तो एस0डी0आई0 को ब्लाकों में रहने के लिए शासन की ओर से निर्देश जारी किए

गये हैं। एस0डी0आई0 ब्लाकों में रहेंगे और निरीक्षण आदि करेंगे जिसकी रिपोर्ट वह शासन को प्रस्तुत करेंगे इससे काम सुचारु रूप से चलेगा। कक्षा 5 में परीक्षा के सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों की एक कमेटी होगी जिसमें एक हेड मास्टर सरवनाई स्कूल के और दो हेड मास्टर प्राइमरी स्कूलों के होंगे यह तीनों मिलकर इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेंगे। विद्यालयों में ह्रास और अवरोध जो होता जा रहा है उसके अध्ययन के लिए कुछ सीमति क्षेत्रों में प्रयोग किए गए हैं। परीक्षण के तौर पर शंकरगढ़, इलाहाबाद, डलमऊ, रायबरेली, जवां, अलीगढ़ को लिया गया है । प्रयोग के तौर पर इन तीन स्थानों को लिया गया है, इसके परिणाम का निरीक्षण किया जायगा। पहले ऐसा था कि जब नये विद्यालय खुलते थे तो उसमें केवल एक अध्यापक जाता था और एक अध्यापक होने की वजह से पढ़ाई सुचारु रूप से नहीं होती थी। तो यह प्राविधान किया गया है कि कम से कम दो अध्यापक जो नये स्कूल हैं उनमें अवश्य हों ताकि जब एक अध्यापक छुट्टी पर चला जाय तो पढ़ाई का काम न रुके ।

समाज में जो निर्बल वर्ग के हैं उनको कुछ सुविधाएं प्राप्त कराई गई हैं जैसे छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकों आदि की सहायता। अब एक नई व्यवस्था की गयी है कि निशुल्क पोशाक देने की व्यवस्था की गयी है। तो कमजोर वर्गों के छात्रों को 25 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से 40 हजार छात्रों को दिया जायगा जिसके लिए 10 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में छात्रवृत्तियां और पुस्तकों की सहायता पर प्लान में 2·15 लाख रुपए और नान-प्लान में 1·71 तथा बालाहार योजना पर प्लान में 35.50 लाख तथा नान-प्लान में 10.00 लाख रुपए हैं । बालाहार योजना जो चल रही है उसमें 135 लाख रुपए का प्राविधान है और अभी 42 जिलें इससे लाभान्वित हुए हैं और लगभग 6 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है। अब जो व्यवस्था हुई है उसमें 5 और जिलों को जोड़ा गया है। मैनपुरी, अलीगढ़, इटावा, एटा, बुलन्दशहर को लिया गया है, इनको मिलाकर 47 जिले हो गये हैं इससे अब 10 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि बालाहार योजना में बहुत सी शिकायतें आई हैं। कुछ इसमें भ्रष्टाचार हुआ है इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि बालाहार का जो वितरण हो वह जिले के गोदाम से स्कूल को सीधे कर दिया जाय और बीच में कोई बाया मीडिया नहीं होगा। दूसरी व्यवस्था यह कर दी गयी है कि पहले मुकदमें इत्यादि इस सम्बन्ध में नहीं चला करते थे। इस वर्ष व्यवस्था की गयी है कि बालाहार में अगर दुरुपयोग होता है तो उस पर मुकदमा चलेगा और उसकी वसूली बाजार के दर पर होगी। पहले लागत दर पर उसकी वसूली की जाती थी। बालाहार को रखने के लिये 7 नये गोदामों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। यह जो केयर संस्था है, अमेरिका की उसकी ओर से यह योजना चल रही है। तो एक समस्या यह आती है कि कुछ स्थानों पर जैसे नदी पड़ जाती है तो वहाँ बालाहार नहीं पहुंच पाता है। तो 100 मोटर बोट देने की व्यवस्था शासन को कर दिया है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसलिये उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो सकती है और यह भी नियम है कि इतनी वर्ष से ज्यादा बच्चा स्कूल जायेगा तो आगे वह नहीं पढ़ सकता है। इसको देखते हुये यह व्यवस्था कर दी गयी है कि अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, यदि निर्धारित आयु पर शिक्षा में प्रवेश नहीं लिया तो वह जीवन भर शिक्षा से वंचित न रह जाय और आगे शिक्षा मिले इसलिये, 9 से 14 वर्ष के बालक-बालिकायें अनौपचारिक विद्यालयों द्वारा शिक्षा पा सकते हैं। यह एक जिले में 35 बच्चों का कोटा रखा गया है। इसके 4,675 केन्द्र चल रहे हैं जिसमें 38 लाख रुपये का प्राविधान है।

मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में शिकायत आयी है कि इसमें शिक्षा शून्य हो गयी है, उसकी दशा खराब है। इसलिये प्राथमिक शिक्षा की दशा पर विचार

[श्री कैलाश नाथ सिंह]

किया गया और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि आज नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है। नैतिकता के संबंध में मान्यवर, हमारे यहाँ तो व्यवस्था रही है कि माता, पिता और आचार्य की सेवा की जाय। इसके अलावा यहाँ तक की व्यवस्था रही है कि अतिथि की भी सेवा की जाय मातृ देवोभव, पितृदेवोभव, आचार्य देवोभव, अतिथि देवोभव। लेकिन आज इस भावना के न रहने से नैतिकता का अवमूल्यन हुआ है।

तो मान्यवर, आज जब प्राइमरी कक्षाओं की पढ़ाई पेड़ों के नीचे चल रही है तो माता, पिता और गुरु से बालक चरणस्पर्श न कर सके तो इसमें नैतिकता की बात नहीं आती है। इसी लिये आज छात्रों में असंतोष की भावना आ रही है। इस संबंध में अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि –हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं जिनको पढ़कर लड़के बाप को खाप्ती समझते हैं। इसलिये बच्चों को नतिक शिक्षा दी जाय और मैं चाहता हूं कि बच्चे जिससे सुपात्र बनें। इसलिये मान्यवर, यह प्राविधान जुलाई से कक्षा 1 से 12 तक करने की व्यवस्था कर दिया है। इस संबंध में दो बैठकें भी हो चुकी हैं। नैतिक शिक्षा में पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक के लिये पुस्तकों की व्यवस्था अलग से की जायेगी। इस लिये बच्चों में जो अनुशासनहीनता आ रही है उसमें कमी होगी।

मान्यवर, बच्चों को खेल के मैदान में जाने की आवश्यकता होती है। इसलिये व्यवस्था की जा रही है कि यदि खेल या व्यायाम में कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसमें खेल-कूद की व्यवस्था में जोर दिया जाय ताकि खेल के मैदान में बच्चे अपना चरित्र निर्माण कर सकें। इसलियें नैतिक शिक्षा की व्यवस्था और खेल की व्यवस्था शुरू से आखिरी तक पढ़ाई की पुस्तकों के अलावा व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, योग में निवेदन है कि जम्बा जेट और एयरकंडीशन में बैठ कर यात्रा करने वालों के लिये योग की व्यवस्था नहीं होगी बल्कि शुद्ध भारतीय परम्परा के अनुसार कपिल कणाद और गौतमबुद्ध के देश में प्राणायाम और पल्थी मार कर योग की शिक्षा जो दी जा रही थी जिसके द्वारा शरीर स्वस्थ हुआ करता था वैसी ही शिक्षा में यौगिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। इस लिये इसमें ऐसा अंश धार्मिकता का लिया जा रहा है जैसे कि कुरान, बाइबिल। गुरु नानक ग्रन्थ से भी लिया जायेगा, गौतम बुद्ध से लिया जायेगा, जैनिज्म से लिया जायेगा और वैदिक परम्परा से लिया जायेगा और सर्वधर्म सम्भाव की शिक्षा और सबसे प्रेरणा ली जायेगी। और जो उभयनिष्ठ चीजें है जैसे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, या लीड टुआर्डस लाइट फ्राम डार्कनेस, इसकी भी व्यवस्था कर दी गयी है। वैसे तो हमारे बोर्ड में इसके लिये प्राविधान था लेकिन उसके बावजूद भी यह प्रभावी नहीं हो पाता था। तो कोशिश की जा रही है कि आगामी जुलाई से इनकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था की जायेगी।

(इस समय 1 बज कर 26 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेम सिंह चौहान पीठासीन हुए।)

इसके अलावा ईश्वर भाई पटेल कमेटी की रिपोर्ट आयी है। उसमें है कि समाजोपयोगी कार्य किये जायं और विज्ञान की शिक्षा नये तरीके से दी जाय। तो इसके लिये प्रयास किया जा रहा है कि बालकों को विज्ञान के बारे में अच्छी शिक्षा दी जाय। इस तरह से बी0 टी0 सी0 में अभिनवीकरण किया जा रहा है और विशेष प्रशिक्षण का प्राविधान कर दिया गया है। इसमें पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है। बी0 टी0 सी0 स्वयं दूसरों को शिक्षा देते है तो जैसे कि है—पर उपदेश कुशल बहुतेरे –तो स्वयं उनके ज्ञान का भी विकास होना चाहिये। तो बी0 टी0 सी0, बी एड, एल0 टी0 आदि में इसके लिये नैतिक शिक्षा का प्राविधान कर दिया गया है। इस तरह से, अध्यापकों को पुरस्कार देने की योजना भी बनायी गयी है। अगर अध्यापकों का अच्छा कार्य है तो उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिये ताकि उनका मन और पठन-पाठन में लगे।

उसके बाद मान्यवर, जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था के बारे में है। लगभग 29 लाख बच्चे 78–79 में पढ़ रहे हैं और 220 नये जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्राविधान कर दिया गया है। इन नये स्कूलों के लिये 252 लाख रूपये की व्यवस्था बजट में कर दी गयी है।

श्री राज मंगल पाँडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कुछ कहा उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है क्योंकि यह गौतम और कणादि का देश है और उसमें यदि हम अपने देश की प्राचीन संस्कृति के नाम पर कुछ कर सकें तो उससे बड़ा कल्याण होगा। लेकिन व्यवस्था और स्पष्टीकरण यह चाहता हूं कि कितने वर्ष लगेंगे इस कदम को इस देश में लागू करने में और क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी आश्वस्त हैं कि तब तक वह मंत्री बने रहेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने भाषण में आपके स्पष्टीकरण के बारे में बता ेंगे।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं यह हमेशा मानकर चलता हूं कि संसार में जीवन क्षण भंगुर है। जिसका क्षरण न होता हो, यह कल्पना ही नहीं होनी चाहिये। मैं यह मानकर चलता हूं कि थोड़े दिन का मैं भी मंत्री हूं लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि जो अच्छी चीजें है, उनसे हम हट जायं और बेइमानी को दूर करने के बारे में न सोचें। तो जो अच्छी वस्तुयें है, जो शाश्वत ह, जो यूनिवर्सल फैक्टर्स हैं, उनको तो मानकर ही चलना पड़ेगा। मैं समझता हूं माननीय पाण्डेय जी ने इसी ओर इशारा किया था।

तो मान्यवर, मैं जूनियर हाई स्कूल के बारे में बता रहा था। जो नये स्कूलों की बात है, उसमें यह है कि उनके साथ भवन भी बनाये जायं तो इस प्रकार एक जुनियर हाई स्कूल पर 80 हजार रुपया एक भवन पर खर्च करेंगे जिसमें 4 कमरे होंगे–उसका प्लान बना हुआ है तो 220 विद्यालयों पर 252 लाख खर्च होगा। जूनियर हाई स्कूल खुलेंगे और तब कम से कम इस बात में तो कमी होगी आज भवनविहीन विद्यालय चल रहे हैं, भवन जर्जर हो गये हैं यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चा कब उसमें दब जाए और कब उसको अस्पताल पहुंचाना पड़े। इसके साथ ही 59 जूनियर हाईस्कूलों की मरम्मत का काम भी हाथ में ले लिया गया है। पैसा ज्यादा नहीं था इसलिये अभी 59 लिये गये हैं। संस्कृत पढ़ाने वालों और संस्कृत के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, वैसे तो संस्कृत देववाणी है, संस्कृत के साथ हिन्दी और अंग्रेजी के साथ लेटिन। संस्कृत विद्यालयों के भवनों की साजसज्जा और पुस्तकालयों के लिये बजट में 1,48,000 रुपये का प्राविधान कर दिया गया है। 187 और संस्कृत पाठशालायें इस पंचवर्षीय योजना में ली गई है, इस वर्ष 30 ले रहे हैं। इस पर 37,000 रुपये का व्यय का प्राविधान है। संस्कृत पाठशालाओं में अध्यापकों की नियक्ति के संबंध में अभी तक कोई नियमावली ही नहीं है कि कैसे नियुक्ति होगी, कैसे प्रमोशन होगा ? इस वक्त हम इसके लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके द्वारा इसके लिए सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। इनकी सेवा नियमावली होगी, सेवा शर्तें होगी, वतनमान होगा और भी दूसरी सुविधायें जो दूसरे अध्यापकों को प्राप्त होती है, वह उनको दी जायेंगी। 200 अरैबिक मदरसे अभी चल रहे हैं जिनमें से 60 को पंचवर्षीय योजना में अनुदान सूची पर लेने का प्राविधान है। इस वर्ष 13 नये मदरसे लिये जा रहे हैं जिसमें 1,33,000 रुपये का प्राविधान किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा के विषय में, कुछ राजकीय विद्यालय चल रहे हैं, उनका उच्चीकरण प्रस्तावित है और कुछ नये राजकीय विद्यालय खोलना भी प्रस्तावित है। पिछड़े क्षेत्रों

[श्री कैलाश नाथ सिंह]

में राजकीय विद्यालयों की स्थापना का प्राविधान किया गया है। 35 नये राजकीय हाई स्कूल खोलने और 22 को उच्चीकृत करने का प्राविधान कर दिया गया है और इनमें गुणात्मक दष्टि से और भी विषय शामिल करने का प्राविधान कर दिया गया है। भौतिक आवश्यकताओं में भी सुधार किया गया है जैसे साज सज्जा, विज्ञान की सामग्री आदि। 36 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेना प्रस्तावित है। इनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको यह नहीं बताया जाता कि हाई स्कूल या इण्टर करने के बाद वे किस प्रकार से रोजगार प्राप्त कर अपनी जीविका चला सकेंगे। इसके लिये 2 केन्द्र फैजाबाद और झांसी में खुल रहे है और 7 केन्द्र पहले से है। प्रयास किया जा रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी मण्डलों में ऐसे केन्द्र खोल दिये जायें जिससे बच्चों को व्यवसायिक निर्देश भी मिल सकें और उनकी जीविका चल सके। इसके अलावा काफी समय से यह विवाद खड़ा था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् का विकेन्द्रीकरण किया जाये। वित्त मंत्री जी नेभी इस संबंध में वक्तव्य दिया था। इस समय 14 लाख विद्यार्थी उसमें बैठे है और 12 लाख विद्यार्थी जूनियर हाई स्कूल में बैठे है। करीब 26 लाख विद्यार्थी बैठे है और इसका जो मूल्याँकन कार्य चल रहा है, कुल 108 केन्द्र हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडियेट के पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और बड़े सुचारु रुप से उनका संचालन हो रहा है। गेस पेपर्स के संबंध में बहुत चर्चा हुई, इस सिलसिले में मेंरठ में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, बंद किया गया और अभी सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी चल रही है।मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक अध्यादेश के जरिये गेस पेपर्स के प्रकाशन पर बैन लगा दिया जाये। इस समय इन्टरमीडियेट की जो उत्तर पुस्तिकायें जंच रही है, कई सदस्यों को आशंका है कि परीक्षाफल समय से आ पाएगा कि नहीं? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुल्याँकन कार्य तेजी से हो रहा है और परीक्षाफल हाईस्कूल और इण्टरमीडियेट का समय से दिया जाएगा और इसके अलावा सार्वजनिक परीक्षाओं में 25 लाख विद्यार्थी भेजे जा रहे है।

इस समय बनारस में शिक्षा परिषद् का कार्यालय खुला हुआ है जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी है तथा वहाँ कार्यालय का कार्य सुचारु रूप से चला रहे हैं। मेरठ में भी यह कार्यालय चल रहा है। लखनऊ में भी इस का प्राविधान किया जा रहा है कि यहाँ भी कार्यालय खोल कर माध्यमिक शिक्षा परिषद् का एक अतिरिक्त सचिव यहाँ रखा जाय जिससे विकेन्द्रीयकरण करके सुचारु रूप से परीक्षाओं का संचालन हो सके।

यह बात सर्वविदित है और गौरव की बात होनी चाहिये कि भारत ही क्या सारे विश्व में मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के समान इतना बड़ा बोर्ड नहीं है। जो 25 लाख जूनियर हाई स्कूल और इण्टरमीडियेट परीक्षार्थियों का संचालन एक साथ इलाहाबाद में बैठ कर यह करता है।

उच्च शिक्षा के बारे में उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिये, नये स्नातकोत्तर विद्यालयों की सम्बद्धता प्रदान करने के विषय पर इस समय कड़ा नियंत्रण रखा जायगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान का प्रदेश की संस्थाओं को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों को समतुल्य अंशदान हेतु गत वर्षों की तुलना में अधिक विकास अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।असहायिक, अशासकीय डिग्री कालेजों को अनुदान सूची पर लाने तथा नए संकाय हेतु अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। 1978–79 में चरखारी (हमीरपुर), ऊंचाहार (रायबरेली) में बालकों के तथा बाँदा एवं देवरिया में महिलाओं के राजकीय डिग्री कालेज खोले गये है। वर्ष 1979–80 में तीन और नये राजकीय डिग्री कालेज खोलने की प्रस्तावना है।

सत्र के नियमतीकरण के बारें में 1977–78 की पढ़ाई तथा परीक्षाओं में कुछ व्यवधान उपत्न्न होने के फलस्वरूप वर्ष 1978–79 का सत्र मान्यवर,विलम्ब से प्रारम्भ हुआ। इसका असर परीक्षायें पूरा करने में और वर्ष 1979-80 के सत्र को प्रारम्भ करने पर पड़ा।

इसे व्यवस्थित करने और 1979–80 के शैक्षिक सत्र को विलम्बतम 15 अक्तूबर, 1979 से प्रारम्भ करने के लिए कुछ प्रभावशाली कदम उठाए गये हैं। सभी विद्यालयों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे गर्मी की छुट्टी की अवधि केवल 15 दिन कर के तथा केन्द्रीय मूल्याँकन पद्धति अपनाकर वर्ष 1978–79 की परीक्षाएं पूरी करायें। जिस प्रकार इण्टरमीडिएट और हाई स्कूल में केन्द्रीय पद्धति चल रही है उसे विश्वविद्यालय के अन्दर भी अपनाया गया है। शिक्षकों से इस बारे में परामर्श किया गया और उनके सहयोग का अनुरोध किया गया है। प्रयास यह है कि शिक्षा जगत में अब तक एक नये व्यवस्थित अध्याय का प्रारम्भ हो। इसमें आशा है कि शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का और सभी माननीय सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

यह भी कहना अनुपयुक्त न होगा कि विश्वविद्यालयों के वातावरण में सुधार आवश्यक रूप से वाँछनीय है। यह भी अनिवार्य है कि विश्वविद्यालय ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि यह सत्र बचाया जा सके। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश शासन द्वारा दिए जा चुके हैं और यदि उनका पालन किसी कारण नहीं होगा तो बाध्य होकर के सख्त से सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी।

अध्यापक प्रशिक्षण की ओर भी कई कदम उठाये गये हैं। अध्यापन प्रशिक्षण के लिए ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल के 5 वर्षों से कम सेवा के अध्यापकों को पत्राचार प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा। पाँच वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम सेवा के अध्यापकों को मिनिमम टेस्ट दे कर प्रशिक्षित मान लिया जायगा। जिनका अनुभव 10 वर्ष हो गया है उसे गुरू का काफी अनुभव जानकर उनको प्रशिक्षण से छूट दे दी जायगी। यह प्राविधान इस में कर दिया गया है।

क्रीड़ा के क्षेत्र और खेल कूद के क्षेत्र में शिक्षा विभाग के प्रोत्साहन के फलस्वरूप वैसे तो मान्यवर, वैसे तो खेल कूद विभाग शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है लेकिन डिग्री कालेज तक के लड़के खेलते हैं। जिसके कारण नई उपलब्धियाँ इसमें प्राप्त हुई हैं। जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई है उसमें प्रदेश के छात्रों और छात्राओं ने श्रीनगर तथा लखनऊ में आयोजित क्रमशः शरदकालीन खेल तथा तैराकी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वालीबाल तथा टेनिस के छात्रों ने पदक जीता और तैराकी के जूनियर छात्र वर्ग में व्यक्तिगत सर्वाधिक अंक प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया हमारे इस उत्तर प्रदेश ने।

शीतकालीन प्रतियोगिता जो नागपुर, महाराष्ट्र में हुई थी उसमें छात्रों को हाकी, एथलेटिक्स और कुश्ती में सर्वोच्च स्थान मिला। छात्र वर्ग में एथलेटिक्स में दो स्वर्ण पदक मिले। कुल मिला कर 12 स्वर्ण, 7 रजत तथा 6 काँस्य पदक उपलब्ध हुए और विजयश्री ने आपके कदमों को चूमा और इस प्रकार 1978 में सर्वोच्च स्थान यहाँ के छात्रों को मिला, शारीरिक कुशलता अभियान के अन्तर्गत। यह 1978 की राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता थी जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ पुरुष वर्ग के छात्रों ने हिस्सा लिया था और यह इस वर्ष कोल्हापुर में आयोजित हुआ।

जहाँ तक व्यय का सम्बन्ध है खेलकूद तथा विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण व्यवस्था के अन्तर्गत 2·06 लाख रुपया व्यय होगा। प्रतिभावान छात्र खिलाड़ियों को 3.23 लाख की छात्रवृतियाँ दी जायेंगी। अपना देश तथा प्रदेश जानी स्कीम के अन्तर्गत .50 लाख रुपया खर्च किया जायगा। विद्यार्थियों एवं अध्यापक/अध्यापिकाओं के नेतृत्व प्रशिक्षण की व्यवस्था के अन्तर्गत .25 लाख रुपया व्यय किया जायगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का प्रसार किया जायगा और इसमें 2 लाख रुपया व्यय होगा। युवक शिविरों का आयोजन में .12 लाख रुपया व्यय किया जायगा।

[श्री कैलाश नाथ सिंह]

इसके अलावा एक प्रौढ़ शिक्षा की योजना प्रदेश में चलाई जा रही है। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हर बिन्दु को प्रकाशित किया जायगा ताकि उस पर विचार आ जायं और फिर उचित कार्यवाही की जायगी। प्रौढ़ शिक्षा के बारें में अभी दो दिन का सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रान्तों के शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और अन्य वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी उपस्थित हुए थे। इस सम्मेलन में प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार पर चर्चा हुई कि कसे इसको बढ़ाया जाय। 1971 के जनगणना के अनुसार 178.47 लाख आदमी तथा 107.13 लाख औरतें निरक्षर पाई गयीं। राष्ट्रीय कायक्रम के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के साथ उनमें समाज की बदलती हुई परिस्थितियाँ एवं राष्ट्र के विकास कार्यक्रम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश में 2 अक्तूबर, 1978 को किया गया था।

केन्द्रीय योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 32 परियोजनाएं चलाए जाने की स्वीकृति दी गयी है। इस पर केन्द्रीय सरकार ने 5.90 लाख रुपए की रकम व्यय करने के लिए स्वीकृति प्रदान की ह। इस परियोजना के अनुसार 300 केन्द्र जिले के एक या दो ब्लाक में होंगे। प्रत्येक केन्द्र के लिए एक संचालक होगा और हर 30 केन्द्र के ऊपर एक पर्यवेक्षक होगा। सम्पूर्ण 300 केन्द्रों के लिए एक परियोजना अधिकारी रखा जायगा और हर जिले में एक प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया जायगा। इसके अतिरिक्त निदेशालय स्तर पर एक अतिरिक्त शिक्षा निदेशक और सहायक निदेशक भी नियुक्त किया जायगा।

यह कार्य केवल सरकार द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता है। स्वेच्छिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा भी यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा भी इसमें योगदान मिल रहा है। और आगे भी मिलेगा इसकी हमको पूर्ण आशा ह। अब तक 70 स्वेच्छिक संस्थाओं के आवेदन पत्र भारत सरकार को अनुदान की स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके ह। इसके साथ ही शैक्षिक प्रशासन को चुस्त करने की दृष्टि से एक विशष अध्ययन कराया जा रहा है ताकि तद्नुसार प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किया जा सके।

शैक्षिक कार्यालयों तथा कर्मचारियों के आवास के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है। महिला शिक्षा के प्रशासनिक तन्त्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के कतिपय और पद सृजित किए जा रहे हैं। अध्यापकों को भी सुविधाएं दी जा रही ह। शिक्षा के प्रसार में, अशासकीय शिक्षा संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन संस्थाओं के कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शासन प्रयत्नशील है। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत शिक्षकों की भांति पाँच नगर महापालिकाओं एवं 14 नगरपालिकाओं को राज्य निधि से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को 750 रु0 तक प्रतिमास वेतन पाने वाले शिक्षकों को उनके मूल वेतन के क्रमश: 10 प्रतिशत तथा साढ़े 7 प्रतिशत प्रति मास की दर से मकान किराया भत्ता अप्रैल, 1978 से स्वीकृत राज्य निधि से सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यम विद्यालयों के 28 फरवरी, 1977 के पश्चात् सेवा निवृत्त अध्यापकों को राजकीय विद्यालयों के समकक्षीय अध्यापकों को अनुमन्य दरों पर पेंशन स्वीकृत की गयी थी।

शासन ने उपर्युक्त पेंशन का लाभ कतिपय प्रतिबन्धों के साथ उन शिक्षकों को भी स्वीकृत किया है जो 30 जून, 1974 तथा 28 फरवरी, 1977 (दोनों दिन सम्मिलित करके) की अवधि में सेवा निवृत्त हुए हों। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/चौकीदारों जो जिला परिषदों में स्थानान्तरित होकर आये थे जिनकी कम तनख्वाह थी उनके लिए राजकीय चपरासियों/अर्दलियों/चौकीदारों के समान अनुमन्य दरों के अधीन शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन वर्दी की व्यवस्था कर दी गयी है चौकीदारों को कम्बल की सुविधा प्रदान कर दी गयी है। बेसिक शिक्षा परिषद् के नियन्त्रण में कार्यरत

450 रु0 तक वेतन पाने वाले प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों, निरीक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के अधिकतम तीन पुत्रों/पुत्रियों/पत्नियों की जूनियर हाई स्कूल के इण्टरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा के शुल्क से जुलाई, 1978 से मुक्ति प्रदान कर दी गई है। सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 30 जून, 1978 या उसके पश्चात अवकाश ग्रहण करने वाले ऐसे अध्यापकों को जो 58 वर्ष की आयु पर सेवा-निवृत्त होने का विकल्प देकर सेवानिवृत्त होते हैं राजकीय विद्यालयों के समकक्षीय अध्यापकों को अनुमन्य दर पर आनुतोषिक स्वीकृत किया गया है। शासन ने मार्च, 1978 से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर राजकीय कर्मचारियों के समान भविष्य निधि योजना लागू कर दी है तथा समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उसी दर पर पेंशन स्वीकृत कर दी है जिस पर वह राजकीय कर्मचारियों के समान स्तर एवं श्रेणी के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य है ।

विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भांति सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी अप्रैल, 1978 से मकान किराया भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया गया है ।

पर्वतीय क्षेत्र में स्थित सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 1 जुलाई, 1978 से पर्वतीय भत्ता तथा इन्हीं महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रणी कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 1979 से पेंशन तथा प्राविडेंट फंड की सुविधा स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

मान्यवर, इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। चूंकि समय कम है इसलिए मैं मुख्य बातें ही कहूंगा. . . .कुछ विद्यालय हमने पोस्ट ग्रेजएट भी किए हैं ।

एक सदस्य––

हमारे यहाँ के महाविद्यालय के बारे में बता दें . . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

कृपया व्यवधान न डालें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह––

मान्यवर, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व अब शासन ने लिया है । कुछ जूनियर हाई स्कूलों में यह होता था कि जितना भुगतान कराया जाता था या जितना लिखा जाता था उतना उनको नहीं मिलता था। इस सम्बन्ध में अब 8 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है । 1 मई, 1979 से एतद्-सम्बन्धी आदेश विद्यालयों पर लागू कर दिए गए हैं।(वेतन वितरण के नियम के अन्तर्गत) मान्यवर, इतना ही नहीं हमारे जो ट्रेनिंग कालेजेज हैं एल0 टी0 के जिनमें एल0टी0 ट्रेनिंग दी जाती है आप तो समझते हैं कि बी0एड0 की व्यवस्था अच्छी है । तो कुछ एल0 टी0 टीचर्स भी हैं जिसको लाईसेंसियट इन-टीचिंग कहते हैं । एल0टी0 अध्यापक जो हैं उनमें से किसी को कम और किसी को ज्यादा मिलता था। मई, 79 से उनका भी वेतन निर्धारण अधिनियम म लाकर यह कर दिया गया है कि उनको भी चेक के द्वारा वेतन मिलेगा ।

यहाँ पर माँग थी बहुत समय से कि गलत अध्यापक रख लिए गये, कुनबापरस्ती, जातिवाद, प्रान्तीयवाद हुआ इस तरह की बहुत सी शिकायतें आती रहीं। इसलिए जो तदर्थ नियुक्तियाँ हैं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उसको समाप्त कर दिया है । विद्यालयों में जो रिक्त स्थान पड़े हुए हैं उनको नियमित करने के लिए भर्ती के आदेश

[श्री कैलाश नाथ सिंह]

भेज दिए गए हैं। ताकि हर विद्यालय में नियुक्तियाँ कर ली जायं और अध्यापकों की संख्या पूरी हो जाय ।

बेसिक शिक्षा के हित में बेसिक शिक्षा परिषद् बनी है। जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद् में है उसी तरह इसका भी विकेन्द्रीकरण करने की बात कही गयी। बेसिक शिक्षा परिषद् के विकेन्द्रीकरण का भी प्रयास हो रहा है और यह निर्णय जिला स्तर पर ही होंगे। ट्रान्सफर की माँग विधायकों की आती थी। इसका विकेन्द्रीकरण होगा माननीय वर्मा जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था इसका प्रयास पूरा-पूरा किया जा रहा है जो जिला स्तर पर बी0टी0सी0 अध्यापक हैं उनके केसेज का निस्तारण जिला कमेटिय के द्वारा किया जाय न कि शासन द्वारा। लेकिन जब कोई ऐसी बात हो और निर्णय शासन द्वारा अपेक्षित हो जाय तो उस पर निर्णय यहाँ से होगा शेष उन्हीं पर छोड़ दिया गया ह।

माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल के समय वैकल्पिक शिक्षक रखे गए उसमें बड़ी गड़-बड़ियाँ थीं। मैं समझता हूं कि सरकार हाई कोर्ट से हार गयी, सुप्रीम कोर्ट में मामला जमा नहीं। हम कुछ दे नहीं पाए मुझे दुख है शिक्षक किसी के साथ जुड़ा हो उनको कुछ देना चाहिए लेकिन ऐसा मामला आ गया है कि दे नहीं सके। इस सम्बन्ध में जो दिसम्बर, 77 और जनवरी 78 में हड़ताल हुई और बाद में काम पर वापस आ गए। उनकी यह माँग 22 महीने से चली आ रही थी कि उन्हें वेतन दिया जाय। अध्यापकों की हड़ताल की अवधि के लिए अनुमन्य धनराशि के आधे भाग का नकद भुगतान किया जायगा तथा शेष धनराशि के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वितरित करने का निर्णय ले लिया गया है और शासनादेश जारी कर दिया गया है। 8, 9 दिन पहले जी0 ओ0 सब जगह भेज दिया गया है।

शासन ने यह भी विचार-विमर्श किया है कि जैसे हाई स्कूल के प्रधानाचार्य हाई स्कूल के उच्चीकरण होने पर अगर यह योग्यता प्राप्त प्रधानाचार्य हैं, क्वालिफाइड ह उच्चीकरण होने पर इण्टरमीडिएट के प्रधानाचार्य पद पर रख लिया जाता है, उसी प्रकार जब जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल बनने पर उसके जो प्रधानाचार्य हैं उनको ही प्रधानाचार्य बना दिया जाय अगर वह उसके लिए अर्ह हैं। विचाराधीन है।

मान्यवर, ऐसा नियम है, आप शिक्षक हैं भली भांति जानते हैं कि हमारे यहाँ कक्षा 9 में पहले सीधी भर्ती कर ली जाती थी उसमें दो अध्यापक परीक्षा ले लेते थे और उन्होंने प्रथम-प्रथम लिख दिया तो 9 वी कक्षा में सीधी भर्ती हो गयी। एक विद्यार्थी जो एक से 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक संघर्ष करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए फाटक पार करता था और तब कहीं 9 में पहुंचता था और दूसरी सीधे घर से आया और 9 में भर्ती हो गया। तो इस वर्ष पहली बार सार्वजनिक परीक्षा जूनियर हाई स्कूल की हुई है जिसमें 12 लाख विद्यार्थी एक मन्च पर परीक्षा दे रहे हैं। हमारे सामने समस्या थी कि शिक्षा का समान स्तर हो, समान पाठ्यक्रम हो और जो व्यवसायिक शिक्षा प्रतिष्ठान चल रहे हैं उनको बन्द करने का प्रयास किया जाय। बहुत से विद्यालय इस समय ऐसे चल रहे हैं जो फीस ज्यादा लेते हैं और अध्यापकों को कम तनख्वाह देते हैं और रजिस्टर नहीं बनाते हैं। इसकी भी जाँच कराई जा रही है। जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं उनको बन्द करने की योजना पर विचार-विमर्श हो रहा है। इस योजना में हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि सीधी भर्ती अब 9 में न की जाय और अब 8 वीं सार्वजनिक परीक्षा होगी इसलिए 7 तक भले ही कोई आ जाय लेकिन 8 वीं में परीक्षा देना उनका अनिवार्य हो जायगा। और जब वह उस सार्व-जनिक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तभी उसका नाम 9 में लिखा जायगा। 8 में पास होने के बाद 10 में सीधे इम्तहान दे दें एक साल में, इसलिए यह प्राविधान किया जा रहा है कि 8 पास करने के बाद दो वर्ष बाद ही वह हाई स्कूल की परीक्षा में बैठ सकता है। इसके

अलावा उसके पहले अब सदाचार के लिए अनिवार्य नम्बर कर दिया गया है। इसलिए यह व्यवस्था करने का प्राविधान किया गया है कि सीधी भर्ती पर पाबन्दी लगाई जाय।

मान्यवर, यह बाल वर्ष है, इसमें बच्चों के लिए बात होनी चाहिए। बच्चों का साहित्य क्रय करने का प्राविधान कुछ वर्षों से बन्द कर दिया गया था, अब इस साल से प्राविधान किया गया है कि बच्चों के लिए अच्छा-अच्छा साहित्य खरीदा जाय और जो चुने हुए बाल साहित्यकार हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाय। इसलिए बाल साहित्यकारों को पुरस्कार देने की योजना बना दी गयी है। इसके अलावा अध्यापकों का यह भी कहना था, क्योंकि बहुत से अध्यापक मार दिए गए कि उनके लिए बीमा योजना लागू की जाय। इसलिए गैर सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के लिए सामूहिक जीवन-बीमा योजना का लाभ लेने का निर्णय कर लिया गया है और इसे देने से मैं समझता हूं अधिकाँश अध्यापक लाभान्वित होंगे।

एक व्यवस्था और, वह यह है, जैसे आज हमारे यहाँ लिखा तो होता है कि सिगरेट-इज-इन्जूरियस-टू-हेल्थ, किन्तु उसके बाद भी पीने का पूरी तरह से अलग नहीं होता है कोई पीने में कमी नहीं। तो मैं पीने वालों को नहीं कहता क्योंकि लर्निंग-बाई-इमिटेशन चलता है यदि अध्यापक पीना शुरू कर देंगे तो छात्र भी कभी-कभी पी लेंगे। अतः पीने के इस दुर्गुण को दूर करने और छात्रों में उसका प्रचार रोकने के लिए हमने इस प्रकार का एक आदेश दिया है, जो पहले भी था, उसी को और प्रभावी बना दिया गया है। अब कालेज कम्पाउन्ड के अन्दर छात्रों और अध्यापकों के लिए चरस, गाँजा, भांग, सिग्रेट, शराब पीना पूर्णतया निषिद्ध कर दिया गया है और इस निषेधाज्ञा में अभिभावक भी आते हैं, उनसे भी निवेदन किया जायगा कि वे भी कालेज कम्पाउन्ड में आने पर इनका प्रयोग न करें। इसके बावजूद भी अगर कोई पीता हुआ पाया जायगा, तो उसे भी दंडित करने की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)––
लारी साहब का क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)––
सुरती के बारे में क्या होगा ?

श्री राम आसरे वर्मा––
बीड़ी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, गौरी शंकर जी तो बीड़ी पीने वाले हैं ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––
मैं कुछ नहीं पीता हूं, कोई नशा नहीं करता।

श्री कैलाश नाथ सिंह––
मुझे इधर कहीं-कहीं बहुत ज्यादा यह भी देखने में आया कि हिन्दी का प्रयोग वर्जित होता है। इसलिए अब नये सिरे से आदेश दिया गया है कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य शुद्ध हिन्दी में किया जायगा।

इसके साथ ही जो फर्जी विद्यालय चल रहे हैं, जिनकी ओर माननीय विधायकों ने भी मेरा ध्यान आकर्षित किया है, उनके बारे में भी हम कार्यवाही करने जा रहे हैं। हम पता लगा रहे हैं और वे भी हमें उनका पता बतायें कि कहाँ-कहाँ ऐसे विद्यालय चल रहे हैं, जो अनुदान सूची में सम्मिलित हैं, लेकिन उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। इस पर कड़ी रोक लगाई जायगी, कोई भी ऐसा विद्यालय मिलेगा तो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी बख्शा नहीं जायगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)––
अधिकारियों का क्या होगा, जो जिम्मेदार हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी. . . . .

(व्यवधान)

यह तो अपने आप में इम्पराइड है। कुछ लोगों ने आरक्षण के बारे में कहा था जब से यह लागू हुआ है यह व्यवस्था की गयी है 18 परसेन्ट हरिजन, जो आरक्षण की व्यवस्था है, लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। एस0डी0आईज निरीक्षण कार्य नहीं करते। सत्य को ग्रहण करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है, कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं कि ब्लाक में रहें और जाने के बाद विद्यालयों का निरीक्षण करें क्योंकि यह सूचना बराबर मिल रही है कि अध्यापक स्कूलों में नहीं जाते। मैं अध्यापक हूं। मुझे पूरा हक अध्यापकों से कहने का है, उस नाते कह रहा हूं, कर्तव्य परायण भी होना चाहिए। विद्यालयों में जाना चाहिए। पढ़ाई-लिखाई भी करनी चाहिए। अब यह व्यवस्था की जा रही है कि जो मिल जायेंगे कि ऐसा नहीं कर रहे हैं,उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायगी। मान्यता देने के सम्बन्ध में बहुत दिनों से यह माँग चली आ रही थी कि मान्यता समिति से जो सिफारिश आये उसकी पुनः जाँच करवा दें। माननीय विधायकों ने और माननीय संसद सदस्यों ने लिखा। पुनर्विचार की दृष्टि से कर लिया है। मान्यता कमेटीज की जो संस्तुतियाँ हैं उनकी सूची बनवा रहे हैं। उसके आधार पर शीघ्र मान्यता देने के लिए जा रहे हैं। . . .

(व्यवधान)

हमारी कुछ वित्तीय कमी भी है। जरा उसको देख लें कि वित्तीय भार कितना बढ़ रहा है। अगर सब करवा दीजिएगा तो नहीं हो पायेगा। वैसे हमारी भावना बहुत उदार है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक को मान्यता दी जाय जितने भी साधन हैं उनके अन्दर।

एक बात और है। यह प्रश्न आया था जो विद्यालय पब्लिक स्कूल की तरह चल रहे हैं उनके बारे में। एक बात जरूर है, समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम और समान स्तर परीक्षा के हों, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल बनाये जायं, जो कि टेलेंटेड गिफ्टेड चिल्ड्रेन हैं, उनको अधिक से अधिक शिक्षा देकर आगे बढ़ाया जाय ताकि कम्पटीशन में आयें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षा पर बता दें।

श्री कैलाश नाथ सिंह--

इसका अर्थ यह है कि अगर किसी आई0ए0एस का लड़का है, किसी किसान, मजदूर का लड़का है, किसी हरिजन या पिछड़े वर्ग का लड़का है, सबको एक स्थान पर पढ़ाना चाहिए मेरी परिभाषा से आप सन्तुष्ट होंगे। मेरी परिभाषा भी है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

समान पाठ्यक्रम ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

समान पाठ्यक्रम हो गया। इस वर्ष जूनियर हाई स्कूल की परीक्षाएं हुई हैं समान पाठ्यक्रम में। जिन लोगों ने केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया था, केवल इस वर्ष छूट दे दी गयी है अगले वर्ष कदापि छूट नहीं दी जायगी।

पाँचवीं बात। शिक्षा के क्षेत्र में काफी लोगों ने योगदान दिया है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने कहा है--जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभगुणों को प्राप्त करे, और अविद्या आदि दोषों को त्याग कर सतत आनन्दित रह सकें वह शिक्षा है। इस निर्देश को ध्यान में रख कर शिक्षा में परिवर्तन करने का विचार हो रहा है कि कैसे छात्र विद्या आदि शुभ गुणों को प्राप्त करें और अविद्या आदि दोषों को त्याग करें। स्वामी विवेकानन्दन ने कहा है--शिक्षा मनुष्य में अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार मनुष्य को

मनुष्य बनाने को शिक्षा कहते हैं। महात्मा गाँधी ने लिखा है--बालक के भीतर से सर्वोत्तम को सर्वदा भावेन बाहर निकालना उसके शरीर, मन और आत्मा का विकास करना। शिक्षा को बालक और बालिका के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिये। कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं कही जा सकती है जब तक बालक और बालिकाओं को उपयोगी न बना दे। अच्छे नागरिक बनाने के लिए, नैतिकता का ज्ञान लाने के लिए यह शिक्षा का प्राविधान किया गया है। मैं समझता हूं कि बालक और बालिकाओं का सर्वांगीण विकास तब होगा जब उनका आध्यात्मिक, चारित्रिक, शारीरिक और मानसिक विकास होगा और वह अध्यात्मवाद की ओर जायगा तभी बालक का चारित्रिक निर्माण होगा।

मान्यवर, मैंने काफी वस्तुओं पर प्रकाश डाला है और उनको माननीय सदस्यों के सामने पेश किया है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि संसद सदस्यों, विधायकों, शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षा विद, छात्रों, अध्यापकों अभिभावकों तथा अन्यान्य लोगों का जो शिक्षा के प्रेमी हैं उनको मैं आमन्त्रित कर चुका हूं और माननीय सदस्यों को आमन्त्रित कर रहा हूं। कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि शिक्षा और परीक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उनके सुझाव उसके बारे में आमन्त्रित कर रहा हूं। यह 14 वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है, बालकों और बालिकाओं में नैतिक ज्ञान का विकास करने के लिए, उसके लिए मैं विधायकों से सुझाव मांग रहा हूं। यह अवश्य है कि इस बारे में आपके सुझावों का समुद्र होगा और उनमें 14 रत्न की प्राप्ति हमें होगी। अगर एक दो विष भी निकल आवेंगे तो हम नीलकण्ठ बनने का प्रयास करेंगे। यदि शिक्षा मान सहित विष खाय कर शम्भु भयो जगदीश में परिवर्तन आ जाय और उसमें अच्छाइयां आ जायं तो मैं समझूंगा कि मेरे जैसे शिक्षा मन्त्री का बड़ा भारी सौभाग्य होगा। जिन मुद्दों को उठाया गया है, माननीय सदस्य अपने सुझाव दें।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)---

माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने कुछ जबान का भी मसला उठाया है, तो मैं शेर कहना चाहता हूं

चलने लगी गुप्तियां छुरी इन्तकाम की,
छाटी गयी तमाम लफ्जे जो भी काम की,
रहमान ही की बस चली न राम की,
गुद्दी से खिंच गयी जो जबान थी अवाम की,
हैवान बौखलाकर मुंह खोलने लगे,
इन्सानी बोलियों को नई बोलने लगे।

श्री अधिष्ठाता---

कोई माननीय सदस्य यदि कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 111 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने बड़े लच्छेदार शब्दों का प्रयोग किया और उनमें जो उनकी रीति रही है और नीति रही है उस की चर्चा की। हम जानते हैं कि जिस देश में जन तांत्रिक पद्धति हो और संसदीय प्रणाली हो, उसके विकास के लिए और उसकी सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। जब तक उसको समान अवसर नहीं मिलते हैं तब तक उस

[श्री देव बहादुर सिंह]

के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। व्यक्ति के विकास के लिए कितनी सुविधाये यह सरकार देती है, कितनी सहायता यह सरकार देती है उसकी विवेचना अगर हम करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारी सरकार इस विषय में शून्य है। शैशव काल से व्यक्ति का विकास प्रारम्भ होता है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नर्सरी स्कूल हमारे प्रदेश में कितने है मान्यवर कुल 10 हैं और उनसे क्या उन सभी बच्चों का विकास सम्भव है, मैं कहता हूं कि कतई नहीं। यही नहीं मान्यवर, वह धार्मिक संस्थाओं के हाथ में है। अभी तक सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया है।

हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की बात कही है। उन्होंने शिक्षा नीति और शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की बात कही लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने कितने स्कूल खोले और उनके लिए क्या प्राविधान किया। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी नीति जो शिक्षा की है वह दोषपूर्ण है। प्रदेश में जनतन्त्र के विकास के लिए हर व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिल रहा है। इसलिए शैशव काल में हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, इस प्रकार की आपकी कोई शिक्षा नीति बनानी चाहिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री चन्द्र ने शिक्षा नीति घोषित की, उसका उल्लेख माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने नहीं किया। अगर उसका उल्लेख किए होते और उसका समिश्रण किए होते तो मैं समझता कि हमारे शिक्षा मन्त्री जी और उनकी सरकार इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो केन्द्रीय सरकार ने नीति घोषित की है उस पर कोई महत्व नहीं दिया है। और जिस रास्ते पर यह चल रहे हैं उससे हमारा विकास नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों का संख्यात्मक विकास हो रहा है, उनका गुणात्मक सुधार जब तक नहीं होगा तब तक उसके पढ़ने वाले बच्चों के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। हमारे प्राइमरी स्कूलों में पढ़े छात्र और पब्लिक स्कूलों में पढ़े छात्रों में बड़ा अन्तर होता है। पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए लड़के आई0 ए0एस0 और पी0सी0एस0 बनते हैं। यह हमारी शिक्षा की विडम्बना है। आपको सभी को समान अवसर देना होगा।

केन्द्रीय सरकार की नीति का समावेश आपने क्यों नहीं किया, उसमें पब्लिक स्कूलों की बात साफ है। सम्पूर्ण शिक्षा भारतीय भाषाओं में की जायगी और जो उपाधियां हैं उनके आधार पर नियुक्तियां समाप्त की जायेंगी। पब्लिक स्कूलों में भी शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जायेगी। मान्यवर, इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा की ओर भी हमारी सरकार को उन्मुख होना पड़ेगा। चरित्र निर्माण की व्यवस्था की जायगी। मान्यवर, यह तो प्रारम्भिक चीजें हैं। माध्यमिक डिग्री और यूनिवर्सिटीज की बात आगे कहूंगा। जो पब्लिक स्कूलों के बारे में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो कहा है उसको क्या हमारे माननीय मन्त्री जी मानने के लिए तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो मैं मानूंगा कि आपकी आमूल-चूल परिवर्तन की बात ठीक है और वह एक बुनियादी बात है। इसलिए यह गुणात्मक सुधार की क्या घोषणा कर दी कि कक्षा 2 में कोई लड़का फेल नहीं होगा। कक्षा 5 में फेल नहीं होगा, कक्षा 10 में फेल नहीं होगा। तो माननीय मन्त्री जी की मान्यता है कि इससे गुणात्मक सुधार होगा। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि फेल न होने से क्या किसी बच्चे में गुणात्मक सुधार हो सकता है? क्या हमारे प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे उतने ही योग्य, उतने ही कर्मठ और समाज के कार्य कलापों से विज्ञ हैं, जितने की पब्लिक स्कूल्स से निकलने वाले बच्चे होते हैं। उन स्कूलों में नहीं सुना कि कक्षा 2 में या कक्षा 4 में बच्चे फेल नहीं किए जायेंगे। मैं आपकी लगन और आपके प्रयासों की सराहना करता हूं लेकिन वे सारी की सारी भ्रमित हो गयी हैं, दिशाहीन हो गयी हैं। आपने प्राइमरी स्कूल्स देखे हैं, आप इण्टर कालेज में पढ़ाते हैं.....

श्री अधिष्ठाता--

उच्च शिक्षा पर सम्भवत: सेहरा जी बोलेंगे तो आप उसके बारे में न कुछ कहें। आप आश्वस्त रहें कि आपको पूरा समय मिलेगा।

श्री देव बहादुर सिंह--

आपके जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें चले जाइए और देखिए कि क्या वहां पर तख्ता, स्याही हैं, टाट पट्टी हैं, चाक हैं,लोटा है, बाल्टी है, मेज कुर्सी हैं, नहीं हैं तो आज आपको घोषणा करनी चाहिए थी कि जो अनिवार्य चीजें हैं, उनको हम हर प्राइमरी स्कूल में उपलब्ध करायेंगे और जब तक आप यह काम नहीं करेंगे तब तक आप गुणात्मक सुधार नहीं कर पायेंगे। कक्षा 2 में पास करके आप इस प्रकार का सुधार नहीं कर सकते हैं। यह तो वह होगा कि बच्चा घर में बैठा रहेगा और आप उसके पास सर्टिफिकेट भेज देंगे। मैं तो बुनियादी शिक्षा की बात करता हूं। जब तक आप बुनियादी शिक्षा में सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई सुधार चाहे वह जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, चाहे डिग्री और चाहे वह यूनिवर्सिटी शिक्षा हो, नहीं होने वाला है। आप घोषणा करते कि पहले हम अपने प्राइमरी स्कूल्स की शिक्षा को पब्लिक स्कूल के स्तर तक कर देंगे फिर बाद में जूनियर स्कूल्स, हाई स्कूल्स और इण्टरमीडिएट कालेजों की बात करेंगे। हम चाहेंगे कि जो शिक्षा पब्लिक स्कूलों में बच्चों को दी जाती है वही आप हमारे प्राइमरी स्कूल्स में दें। आज जो बच्चे इन प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनमें एक हीन भावना पैदा होती है। वे सोचते हैं कि अगर हम पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते तो हम भी आई0सी0एस0 या पी0सी0एस0 की परीक्षाओं में सफल हो सकेंगे। उनका कहना है कि हमारे विकास का कोई अवसर नहीं होता है। इसलिए आप पब्लिक स्कूल्स की शिक्षा को अपने प्राइमरी स्कूल्स में दें। यह भी कहा गया है कि पब्लिक स्कूल्स में हम क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देंगे, वहां से अंग्रेजी हटायेंगे। आज हालत क्या है। आप कह सकते हैं कि अल्प संख्यकों को वह शिक्षा देना चाहिए जो हमारे संविधान में वर्णित है तो उसको देखें क्या वे लाभान्वित हो सकते हैं। पाकिस्तान में वहां के प्रेसीडेंट श्री जिया ने एक आदेश से पब्लिक स्कूल्स में अंग्रेजी समाप्त कर दी। यहां भी अब पब्लिक सर्विस कमीशन में अंग्रेजी में परीक्षा अनिवार्य नहीं है। अंग्रेजी के लिए जाना चाहते हैं तो लोग विदेश चले जायं। फिर मान्यवर, मन्त्री जी तो अंग्रेजी हटाने के पक्ष में रहे हैं। पब्लिक स्कूलों में आप अंग्रेजी समाप्त कर दें और उनको भी इन स्कूलों के समकक्ष ले आये तब मैं समझूंगा कि आपने कोई ठीक परिवर्तन किया है।

प्राइमरी स्कूलों में, मान्यवर, शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। वहां के अध्यापक एस0 डी0 आई0 से मिले रहते हैं और उसे खुश रखते हैं, इसके बाद वे चाहते हैं तो पढ़ाने जाते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं जाते हैं। आप चाहे फ्लाइंग स्क्वायड से या किसी भी तरह इसकी जांच करवा कर देख लें, यह चीज आपको देखने में मिलेगी।

फिर आपने यह अनुपात निर्धारित किया है कि 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होगा। इस अनुपात से नैनीताल में ही 200 अध्यापकों की कमी है। आज बी0टी0सी0 पास हजारों अध्यापक घरों में बेरोजगार बैठे हैं। एक तरफ यह स्थिति है, दूसरी तरफ आपके यहां अध्यापक नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप प्राइमरी स्कूलों की स्थिति को सुदृढ़ बनायें, जो कमियां हैं उनको दूर करें।

जूनियर हाई स्कूलों की परीक्षा का एक अलग केन्द्र आपने बनाया है,अच्छा किया है यह काम। लेकिन आज पर्चे आउट हो रहे हैं। जब पर्चे आउट हो जायेंगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। इसलिए इस ओर भी आप कोई कदम उठायें।

जूनियर हाई स्कूलों की इमारतों की भी समस्या है। जो स्कूल चल रहे हैं कहीं-कहीं बहुत ही पुरानी बिल्डिगों में हैं। उनकी मरम्मत के लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है। उस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। पहले एक दो कमरों में जूनियर हाई स्कूल

[श्री देवबहादुर सिंह]

खुल जाता है, धीरे-धीरे बच्चे बढ़ते जाते हैं, मगर जगह उतनी ही रहती है । हमारी जानकारी है कि बहुत से स्कूल आज ऐसे हैं कि जहाँ 500 से लेकर 2000 रुपए तक अगर खर्च कर दिए जायें तो उनकी इमारत बिलकुल ठीक हालत में हो सकती है । अगर उनकी मरम्मत के लिए अभी आप पैसा नहीं देंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि तमाम भवन गिर जायेंगे और जो इस समय हजार 500 में ठीक हो सकता है वह हजारों रुपयों में भी ठीक नहीं हो पायेगा । मान्यवर, सरकार नये भवनों के लिये 17 या साढ़े 17 हजार रुपये दे रही है । इसमें दो कमरे बनते हैं । मेरा सुझाव यह है कि कम से कम एक स्कूल में दो कमरे, एक वारान्डा अवश्य होना चाहिये । जब इस तरह के भवन आप बनायेंगे तभी काम ठीक तरह से चल पायेगा ।

एक शब्द और मैं हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिऐट की शिक्षा के बारे में कहूंगा । मंत्री जी एक अच्छे अध्यापक रहे हैं, कानून के भी ज्ञाता है । आज स्कूलों में जो दादागीरी चल पड़ी है, जो नकल हो रही है, उस ओर ध्यान देने की जरूरत है । आपने सदाचार की शिक्षा की बात कहीं, ठीक है, मगर उसमें भी तो चाटुकारिता के नम्बर दिये जा सकते हैं । आप कोई ऐसा परिवर्तन करें जिससे जो अराजकता की स्थिति आज देखने में आ रही है वह न रहे ।

जो निजी क्षेत्र में स्कूल चलते हैं क्या हालत है ? क्या हालत इस विभाग ने कर रखी है ? भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया है । शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त कराना हो, तो जितनी भी रिपोर्ट मंगाना हो, हर जगह दक्षिणा दे दिया जाय, रिपोर्ट ठीक होती जायगी । बिना पैसा दिये मान्यता प्राप्त हो जाय, यह असम्भव है । मंत्री जी एक बात मैं आप से कहता हूं, आप चेक से पैसा देते है, काहे नहीं राष्ट्रीयकरण कर लेते माध्यमिक शिक्षा का, अब कौन सी चीज उसमें रह गयी है, आप फीस लेते है, तनख्वाह उनको चेक से देते हैं । जो हाई स्कूल , इण्टरमीडियेट स्कूल निजी लोगों के हाथों में है, उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देते हैं ?

मान्यवर, अब तो जूनियर हाई स्कूल तक का चेक से वेतन देने की आप बात कर रहे है, तो उनको आप अपने हाथों में क्यों नहीं ले लेते हैं । श्रीमन्, मेरे पास एक सूचना मिली है, 1976 में एक इम्तहान हुआ था फैजाबाद विश्वविद्यालय में, बी0 एस-सी0 पार्ट (i) कृष्ण मोहन पाण्डेय, रोल नं0 2543, नम्बर उसको टोटल 197/500 मिला था, फिर 77 में पार्ट (ii) में नहीं बैठा, 78 में बैठा, उसमें उसका रोल नं0 हुआ 19761 । पार्ट (ii) में पार्ट (i) का नम्बर जोड़ा जाता है । 193 नम्बर के स्थान पर 363 नम्बर उसका जोड़ दिया गया और उसको फर्स्ट क्लास दे दिया गया । यह तो विश्वविद्यालय की शिक्षा की बात है । यह अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद का है और इसमें मान्यवर, कुल सचिव का दस्तखत है । पता नहीं किसकी साजिश से यह काम किया गया । आपने यह कहा कि यह सत्र बड़े विलम्ब से हो रहा है । आप अभिभावक भी हैं । अभिभावक पर कितना भार बढ़ता चला जा रहा है, जबकि वह परीक्षाएं टलती जा रही हैं । मैं यह माँग करता हूं कि परीक्षाएं न बढ़ें और नकल की परिपाटी बन्द किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)---

श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, उच्च शिक्षा के बारे में मंत्री जी ने विशेष कोई अपने भाषण में उल्लेख नहीं किया लेकिन मैं एक उल्लेख अवश्य करूंगा कि उच्च शिक्षा के मंत्री श्री शिवा नन्द नौटियाल जी. . . . .

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सेहरा जी 10 मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री गुलाब सेहरा--

15 मिनट में समाप्त कर लूंगा। बहरहाल मैं आपकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में हो जाय। नौटियाल जी ने बिलकुल स्पष्ट शब्दों में श्रीमन्, कहा था कि अगर ये अनियमितताएं विश्वविद्यालय नहीं बन्द करेंगे, तो मुझे मजबूरन जीरो सेशन की घोषणा करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जो उनको ग्रान्ट कमीशन से मिलने वाली हो, वह सब बन्द हो जायेगी। मेरा कहना यह है कि मंत्री जी ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, शिक्षाप्रद था लेकिन मै कहना चाहता हूं कि भाषण से ही आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में। मूतपूर्व मंत्री कालीचरन जी भी ओजस्वी भाषण देते थे तो अगर आपको वाकई बुनियादी परिवर्तन करना है तो उसके लिए कदम बढ़ाना होगा। पिछले महामहिम राज्यपाल के भाषण में शब्दों का आडम्बर है। इसमें 1978-79 में 284 करोड़ रुपया शिक्षा पर रखा गया है जिसका पूरे राजस्व में 20 प्रतिशत आता है।

जब आप पैसा की व्यवस्था नहीं करेंगे तो स्थिति क्या होगी। इतने किलोमीटर तक स्कूल होंगे, यह सब पूरी चीजें होगी, मैं नहीं जानता कि यह सब पूरा हो पाया है या नहीं। मैं यूनिवर्सिटी की बात करता हूं। प्रत्येक विश्वविद्यालय में इतना भ्रष्टाचार है कि पिछले सत्र की आगरा विश्वविद्यालय की जो उत्तर पुस्तिकायें है, जो लोगों ने इम्तहान दिये है, नम्बर दिये जा चुके थे केवल रिप्लेसमेन्ट हुआ था, डिवीजन बढ़ाया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 10 हजार हस्ताक्षरयुक्त कम्पलेन्ट दी गई, उसकी जाँच हो रही है। झांसी विश्वविद्यालय में वहाँ के कमिश्नर जांच कर रहे है। कानपुर विश्वविद्यालय में जाँच कर रहे हैं लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं, कोई परिणाम नहीं। इतनी अनियमितताओं के बाद भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी के काम पुनः सौप दिये जाते हैं। सी0 पी0 एम0 टी0 के परीक्षायें मेरठ को सौपी गयी और आप आश्चर्य करेंगे कि जिन छात्रों का थ्रू-आउट रिकार्ड थर्ड-क्लास रहा उन लोगों ने 50-50 हजार रुपये खर्च कर सी0 पी0 एम0 टी0 में आ गये। ऐसे 10 लड़कों के नाम मैने शिक्षा मंत्री को दिये थे। अब आश्चर्य यह है कि आगरा विश्व-विद्यालय की कापियाँ बदलने के बाद, डिवीजन बदलने के बाद सी0 पी0 एम0 टी0 का पूरा उत्तरदायित्व आगरा विश्वविद्यालय को दे दिया गया। इस इम्तहान में वहाँ खुले आम जिस लड़के को प्रथम आना है, 30-40 हजार की बारगेनिंग चल रही है।

मैं नहीं जानता कि चिकित्सा के क्षेत्र में जब इस तरह के छात्र आयेंगे तो इस प्रदेश का और मैं समझता हूं कि पूरे देश का स्वास्थ्य किस प्रकार ठीक रखे जायेंगे। इसका ईश्वर ही मालिक है। मेरठ विश्वविद्यालय में अगर आप सी0 पी0 एम0 टी0 का मामला देखें तो वहां पर लोगो का सी0 पी0 एम0 टी0 में इम्तहान रुपया देकर हो गया, सेलेक्शन कलेक्शन हो गया और मेडिकल कालेजों में उनकी भर्ती भी हो गई। जब आगरा विश्वविद्यालय को यह उत्तरदायित्व सौपा गया। इसमें बुनि-यादी रूप से परिवर्तन कर सुधार करना चाहिये। उसका एक सिस्टम मैं बताना चाहता हूं। सुना गया है कि उसमें प्रश्न होते है और केवल 'हाँ' 'ना' करके उत्तर दिये जाते हैं और एक इंडेक्स भी शामिल होता है। प्रश्न पत्र भी उस कापी के साथ पंच होता है।

श्रीमन्, पूरे प्रदेश में जहाँ-जहाँ सेंटर रखे जायेंगे कापियाँ भेजी जायेंगी। केवल पंच निकाल कर उसको देख करके और इंडेक्स की कापी बनाकर कोई भी व्यक्ति कितने ही लड़कों को उसमें नकल करा सकता है। कंप्यूटर से जाँच होने की बात चल रही है। कंप्यूटर की जाँच में पंच करने वाला व्यक्ति जिसको चाहे उसको पास करा सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर शिक्षाविदों जो शिक्षा के ज्ञाता हैं उनको आमंत्रित करके कम से कम जो चिकित्सा शिक्षा है उसके बारे में शिक्षाविदों से जानकारी करके कुछ बुनियादी परिवर्तन की बात होनी चाहिये। मुझे आश्चर्य होता है कि डिप्टी

[श्री गुलाब सेहरा]

रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जो हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो इनको सी० पी० एम० टी० की परीक्षाओं के संबंध का अधिकार दिया गया है। मैं कई रजिस्ट्रारों को जानता हूं कि वह भ्रष्टाचार के मामलों में 6, 6 महीने मुअत्तल रहे हैं लेकिन फिर वह आ गये। सबसे बड़ी बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने भाषण में यह नहीं कहा कि विश्वविद्यालयों में बुनियादी परिवर्तन की बात तुरन्त होनी चाहिये, क्योंकि उच्च शिक्षा में डिग्री प्राप्त होती है।

लेकिन जो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर आप दूसरे प्रदेशों में जायं, केरल, महाराष्ट्र में जायं तो वह मान्यता नहीं देते। श्रीमन्, वहाँ एडमीशन भी नहीं मिल सकता, अगर मेरठ यूनिवर्सिटी, आगरा कानपुर यूनिवर्सिटी की डिग्री हो। यह जो स्तर इतना गिरा हुआ है इसका प्रचार अपने प्रदेश में ही नहीं बाहर प्रदेशों में है। आपकी शिक्षा स्तर पर अपमानित होना पड़ता है। दूसरी बात यह शिक्षा मंत्री जी ने नहीं कही, इसका मुझे थोड़ा दुख हुआ कि विश्वविद्यालयों में, अध्यापक, हेड आफ डिपार्टमेन्टस में कहीं आरक्षण की बात नहीं है। मैं सत्य बता रहा हूं कि जितने डिग्री कालेज है आप उनमें जाँच करा लें तो वहाँ पर अध्यापक, प्रोफेसर्स में सेड्यूल कास्ट और सेड्यूल ट्राइब्स के कितने लोग हैं, उनकी संख्या निल है। मैं आगरा कालेज की घटना बता दूं। एक लड़का जो शेड्यूल कास्ट का था उसने आवेदन पत्र लेक्चरर के लिये दिया वह ड्राइंग में आना चाहता था, लेकिन नहीं आ पाया। एक भी प्रोफेसर, लेक्चरर उस कालेज में नहीं है। इसी प्रकार प्रदेश में जितने डिग्री कालेज हैं उनमें ऐसी पोस्टों में एक परसेंट शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं हैं। आप, हों तो बता दें, मैं मान लूंगा। यही स्थिति मेडिकल कालेजों में है।

आप आश्चर्य करेंगे कि एक घटना मेडिकल कालेज झांसी की है वहाँ एक शेड्यूल कास्ट का लड़का 4 वर्ष तक एक सबजेक्ट में फेल होता रहा, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, आत्म हत्या कर ली। उसके प्रोफेसर और लेक्चरर ने एम० बी० बी० एस० फाइनल नहीं होने दिया। इस तरह की स्थिति है। इसी तरह से मास्टर्स डिग्री में हाउस जाब में मेडिकल कालेजों में कोई आरक्षण नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने एलान किया कि 10 वर्ष में हम निरक्षरता समाप्त कर देंगे। अब मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप घोषणा कर रहे हैं कि 10 वर्ष में हम सबको साक्षर बना देंगे। लेकिन 10 वर्ष में उनका पोस्टल एड्रेस भी नहीं मिलेगा, हम कहाँ ढूंढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य है कि 10 वर्ष में मोरार जी वायदा कर रहे है, तो पता नहीं उनका उस समय पोस्टल एड्रेस रहेगा कि नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि भाषणों का नहीं बुनियादी परिवर्तनों की आवश्यकता है। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि एक लड़का एक किताब पढ़ रहा था कि एक जंगल में एक राज्जा रहता था, उसके बाप ने पूछा कि क्या पढ़ रहा है, तो लड़के ने कहा हमारे यहाँ उर्दू में राजा को राज्जा पढ़ते हैं।

*श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बहुत से सुधार किये हैं जब से उन्होंने अपना कार्य भार संभाला है और आशा की जा रही है जैसा कि उन्होंने बताया और उदाहरण भी दिया दयानन्द और विवेकानन्द जी का, तो उनकी जो ऊंची कल्पना है उससे आशा की जा सकती है कि उसको वह पूरा करने में समर्थ होंगे। उनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य यह है कि आन्तरिक शक्तियों का विकास किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मंत्री जी ने स्वामी विवेकानन्द जी का उदाहरण भी दिया कि जैसे बीज है वह वृक्ष में बदल जाता है यदि उसको उचित खाद, प्रकाश और पानी मिले और साथ ही जानवरों से सुरक्षा भी हो। इस तरह मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था किसी स्तर पर है कि बालकों को उचित पौष्टिक आहार आगे बढ़ने की सुविधाएं तथा उचित वातावरण मिल सके। क्या आप इन चीजों को उपलब्ध कराने में समर्थ हो रहे हैं। यदि यह संभव नहीं हो पा रहा है तो कैसे वह बालक वृक्ष के समान परिवर्तित हो सकेगा। मैं शिक्षा मंत्री जी से चाहूंगा कि जैसे इन महापुरुषों और महात्मा गाँधी का नाम लिया। तो महात्मा गाँधी जिन्होंने एक विशेष परिवर्तन बेसिक शिक्षा पद्धति में किया था, लेकिन आज जो पद्धति चल रही है वह बिल्कुल उससे भिन्न है। शिक्षा का उद्देश्य जहाँ बालक में चरित्र का विकास करना है वहीं शिक्षा के द्वारा बालक के अन्दर यह भी सामर्थ होना चाहिये कि वह अपनी जीविका अर्जित कर सके। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या कोई बालक अपनी जीविका अर्जित कर सकता है। महात्मा गाँधी का कहना था कि बालकों को छोटे-छोटे कुटीर उद्योग धंधों का ज्ञान दिया जाय जिससे वह अपनी जीविका चला सकें। जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो तकली कातते थे, कालीनें बुनते थे और मिट्टी का काम करते थे। तो बच्चों को यह शिक्षा दी जानी चाहिये, लेकिन आज यह शिक्षा बंद पड़ी है।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा का सारा वातावरण आज दूषित हो चुका है। इस संबंध में विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि सारी व्यवस्था इस प्रकार की है कि आज के बच्चे इस लायक भी नहीं हैं कि वह आगे चल कर एक मास्टर भी बन सकें। मेरा सुझाव है, मान्यवर, कि वे जो अध्यापक उन बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रति वर्ष प्रत्येक जिले में बेसिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं, उन्हें एक महीने का कैम्प लगाना चाहिये ताकि अध्यापकों को अपने कर्त्तव्य का बोध हो सके और वे अपने कर्त्तव्यों का और सुचारु रूप से पालन कर सकें।

एक बात, मान्यवर, मैं और कहना चाहता हूं। बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग के बाद 4/5 वर्ष तक लोगों को नौकरी नहीं मिलती है और जब नौकरी नहीं मिलती है तो कष्ट होता है और इस 4/5 वर्ष के अन्तराल में वे कोई दूसरा काम जैसे खेती आदि करने लग जाते हैं। बाद में जब उनको नौकरी मिलती है, तो वे इस काम को प्रायः नहीं छोड़ पाते। इसलिये इस बात की सुनिश्चित योजना बना ली जाय कि ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उनको तुरन्त नौकरी मिल जाय।

इसी तरह माध्यमिक शिक्षा के संबंध म मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। स्कूलों को अनुदान देने का कोई मानक नहीं बना। जिसकी पहुंच होती है उसको अनुदान मिल जाता है जिसकी पहुंच नहीं होती, उसको नहीं मिलता, तो अनुदानों के लिये कोई मानक या स्टैन्डर्ड बनाना पड़ेगा और उसका कठोरता से पालन करना पड़ेगा। इतनी कड़ाई से पालन हो कि चाहे कोई भी आवे, उससे बिलग न हों।

एक बात अंत में, मान्यवर, बालकों में व्याप्त अनुशासनहीनता और शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अनुशासन हीनता के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार अध्यापक विद्यार्थियों के बारे में प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट करते हैं, उसी तरह से विद्यार्थियों को भी अध्यापकों के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करने का मौका दिया जाना चाहिये। अगर यह किया जाता है, तो इससे बहुत सुधार हो सकेगा।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण बजट पर जो मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, मैं तो चाहता था आज शिक्षा मंत्री जी के

[श्री भगवती चरण निर्मोही]

महत्वपूर्ण भाषण के बाद कटौती का प्रस्ताव न आता। लेकिन मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कटौती रखने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि—

"फलसफी की बहस के अन्दर खुदा मिलता नहीं।
डोर को सुलझा रहे हैं, पर सिरा मिलता नहीं।"

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण था माननीय शिक्षा मंत्री जी का, बल्कि वह भाषण नहीं था, घोषणाएं थी भाषण के रूप में। मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के भाषण की एक-एक प्रति हम सभी लोगों को दी जाय, ताकि हम लोग जनता को समझा सकें कि हमें ये-ये सुविधायें मिल रही हैं।

श्रीमन्, सब्जी जो सूख जाती है तो उसको सुक्शा कहते हैं। उसी तरह से आजकल शिक्षा नहीं यह सुक्शा बन गयी है। शिक्षा शास्त्रियों से सुनते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है। पर चूल परिवर्तन तो हो गया, लेकिन आमूल परिवर्तन नहीं हुआ। मान्यवर, मैं पहाड़ों की कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो शिक्षा विभाग से संबंध रखती हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी को मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वहाँ पर स्कूलों का जो प्रान्तीयकरण हुआ, उनकी बड़ी दुर्दशा है। उनकी छतें टिन की थी, वे तूफान में उड़ गई हैं, भवन जीर्ण हो गये हैं, वहाँ साज सज्जा की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था बच्चों के बैठने की वहाँ पर नहीं है। उसकी व्यवस्था की जाय इसी के साथ-साथ मैं चाहता हूं कि जो वहाँ पर अध्यापक हैं उनकी सर्विस की भी सुरक्षा होनी चाहिए।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग है। हमारे यहाँ कुछ आधारिक विद्यालयों के निर्माण का काम किया है और करते हैं, लेकिन यह जो रुड़की प्लान है, न मालूम उनका यह कैसा प्लान है। इसमें 26 से लेकर 30 हजार तक रुपया लगता है और केवल दो कमरे बनत हैं। बच्चों के लिए दालान नहीं, अध्यापकों के निवास के कमरे नहीं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के लोग कहते है कि हमको अनुदान दीजिये तो हम 15 हजार में भवन तैयार करवा देंगे। जिला परिषद का प्लान बना है। अध्यापकों के लिये भी उसमें निवास है। रुड़की प्लान में अध्यापकों के लिये किसी भी निवास का प्राविधान नहीं है। अध्यापक लोग दूर-दूर से आते हैं।उनको जगह नहीं मिलती, वे कहाँ जायं, कहाँ भागें। मकानों के नीचे के कमरों में रहा करते है, जहाँ सीलन रहती है। ऐसी दशा में क्या लड़कों को पढ़ावेंगे, क्या उनके दिमाग में समझ आयेगी।

जहाँ तक जूनियर हाई स्कूलों की बात है, मेरा विनम्र निवेदन है कि यह बहुत अच्छी बात है और हमें खुशी है कि इस साल जो जूनियर हाई स्कूल खुलेंगे उनके साथ भवन भी बनेंगे, लेकिन पुराने जो जूनियर हाई स्कूल के भवन हैं उनका क्या होगा। मैं समझता हूं कि एक बच्चा है उसको दूध देना चाहिए, लेकिन हम सरीखे बुड्ढों का क्या होगा ? क्या हम को कपड़ा भी नहीं देंगे। जो पुराने स्कूल हैं उनको भी कुछ साज सज्जा कुछ खुराक मिलनी चाहिए। अनुदान देकर पूर्ण भवन उनके लिए बनाने चाहिए और उनकी देख रेख होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिये कि नये स्कूल भाग्यवान हैं और पुराने अनाथ स्कूल हैं उनके स्कूल नहीं बनेंगे।

श्रीमन्, बेसिक शिक्षा परिषद और जिला परिषद ये दोनों अलग किये गये हैं। बेसिक शिक्षा परिषद वाले यह कहते हैं कि भवन हम लोग नहीं बनायेंगे जिला परिषद बनायेगा और वह इस भार से मुक्त हो जाते हैं। यह जो दो तरह का शासन चल रहा है यह नहीं होना चाहिये। इन दोनों में सामन्जस्य होना चाहिए जो इनके हित में भी होगा और बच्चों के हित में, जनता के हित में भी होगा। भ्रष्टाचार की बात की जाती है। यह मानना

पड़ेगा कि यह भ्रष्टाचार भ्रष्ट आचार्य हो गया है, सभी जगह यह घुस गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि इसे भी मिटाने की कोशिश करेंगे।

अंत में मैं यह कहता हूं कि हम सरीखे लोग रोशनी देखना चाहते है इस दिशा में:

"मैं ढूढ़ रहा हूं वह मेरी समां कहाँ है जो बज्म की हर चीज को परवाना बना दे।"

*श्री राम जी (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर,अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं वास्तव में सराहनीय योग्य हैं। एक आर्यसमाज के नेता होने के नाते माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं और शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करते समय जो भारतीय संस्कृत के अनुरूप देश के अन्दर शिक्षा को लागू करने की बात उन्होंने कही है निश्चित रूप से उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में काफी जोर दिया है। जो शिशु होते हैं उनके अन्दर जो विकास किया जाता है वहीं संस्कार आगे चल कर एक अच्छे नागरिक बनने में योगदान करते हैं तथा संस्कारों का निर्माण करना शिक्षा का पहला कर्त्तव्य होता है और शिक्षा क्षेत्र में इसके अनुरूप कार्य होना चाहिये। आज प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति यह है कि वहाँ भवन, टाट-पट्टी तथा श्यामपट नहीं है। अध्यापक जब चाहता है तो विद्यालय में जाता है, जब चाहता है नहीं जाता है। अभिभावक यह देखता है कि उसका 5 वर्ष का बालक जब प्राथमिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो अध्यापक उसकी ओर ध्यान नहीं देता। तब वह उसे शिक्षा दिलाने के लिए इधर-उधर ध्यान देता है और ऐसे विद्यालयों में वह उसे भेजता है जहाँ उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाती है, चाहे उसके लिये 10, 20 रुपये अतिरिक्त क्यों न व्यय करने पड़ें। आज प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है और दूसरे विद्यालय जिनको व्यवसायिक विद्यालय कहा जा रहा है या पब्लिक स्कूल कहा जाता है उनकी ओर आम लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। लोग अपने खर्च में कटौती करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिये उन विद्यालयों में भेजते हैं।

माननीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि इन विद्यालयों को खत्म करने की आवश्यकता है। जब आप अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं ऐसी स्थिति में अगर प्राइवेट लोग अच्छी शिक्षा देते हैं जिसकी ओर नागरिक आकृष्ट होता है उसे आप बन्द कराने की बात करते हैं, यह कुछ जंचता नहीं है। आप अपना स्तर क्यों नहीं बढ़ाते हैं, ताकि लोग अधिक पैसा खर्च करके अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में न भेजे। वे स्वेच्छा से खर्च नहीं करना चाहते। आपके विद्यालयों में भवन नहीं है, अध्यापकों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट पर पहले की तरह आज अध्यापकों का न ट्रांसफर किया जा सकता है और न उनके करेक्टर रोल में एडवर्स एनट्री दी जा सकती है। गाँव का प्रधान तथा प्रमुख चिल्लाता रहे अध्यापक कहता है जो चाहे कर लो, उनकी और बेसिक शिक्षा अधिकारी ध्यान नहीं देता और कोई कार्यवाही नहीं करता, क्योंकि एस0 डी0 आई0 तथा अध्यापक में साँठ-गाँठ रहती है, लेनदेन का रिश्ता रहता है जिससे अध्यापक मुक्त हो कर काम करता है। तो यह दयनीय स्थिति प्राइमरी स्कूलों की आज है। भले ही ऊंची ऊंची कल्पनाएं आप करें। अच्छी शिक्षा से नागरिक अच्छा नागरिक बनता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, लिहाजा आप प्राइमरी स्कूल में सुनियोजित शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु कदम उठायें, भले ही वह धीमा हो। देव बहादुर जी ने जो सुझाव दिया उससे मैं सहमत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामजी]

हूं कि आप पहले प्राइमरी स्कूलों तथा जूनियर हाई स्कूलों की स्थिति को ठीक करें। उनके भवन बनायें, अध्यापकों की स्थिति को ठीक करें। जहाँ पुराने भवन गिर गये हैं वहाँ आपने नये भवन बनाये हैं इसका मैं स्वागत करता हूं।

जनता सरकार ने जो कार्य शुरू किया है निस्संदेह प्रशंसनीय है। विरोधी पक्ष चाहे कितनी भी आलोचना करे लेकिन जनता सरकार के शासन काल में जितनी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है वह प्रशंसनीय है और उसके लिये जनता सरकार बधाई की पात्र है और जनता स्वयं अनुभव करती है कि सारा कार्य कागज पर नहीं, व्यवहारिक रूप में हो रहा है। उसमें कुछ सुधार की अवश्य आवश्यकता है। नये भवन निर्माण में कुछ तेजी लाई जाय वर्ना बच्चे बैठेंगे कहाँ और अध्यापक घूमता रहेगा। इसलिए इस ओर आप ध्यान दें। यह भी देखने में आता है कि फंड इसके लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजे गये, लेकिन वह उनको देता नहीं, अनेक प्रकार से उन फंड्स का दुरुपयोग किया जाता है, उस दुरुपयोग को रोका जाय। इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने बी० टी० प्राप्त अध्यापक हैं उनको नियुक्ति होनी चाहिए। इस समय ये लोग हजारों की संख्या में पड़े हुए हैं। आपका नियम है कि 40 विद्यार्थियों में एक अध्यापक रखा जाय और मैं माँग करता हूं कि 20 में एक अध्यापक की नियुक्ति आप करें। इसके अतिरिक्त जन प्रतिनिधियों को भी स्कूलों की देखरेख के अधिकार दिये जायं और बेसिक शिक्षा अधिकारी उनके सुझावों को मानने के लिये बाध्य हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

उच्च शिक्षा की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस दिशा में इस समय अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी है। अनेक जगहों पर हत्याएं हो रही हैं। बनारस में अमरसिंह की हत्या हो गई, गाजीपुर में अशोकसिंह की हत्या की गई। विश्वविद्यालयों में चोरी और डकैतियों के केसेज चल रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं को गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जेल भेजा गया। जबरदस्ती यह दिखाया जा रहा है कि अमुक लड़के-लड़कियों के साथ छेड़ छाड़ या छेड़खानी कर रहे थे। इससे लखनऊ विश्वविद्यालय में घोर अशांति व्याप्त है। जुलाई में जब दूसरा सेशन शुरू हो तो तभी शांत वातावरण उत्पन्न हो सकता है, जब यहाँ के जो नये वाइस चांसलर हैं उनकी गतिविधियों की ओर शिक्षा मंत्री ध्यान दें। एक तरह से मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो खोला जा रहा है वह मऊनाथ भंजन में खोला जाय। वहाँ पर लगभग डेढ़ लाख नागरिक हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)---

मान्यवर, शिक्षा पर ही सारे देश की प्रगति निर्भर है, लेकिन इस वक्त जो शिक्षा दी जा रही है उससे यह शिक्षा बेरोजगारी को जन्म दे रही है। इसके लिये जरूरी है कि शिक्षा जगत में आमूल परिवर्तन किया जाय। इस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज की शिक्षा तकनीकी किस्म की होनी चाहिये। आज देखा यह जाता है कि बी० ए० और एम० ए० की डिग्री लिये हुए सैकड़ों लोग सड़कों की धूल चाट रहे है, नौकरी नहीं मिल रही है और यहाँ तक सुनने और पढ़ने को मिलता है कि लोग निराश होकर अपनी जान तक दे देते हैं। मेरा सुझाव है कि आज की शिक्षा तकनीकी किस्म की होनी चाहिए जिससे आगे चल कर वह अपना रोजगार भी उससे कर सकें या कोई न कोई उद्योग करने में सफल हो सकें। इससे वह स्वयं में आधारित हो सकेंगे। दूसरी बात यह है कि पब्लिक स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों में बड़ा फर्क है। यह देखा जाता है कि पब्लिक स्कूल के लड़के ज्यादा अच्छे ढंग से निकल जाते हैं। प्राइमरी स्कूलों में किसानों के और गरीबों के बच्चे होते है। इसलिये मेरा सुझाव है कि पब्लिक स्कूलों में किसान के लड़कों

को पढ़ने के लिये आरक्षण होना चाहिए। आज का शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है। मंत्री जी ने कहा है कि लड़का चिकनी मिट्टी है और अध्यापक एक कुम्हार के रुप में होता है, लेकिन मान्यवर, आप देखें कि आज 50 प्रतिशत स्कूलों में अध्यापक पढ़ाने जाता ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपका कुम्हार कुशल नहीं होगा तो मिट्टी चाहे जितनी अच्छी हो, वह बेकार हो जायगी अत: बालक का चरित्र नहीं बन सकता है। और बालक उसकी हरकतें और उसका चरित्र सीख लेगा और बचपन से ही क्रिमिनल और दुस्चरित्र होगा। जैसा आपने कहा चाकू और कट्टे से बात करते है। तो जब शुरुआत ही ऐसी है तो अंत भी ऐसा ही होता है। तो इस सम्बन्ध में यह कहना है कि सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पर सख्ती बर्ते अध्यापक समय से जायं और सही चीज बतायें। उनकी एम0 डी0 आई0 से साँठगाँठ होती है और स्कूल तक नहीं जाते है, एस0 डी0 आई0 उनको वेतन घर पर दे जाता है।

दूसरी बात इस संबंध में यह कहनी है कि आप एक महीने की पढ़ाई से बी0 ए0 और एम0 ए0 की डिग्री दे रहे है इससे भी कोई कल्याण होने वाला नहीं है। एक महीने में जो बी0 ए0 और एम0 ए0 की डिग्री देंगे वह भी नकल के आधार पर, इसके लिए विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और ीडर, वहाँ के डीन आदि को बुलावें और वहाँ के प्रशासन को चुस्त करने के लिए सबसे पहले कदम उठाते तो ज्यादा ठीक होगा।

प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में कहना है कि वह पहले भी थी, जो कागजों में चली और यह भी आप कागजों पर ही चलायेंगे। क्या आप हमको आँकड़ों से बता सकते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा में आपने कितने लोगों को शिक्षित किया। मैं जानता हूं कि नहीं दे सकते हैं। यह सब कागज में है और अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का, पैसा कमाने का एक अच्छा साधन बना दिया है।

इसके साथ-साथ पौष्टिक आहार को भी आप शिक्षा विभाग के माध्यम से बाँटना चाहते हैं। उसमें भी भ्रष्टाचार पनप रहा है। कहाँ आपने पौष्टिक आहार योजना के अन्दर महिलाओं को पौष्टिक आहार बाँटा।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें। (कई सदस्यों के खड़े होने पर) आप लोग बैठें।

श्री सुरेन्द्र पाल--

एक बात में अपने क्षेत्र बाँदा के संबंध में बताना चाहता हूं। वहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक जो है वह अपने को विश्व का बिद्वान बताता है। मान्यवर, निवेदन है कि उसको आप अपने पास बुला लें (व्यवधान) (नाम बतायें की आवाज) श्री राम सेवक पाठक और किसी जिला स्तर काजो बुद्धिमान आदमी हो उसको भेज दें .....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र पाल--

इस संबंध में कई बार आपसे कहा.....

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें। (कई सदस्यों के खड़े होने पर और श्री बाबूराम शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर) माननीय सदस्य बैठें अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिलेगा। माननीय लक्खी सिंह, आप बैठें माननीया रामरति जी आप भी बैठें। समय नष्ट न करें।

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)---

मान्यवर, निश्चय ही माननीय शिक्षा मंत्री विचारों से आर्यसमाजी होने से भाषण कला में दक्ष हैं और उन्होंने जिस प्रकार भाषण दिया है उससे ऐसी आशा बंधती है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत में निश्चितरूप से कुछ सुधार होगा। कुछ ऐसे भी मसले हैं जिनकी ओर मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात सही है कि माध्यमिक शिक्षकों और बेसिक शिक्षकों को आवास भत्ता मिलता है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी आवास भत्ता देने की घोषणा कर दी है, लेकिन मैं आशा करता था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को जिस दर पर आवास भत्ता मिलता है उसी दर पर देने की घोषणा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा बेसिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए भी की जायगी। उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की इससे मुझे निराशा हुई। आज डिग्री कालेजों में काम करने वाले शिक्षकों और माध्यमिक स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में बहुत अन्तर हो गया है। माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ साढ़े सात सौ पर समाप्त होता है, वहाँ डिग्री कालेजों में वहीं से शुरू होती है यानी 7 सौ से 16 सौ। जबकि उनका 4 सौ से 7 सौ है। मेरा उनसे निवेदन है कि वह इस अन्तर को समाप्त करने पर ध्यान दें। राज्य कर्मचारियों को और भी सुविधाएं है, जैसे उनको फैमली पेंशन मिलती है। यह ठीक है कि पेंशन में समानता कर ी गई है, लेकिन विद्यालयों के अध्यापकों को फेमिली पेंशन नहीं मिलती है। राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त है, जबकि यह भी इनको नहीं मिलती है। इस दशा पर भी वह शीघ्र ही विचार करें।

बेसिक शिक्षा परिषद् की प्रशासनिक अक्षमता और बेसिक स्कूलों की दुर्दशा की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तमाम बेसिक स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं है, पीने के पानी के लिए लोटा-बाल्टी नहीं है और ब्लैक बोर्ड्स तक नहीं है। हमारे कानपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत चलने वाले बहुत से स्कूलों के भवनों की हालत बहुत ही जर्जर है। वहाँ पर छत टूटी होने के कारण बरसात में कमरों के अन्दर पानी आ जाता है, बाहर जाता ही नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका रख-रखाव नगरपालिका, महापालिका या जिला परिषदों के हाथ में है और बेसिक शिक्षा परिषद केवल पढ़ाई और अध्यापकों का प्रबन्ध करती है। यदि यह सब एक के अन्दर हो जाये तो भवनों की व्यवस्था अच्छी हो जायेगी।

मंत्री जी ने बताया है कि बालाहार योजना में बहुत बड़ा घोटाला होता है। मैं उन्हें बताऊं कि मेरे कानपुर में इस योजना के अंदर लाखों रुपये का घोटाला हुआ है, वह उसकी भी जाँच अवश्य करायें, यह मैं उनसे माँग करता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं जूनियर हाई स्कूल में इस बार पहली बार हुई, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं वहाँ एक स्वतंत्र प्रेस है, जिसे इस परीक्षा के लिए कापियाँ सप्लाई करने का आदेश दिया गया था। इस हेतु अधिकारियों की ओर से 1 लाख 40 हजार रुपये का कांट्रेक्ट दिया गया था और उसमें से 40 हजार रुपये उस प्रेस को ऐडवांस दिया गया था, लेकिन वह प्रेस परीक्षा शुरू होने से पूर्व कापियाँ देने में असमर्थ रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि अधिकारियों को रातोरात कानें खुलवाकर प्राइवेट स्टेशनर्स से कापियों की व्यवस्था करनी पड़ी। मैं माँग करता हूं कि मंत्री जी इस बात की जाँच करायें कि 40 हजार रुपया एडवांस लेने के बावजूद कैसे उसने कापियाँ सप्लाई नहीं की।

आज अपने प्रदेश में हजारों की तादाद में व्यवसायिक स्कूल चल रहे हैं, जिन पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं है। जिसका नतीजा यह है कि इसके प्रबन्धक अभिभावकों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ऊंची-ऊंची फीस वसूल करते हैं, लेकिन वे अध्यापक अध्यापिकाओं को केवल 60–70 रुपया महीना वेतन देते है। यह उनका बहुत बड़ा शोषण है। इस संबंध में मैंने मंत्री जी से मिलकर अपने कानपुर के टैगोर बाल मंदिर की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। जिस विद्यालय में केवल शिक्षा के फंड से बहुत बड़ी बिल्डिग खड़ी कर ली गयी है, जिसका सात हजार रुपया महीना किराया जा रहा है और व्यक्तिगत रूप से उपभोग कर रहे हैं। आज वह विद्यालय बन्द हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री बाबूराम शुक्ल—

सात अध्यापक और सात अध्यापिकाएं बेकार हो गयी है। स्कूल बन्द किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी इसकी निश्चित रूप से जानकारी कराएं और जाँच करायेंगे।

कानपुर में नगरमहापालिका का एक आचार्य नरेन्द्र देव जी के नाम से डिग्री कालेज है। उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। अनेक ज्ञापन दिये गये हैं। मैं अनुरोध करूंगा, अगर वह उचित समझें और आवश्यक है कि विजिलेंस से पूरी जाँच करा लें। इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, इस पर शिक्षा शास्त्रियों में निरन्तर चिन्ता चल रही है। आज चतुर्दिक जहाँ दस-बीस लोग एकत्र होते हैं यह चर्चा अवश्य चलती है कि शिक्षा कैसी हो, परीक्षा कैसी हो हमारे माननीय मंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि इन दोनों विषयों पर हम लोग सुझाव दें। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक प्राथमिक शिक्षा का शिलान्यास ठीक नहीं होता तब तक आज परीक्षा प्रणाली में या शिक्षा प्रणाली में कोई आमूल-चूल परिवर्तन करने का सुझाव दिया ही नहीं जा सकता। यह परिवर्तन सम्भव ही नहीं है मेरी दृष्टि में। जीवन के कुछ पुरुषार्थ होते हैं। उन पुरुषार्थों की संसिद्धि शिक्षा करती है। शिक्षा अगर पुरुषार्थों की संसिद्धि नहीं करती तो सच्ची शिक्षा नहीं है। पुरुषार्थ क्या है? एक अभ्युदय का पुरुषार्थ और दूसरा निष्प्रेयस का पुरुषार्थ होता है जिसको प्रेय और श्रेय भी कहते हैं उनके अभाव में वह संसिद्धि नहीं होती। इसी संसिद्धि के लिए हमारे ऋषि-मुनियों ने बहत कुछ कहा है–कणादि मुनि ने कहा यतोअभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः सएव धर्मः। धर्म की स्थिति वहीं होती है गुणात्मक सिद्धि वहीं होती है धर्म से मेरा मतलब गुण से, मेरिट से है। जहाँ अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की उपलब्धि है। क्या आज शिक्षा दोनों की उपलब्धि करवा रही है, दोनों को छोड़ दें। एक की भी संसिद्धि करवा पा रही है? आज किताबी शिक्षा है। आज पढ़ने पढ़ाने की भी पूरी शिक्षा नहीं रह गयी है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए और रोजगार पूरक शिक्षा होनी चाहिये। अगर तकनीकी और रोजगार पूरक शिक्षा हो जाये तो हमारे अभ्युदय की सिद्धि हो जाये। अगर नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। बालक और बालिकाओं के व्यक्तित्व में विकास होगा और निःश्रेयस की उपलब्धि हो जायगी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज शिक्षा का स्वल्पांश भी नहीं पूरा हो रहा है, उसका थोड़ा हिस्सा भी नहीं पूरा हो रहा है और उसका एक रूप भी नहीं पूरा हो रहा है। मान्यवर, गुणात्मक शिक्षा की बात की जाती है, तो वह कैसे दी जायेगी। आज शिक्षा में भ्रष्टाचार की स्थिति बढ़ रही है, उसकी समाप्ति नहीं हो पा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में तो है ही, लेकिन एक माध्यमिक शिक्षा परिषद है, अगर उसके भ्रष्टाचार को देखें तो वह चरम सीमा पर पहुँच गया है। वहाँ से नकली प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। आज विद्यार्थी पढ़ते

[श्री रामदेव दुबे]

नहीं और मेहनत नहीं करते, परन्तु पैसे के बल पर वह पास होते हैं और यही नहीं प्रथम श्रेणी तक प्राप्त करते हैं ।

मान्यवर, अब मैं बालाहार योजना के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में इस बात की चर्चा किया है। यह एक भ्रष्टाचार की जननी योजना है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कम से कम इस पर अंकुश तो लगावें, लेकिन वह संभव नहीं है। अगर अंकुश लगाना संभव नहीं है तो इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगर प्राइमरी के विद्यार्थियों में चारित्रिक विकास और मनोबल लाना चाहते हैं तो आप इस बालाहार योजना को समाप्त कर दीजिए । इस योजना के अन्तर्गत जो सामग्री मिलती है वह अध्यापकों, भैसों और गायों को खिलायी जाती है और जो बच जाती है उसको वह बेच डालते हैं । यह चीजें विद्यार्थी देखता रहता है तो उसमें नैतिकता कैसे आवेगी और उसका चारित्रिक शिल्यान्यास कैसे होगा, इसलिये बालाहार योजना समाप्त कर देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है । आप बैठिए ।

श्री रामदेव दुबे—

मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं । बातें बहुत कहनी है, किन्तु एक दो और बातें कह कर समाप्त करूंगा। माननीय मंत्री जी बड़े ही अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं, उनसे मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा कौन देता है। जो अध्यापक प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको इसका अध्यापन कार्य दिया गया है। जब वे दिन में ही नहीं पढ़ाते हैं तो वह रात्रि में क्या पढ़ायेंगे। आप इस ओर भी सोंचे और कोई परिवर्तन करें। अगर आप नैतिक शिक्षा नहीं देते है, चारित्रिक उत्थान नहीं करते है और हृदय परिवर्तन की बात नहीं करते हैं तो आपकी शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और इसमें आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हो सकता है ।

(श्री मोहन सिंह देवरिया का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, आप इधर के लोगों का ख्याल ही नहीं कर रहे हैं। हमारा नम्बर है।

श्री अधिष्ठाता—

सेठी जी आप बैठ जाइये । (श्री मोती राम के खड़े होने पर) मोतीराम जी आपको भी समय मिलेगा ।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने बजट को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। माननीय मंत्री जी ने जितनी भी घोषणाएं की हैं अगर वे एक साल में पूरी हो जाती हैं, शिक्षा विभाग की यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं उच्च शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज सम्पूर्ण शिक्षा जगत में जो भी व्यवस्था है और जिस शिक्षा की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है, वह है उच्च शिक्षा। मुझे कहना पड़ रहा है कि इस सत्र को शून्य होने से बचाना है। मैं कहना चाहता हूं कि बड़े शहरों में विद्यार्थियों का केन्द्रीयकरण हो गया है अगर उनका ग्रामीण

---

*बक्सा ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। इसमें जो यह होता है कि शिक्षा संस्थाएं चलने नहीं पाती हैं और परोक्षाओं में जबरदस्ती व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, यह सब नहीं होगा। ऐसे विश्वविद्यालय जिनके अन्तर्गत 100-150 महाविद्यालय हैं, आवासीय विश्व-विद्यालय जो हैं, वहाँ पर परीक्षाओं में व्यवधान पैदा होता है। हमारी माध्यमिक कक्षाओं का सारा संचालन एक जगह से होता है और उसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद् बनी हुई है तो क्या शासन इस पर विचार करेगा कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए एक प्रान्तीय स्तर पर बोर्ड बना दिया जाय और सम्पूर्ण सूबे की विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का कार्यक्रम एक साथ घोषित हो। अगर एक दो केन्द्रों पर कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसके लिए पूरी परीक्षा स्थगित नहीं को जावेगी। विश्वविद्यालय स्तर पर जो शिक्षक बन्धु हैं इस गरीब देश में जितना वेतन उनको दिया जाता है सम्भवत: उतना अधिक वेतन किसी और को नहीं दिया जाता है। जिस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए यह प्राविधान रखा गया है कि अगर उसको उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायगा उसी प्रकार से उनके लिए भी आवश्यक कर दिया जाना चाहिए कि सप्ताह में 25 घंटे उनको अवश्य ही पढ़ाना होगा।

राजकीय विद्यालयों और अराजकीय विद्यालयों के अध्यापकों की बात मैं कहना चाहता हूं। राजकोय विद्यालयों के अध्यापकों के समान सुविधाएं, वेतन तथा अन्य चीजें जो प्राइवेट विद्यालयों के अध्यापक चाहते हैं, परन्तु जो अनुशासन और नियन्त्रण राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों पर है उसको करने से कतराते हैं और इनकार करते हैं, यह बड़ी विडम्बना की बात है। विश्वविद्यालय में अध्यापक गन्दो राजनीति के कारण भरती हो जाते हैं वहाँ पर भी भाई-भतीजावाद चलता है और जब वे पुराने हो जाते हैं तो अव्यवस्था में उनका भी हाथ हो जाता है। इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष आदि हैं उनका पद ट्रान्सफरेबिल होना चाहिए और उनको दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो योग्यताएं निर्धारित की हैं, उनके अनुसार लोगों को नियुक्ति नहीं होती है। चाहे हरिश्चन्द्र कमीशन हो या एस0 डो0 सिंह कमोशन हो और सन् 50 के बाद जितने भी कमीशन बने सभी ने यह संस्तुति की है कि विश्वविद्यालयों में भाई-भतीजावाद बढ़ रहा है, लोगों को निर्धारित योग्यता से कम रख लिया जाता है और जब वे कुछ साल अध्यापन कार्य कर लेते हैं तो शासन के पास उनकी योग्यता में शिथिलता के लिए प्रार्थना पत्र आने लगते हैं और शासन उन पर विचार करने लगता है। मान्यवर, एक कमेटी बनी थी, उसकी एक रिकमेंडेशन है और इस तरह का विधेयक आने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इतने अच्छे वेतनमान दिए जा रहे हैं उनकी तो नियुक्ति के सम्बन्ध में एक नियमावली बनानी चाहिए। प्रान्तीय स्तर पर एक सर्विस कमीशन बनाना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो आपने शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का प्राविधान किया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। पहले शारीरिक शिक्षक और अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों को समान वेतन दिया जाता था परन्तु जब से उनको यू0जी0सी0 स्केल मिला तब से शारीरिक शिक्षकों को और शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों के वेतन में काफी अन्तर आ गया। अत: मेरा सुझाव है कि पूर्व की भांति इन दोनों को समान वेतन दिया जाना चाहिए।

इसी तरह से कहना चाहता हूं कि आपने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल्स का प्राविधान किया है। केवल 220 स्कूल बनाने का ही प्राविधान है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए और जो 1 करोड़ रुपया आपको प्रौढ़ शिक्षा के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में मिला है उसे भवनों के निर्माण पर खर्च करना चाहिए।

*श्री राम देव यादव (जिला रायबरेली)--

चूंकि समय बहुत कम है अत: अधिक न कहकर मैं केवल कुछ सुझाव उनके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हिन्दुस्तान के सबसे बड़े प्रौढ़ हमारे प्रधान मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने 2 अक्तूबर को प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ाने के लिए 10 करोड़ लोगों को शिक्षित करने के लिए एक योजना रखी है। मैं उसके सम्बन्ध में अपने शिक्षा मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। प्रौढ़ शिक्षा पहले से ही चल रही है लेकिन पहले की तरह ही अध्यापक इस कार्य को कर रहे हैं। जो अध्यापक दिन में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो अध्यापक दिन में पढ़ाने नहीं जाते हैं वे रात में क्या जायेंगे ? प्रौढ़ शिक्षा पहले से ही बरबाद हो रही है तो अब इस योजना को सोच समझ कर चलानी चाहिए।

हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री ने कहा है कि स्वेच्छिक संस्थाओं को यहाँ से संस्तुति की गयी है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा चलाने के लिए कौन सी स्वेच्छिक संस्थायें हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे स्वेच्छिक संस्थायें किसी भी राजनीतिक दल या घटक से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए। उन संस्थाओं को जो किसी घटक या दल से सम्बन्धित है अगर यह धन दिया जायगा तो वे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ही यह काम करेंगे। जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा, नेहरू केन्द्र पहले से चल रहे हैं और वे अच्छे काम कर रहे हैं, उनमें आपने सरकारी आदमी नियुक्त किए हैं जो युवक कोआर्डिनेटर हैं, उसी प्रकार से इस योजना को आप चलायें तो ज्यादा बेहतर होगा। स्वयं सेवी संस्थाओं को न देकर मैं सिफारिश करूंगा कि आप अपने माध्यम से इस पैसे को खर्च करें और 10 करोड़ लोगों को साक्षर बनायें।

जहाँ तक बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब से बेसिक शिक्षा परिषद् बना है तब से इसकी छीछा-लेदर हो गयी है। पहले जिला परिषदों के अन्दर यह चलती थी और वहाँ के जो कार्यकर्ता होते थे, वे उनकी सहायता करते थे। जो जिला परिषद् के सदस्य हुआ करते थे वे अध्यापकों के कार्य को देखा करते थे जिससे अध्यापक कुछ अच्छा काम करते थे, कम से कम स्कूलों में तो अवश्य ही जाया करते थे। अत: मैं चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा को जिला परिषदों के अन्तर्गत ही चलाया जाय ताकि जिला परिषद् वाले इस को देख सकें। हमारे जिले में कमला नेहरू . . .

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया बैठें।

(डा0 अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर) (व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें, व्यवधान उपस्थित न करें।

*डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो आज कुछ घोषणाएं की हैं उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, साथ ही अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। आज आप गाँव की ओर जा रहे हैं। यदि वास्तव में आप गाँव की ओर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहाँ सुधार हो तो डा0 राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशों के अनुसार जब तक आप ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं करेंगे तब तक गाँव की हालत बेहतर नहीं होगी। आप आज भी लार्ड मैकाले की शिक्षा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आज शहरों पर जो दबाव है वह कम हो, गाँव के लोग गाँव में ही रह कर शिक्षा प्राप्त करें, तो उसके लिए आपको ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना करनी होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप मान्यवर, कहेंगे कि उसके लिए पैसा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पैसे की कमी आपके रास्ते में बाधक नहीं होगी। शिक्षा के लिए आज भी हमारे यहाँ दान देने वाले बहुत से हैं। जिस दिन आप इसके लिए निश्चय कर लेंगे, 5 अरब रुपया यहाँ इकट्ठा हो जायगा। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जब 1832 में स्थापना हुई तो केवल 2 हजार पौंड ही उसको दिये गए थे। हमारे यहाँ पर जो तक्षशिला और शान्ति निकेतन आदि प्राचीन बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज स्थापित हुई उसके लिए कितना रुपया मिला था? बाद को ही दान द्वारा रुपया इकट्ठा हुआ। आप आज इसके लिए आह्वान करें, काफी पैसा आपको दान के रूप में प्राप्त हो जायेगा।

आप गुणात्मक विकास करना चाहते हैं। आरक्षण की नीति जो आपने इन विद्यालयों तथा टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूशन्स में भी लागू कर रखी है, यह गलत है। शिक्षा जगत में टेक्नालोजी में, डाक्टरी और इंजीनियरिंग में, आप जिस तरह की भी सुविधाएं छात्रों को प्रदान करना चाहें करें, पर इस दिशा में आप आरक्षण को बन्द कर दें। यहाँ गुणात्मक की जगह परिणात्मक परिवर्तन आप करें। इसी से आपके प्रदेश और देश का विकास सम्भव हो सकेगा और विद्वान् पैदा हो सकते हैं। इस पर आप गम्भीरता के साथ विचार करें।

इसके अलावा यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि इन विद्यालयों की दशा में सुधार हो तो चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे अध्यापक हो, यदि कोई एक मिनट देर से आता है तो उसको एक दिन के लिए सस्पेंड कीजिए, 5 मिनट देर से आता है तो उसे 5 दिन के लिए सस्पेंड कीजिए, 30 मिनट देर से आता है तो उसे 30 दिन के लिए सस्पेंड कीजिए, देखिए कितनी जल्दी सुधार आता है। आप इसके लिए आदेश प्रसारित कीजिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर अध्यापक के लिए यह कम्पलसरी होना चाहिए कि वह सप्ताह में 30 पीरियड अवश्य पढ़ाये।

आज इन संस्थाओं में जो रिवोल्ट हो रहा है, हो सकता है आपके दिमाग में यह बात हो कि इसके लिए छात्र दोषी है, पर इसके कई कारण हैं जिनके ऊपर आपको गम्भीरता से विचार करना होगा।

संगीनों के साये में शिक्षा और शान्ति सम्भव नहीं। युवा शक्ति को भी मौका दिया जाय। आपने जो वायदे किए हैं, उन वायदों पर गौर फरमायें और प्रत्येक शिक्षा संस्थानों में एक छात्र-कर्मचारी परिषद् का निर्माण कीजिए वरना इस तरह से कोई सरकार चल नहीं सकती और 9 अगस्त को प्रदेश की युवा शक्ति क्रान्ति दिवस मनायेगी और परिवर्तन कर देगी, जैसे कि इंडोनेशिया से लेकर यूनान तक हुआ है। दिल्ली में जो बिल शिक्षकों के सम्बन्ध में आ रहा है, उसका विरोध कीजिए, समाज का टट्टू न बनाइए अध्यापकों को। 15 अगस्त को आर्थिक और वाणी की आजादी पर संघर्ष छेड़ा जायगा, तरुणाई कुचलेगी। प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर वर्कर्स एजूकेशन सेंटर्स खोले जायं और प्रत्येक फैक्ट्री मालिक को निर्देश दीजिए कि वह अपने यहाँ कम से कम एक श्रमिक शिक्षा केन्द्र चलायें तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय में अमेरिका और इंग्लैन्ड की तरह श्रमिक शिक्षा विभाग खोला जाय। आवश्यकता है कि प्रदेश में एक स्टेट इंस्टीट्यूट-फार-वर्कर्स-एजूकेशन की स्थापना की जाय। शेष सुझाव मैं आपके पास लिख कर प्रस्तुत करूंगा इसलिए कि समय कम है, जिन पर अमल करने से ही शिक्षा जगत में आमूल-चूल परिवर्तन हो सकेगा।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य समाप्त करें।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'––

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप सब बैठ जाइए, आपको भी अवसर मिलेगा, कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो नहीं बोल पाए हैं।

*श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। साथ ही उनको अपनी बधाई भी देता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे माननीय मन्त्री जी शिक्षा से सम्बन्धित रहे हैं और उसी का यह परिणाम रहा है कि उन्होंने अच्छे-अच्छे सुझाव रखे हैं जिससे कि विद्यार्थियों और शिक्षकों में अच्छे-अच्छे सुधार हो सकेंगे। जो भी सुझाव रखे हुए हैं, अगर वे कार्यान्वित नहीं हो सके, तो उन्हें रखना अनावश्यक होगा। अगर इनका कार्यान्वयन हो गया, तो यह बहुत ही अच्छा बजट होगा। बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें शिक्षक लोग उपस्थित रहते हैं, अध्यापक लोग बारी-बारी से एक-एक, दो-दो करके जहाँ कहीं जाना होता है, जाते हैं और कुछ स्कूलों में तो 4-4 अध्यापक एक साथ अनुपस्थित रहते हैं। ऐसी मैंने अव्यवस्था गाँवों में देखी है। अगर यह व्यवस्था गाँवों में ठीक न हुई, तो कोई फायदा नहीं होगा।

माननीय मन्त्री जी मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आपके एस0डी0आई0, डी0आई0, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, वे अपने दफ्तरों में पड़े रहते हैं, वे देहातों में नहीं जाते है और अगर जाते हैं, तो किसी खास जगह पर अध्यापकों को बुला लेते हैं और वहीं पर उनको चेक कर लेते हैं। उनको मजबूर किया जाय कि कम से कम महीने में कुछ दिन देहात के लिए उनका निश्चित हो कि इतने दिन देहातों में जाकर उन्हें निरीक्षण करना पड़ेगा और निरीक्षण के पश्चात् उन्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको रोकना बहुत जरूरी है। जो एस0डी0आई0, डी0आई0, ओ0एस0 ने स्थानान्तरण किए हैं, उनमें ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें कि दो-चार सौ रुपए लिए न हों। और उनका स्थानान्तरण किया गया जिससे यह हुआ कि स्कूल बन्द पड़े हैं। 6-7 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई टीचर नहीं है। डेढ़-डेढ़ सौ, दो-दो सौ छात्रों के स्कूल हैं लेकिन वहाँ प्रधानाचार्य नहीं हैं। यह भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उसको दूर किया जाये। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि बच्चों के लिए भवनों की विशेष आवश्यकता है ताकि वहाँ बच्चे पढ़ सकें। बरसात में अध्यापक लोग बच्चों को छुट्टी दे देते हैं और वे भीगते हुए घरों को चले जाते हैं। भवनों की मरम्मत तथा नव-निर्माण कराये। टाट-पट्टी का भी इन्तजाम नहीं है, मेरा निवेदन है कि गाँवों में जायें और देखें। मेरे यहाँ करीब 50-60 गाँवों में एक हाई स्कूल है "किसान पूर्व घाघऊ, विद्यालय" जिसकी मान्यता के लिए मैं 2-3साल से लगातार प्रयास कर रहा हूं, सब शर्तें पूरी होने के बाद भी अभी तक मान्यता नहीं हुई है। कभी जिले में कभी सेक्रेटेरियट में कागज पड़ा रहता है। आज भी कहा है और लिख कर भी दिया है। मान्यता न मिलने के कारण 30-40 गाँवों के बच्चे 14-14 मील जाते हैं। एक जूनियर हाई स्कूल कन्या पाठशाला है जिसके लिए 3 लाख रुपए मन्जूर हुआ था और एक-डेढ़ लाख खर्च हो चुका है। उसकी उचित व्यवस्था करें। इतना कह कर मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)--

म आपका आभारी हूं मान्यवर, कि आपने मुझे शिक्षा बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। नौजवान मन्त्री, शिक्षा मन्त्री का बजट बहुत सराहनीय है तथा वे आर्य-समाज के प्लेटफार्म से गुजरे हैं। जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह जनता पार्टी के शासन में ही इतना खूबसूरत बजट आया है। फिर भी मैं 2-4 सुझाव देना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबसे पहले बेसिक शिक्षा के बारे में। जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी दशा बड़ी बदत्तर है। देहात में देखिए उन बच्चों की हालत जहाँ 200 बच्चे हैं, वहाँ 2 मास्टर हैं। दूसरी बात उनके पास बैठने के लिए न टाट है, न पट्टी। इतनी दशा खराब है कि पीने का पानी तक नहीं है। छतें टूटी हैं, बरसात में अध्यापक तथा बच्चे या तो बाहर बैठते हैं या छुट्टी दे देते हैं। मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन है कि जहाँ हमारी जनता पार्टी की सरकार शहरों से गाँवों की ओर जाना चाहती है, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर वाकई में देहात की जनता को आप सुविधा देना चाहते हैं किसानों के, मजदूरों के उन बच्चों को जो गरीब परिवारों से आते हैं, पिछड़ी जातियों से आते है, हरिजनों से आते हैं, मोमिन अन्सार से आते हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है तो उन बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधा देनी चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि कन्या पाठशालाओं की क्या हालत है। जहाँ पर यह पाठशालाएं 5, 7 मील दूरी पर हैं, वहाँ पर हमारी माताएं, बहने जो अध्यापक हैं जाना चाहती हैं लेकिन नहीं जा पाती हैं। नतीजा यह होता है कि कन्या पाठशालाएं खाली पड़ी रहती हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे बहुत से रिटायर मास्टर हैं जो वृद्धा अवस्था में हैं। तो उनकी नियुक्तियाँ वहाँ पर करें जहाँ पर हमारी मातायें, बहनें जो अध्यापिकाएं हैं, जो नहीं जा पाती हैं, वहाँ पर करें तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, मैं स्कूलों में देखता हूं कि जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट स्कूल हैं वहाँ पर हरिजनों के बच्चों के साथ आज भी ऐसा व्यवहार किया जाता है, आप जानते हैं कि स्कालरशिप वहाँ पर आती है, उन बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल जबकि उनके पास बिल चले जाते हैं लेकिन साल-साल भर भुगतान नहीं करते हैं। इसका नतीजा होता है कि गरीब बच्चों को पैसा न मिल पाने के कारण वह किताबों से महरूम रह जाते हैं। इसके अलावा मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। बड़े परिवारों के बच्चे अमेरिका में पढ़ सकते हैं, जर्मनी में पढ़ सकते हैं, इंगलैन्ड में पढ़ सकते हैं लेकिन गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण से मतलब यह है कि एक ओर तो बड़े परिवारों के लड़कों पर लाखों रुपये खर्च होता है और दूसरी ओर जो गरीब बच्चे हैं जिनके लिए टाट-पट्टी नहीं है। तो कैसे यह गरीब बच्चे उन बच्चों का मुकाबला कर सकते हैं और कम्पटीशन में बैठ सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री नन्द राम—

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा स्कूल हैं उनमें एस0डी0आई0 हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने ध्यान दिया कि हरिजनों का रिजर्वेशन कितना है। 18 परसेंट में 2 परसेंट भी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री नन्द राम—

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, शिक्षा का बजट है और शिक्षा जगत में विद्यार्थी प्रमुख हैं।

श्री अधिष्ठाता—

रवीन्द्र जी, आप बैठ जायं ।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

इतने पुरुष बोल चुके हैं, अब बोलने के लिए एक महिला खड़ी हुई है, वह भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जानते हैं कि सबकी पोल खोल दूंगी।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिए और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ शब्द मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। मान्यवर, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनके चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार मुझे उम्मीद हुई थी कि शिक्षा में कोई क्रान्तिकारी परिवतन होगा। मान्यवर, दो साल बीत गये और उसके बाद आज बड़े सौभाग्य से शिक्षा मन्त्री जी के मस्तिष्क में यह विचार आया है कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए और उसके लिए हमसे कुछ सुझाव भी मृाँगे हैं। अब इसमें तीन साल बीत जायेंगे। तो मैं कहना चाहती हूं कि, सामान 100 वर्ष का "लेकिन कल की खबर नहीं," कहावत चरितार्थ होती है। अभी सुझाव ही माँगें, जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं 1969 में रूस गयी थी। आपको विदित होगा कि 1917 में वहाँ क्रान्ति हुई, लेकिन उसके बाद वहाँ सबसे पहला काम यह हुआ कि शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया गया और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया और सम्पूर्ण यू0एस0एस0आर0 में एक ही शिक्षा की व्यवस्था की गयी जिसका नतीजा रूस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हमने भी इसमें उपलब्धियाँ की हैं, लेकिन दुनिया को दिखाते हुए शिक्षा जगत में जो इन्हें क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहिए था, जो अमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिए था वह नहीं किया। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूं कि जब तक हम पूरे देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तब तक हम किसी प्रकार का क्रान्तिकारी परिवर्तन शिक्षा में नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, 40 साल का मुझे शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है, मैंने शिक्षा की सेवा किया है, इसलिए मैं उसकी कमजोरियों को अच्छी तरह समझती हूं। मान्यवर, शिक्षा मन्त्री जी ने जो क्रान्तिकारी परिवर्तन की बात कही है तो उनसे पूछना चाहती हूं कि यह प्रबन्धक कमेटियाँ जो भ्रष्टाचार के अड्डे हैं क्या उनको हटाने की आप हिम्मत करते ह? आज उन्होंने हमारे सामने स्वामी विवेकानन्द और महात्मा गाँधी, गौतम बुद्ध और महान पुरुषों का नाम लेकर पुरानी यादें ताजा करके हमारे दिलों को खुश किया ह लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आप हिम्मत करेंगे कि इन प्रबन्ध समितियों को समाप्त करेंगे ? हाँ, एक समय था जब इन समितियों ने बहुत बड़ा काम किया था और शिक्षा का प्रचार किया था।

स्वामी विवेकानन्द ने प्रेरणा दिया और शिक्षा के प्रचार की एक लहर यहाँ छा गयी, लेकिन आज उस तपस्या का दुर्भाग्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि स्कूलों और कालेजों को सरकारी अनुदान मिलता है इसलिए यह प्रबन्ध समितियाँ भ्रष्टाचार का अड्डा हैं। इसलिए यह भ्रष्टाचार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण या शिक्षा में कान्तिकारी परिवर्तन नहीं करेंगे। सुझाव के सम्बन्ध में मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि साल भर हुआ हमारे अध्यापकों ने कुछ माँगें आपकी सेवा में पेश किया और सुझाव दिये, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, 20 हजार अध्यापकों को जेल में बन्द कर दिया गया। जो अध्यापक जेल में बन्द थे उन पर लाठी प्रहार हुआ। तो क्या गुरुजनों को इसी तरह से सम्मानित करके शिक्षा में प्रगति होगी ? इसमें मैं पूछना चाहती हूं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि शिक्षा में जब तक समानता नहीं होगी, काम नहीं चलेगा। रूस का मैंने उदाहरण दिया। वहाँ पर किसी भी प्रान्त में चले जायं। छठी क्लास की सभी जगह एक-सी शिक्षा है—माध्यम अलग-अलग है। मैं कहना चाहती हूं कि जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तब तक कोई भी क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं–चाहें कितने ही सुझाव क्यों न मांगे। एक चीज यह कहना चाहती हूं कि आज शिक्षा के केन्द्रों पर बड़ा असन्तोष है जिसको दूर किया जाना चाहिए। एक चीज यह कहना चाहती हूं कि आज बड़ी असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है और एक कन्या का अभिभावक अपनी कन्या की सुरक्षा नहीं महसूस करता। अखबारों में आई0 टी0 कालेज के बारे में पढ़ा होगा। आज विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है। कन्याओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मेरी महिला यूनिवर्सिटी की माँग है। हम दिखा सकते हैं कि महिला यूनिवर्सिटी के जरिये हम कितना अनुशासन होना चाहिए, इसको दिखा सकते हैं। तो महिला यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए।

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और मन्त्री जी का अभिनन्दन करता हूं कि पहली बार इस सदन में यह सुनने को मिला है कि शिक्षा में नैतिक शिक्षा और योगिक शिक्षा का समावेश होगा। लेकिन मेरे मन में कुछ आशंकायें खड़ी हो रही हैं और मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया उनका समाधान करें। जो नैतिक शिक्षा और योगिक शिक्षा के बारे में बात कही है, सवाल है कि नन्हें-नन्हें बच्चों को उस शिक्षा को कौन देगा प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर जिसके बारे में चर्चा हो रही है। जो दुविधा है वह यह है कि नैतिक शिक्षा का किस प्रकार पठन-पाठन होगा? नैतिक शिक्षा क्या पुस्तकों के माध्यम से दे सकेंगे? योगिक शिक्षा क्या पुस्तकों के माध्यम से दे सकेंगे?

एक यह चीज कहना चाहता हूं कि आज प्रारम्भिक शिक्षा की बड़ी दुर्गति हो रही है। हर विद्यालय की स्थिति खराब है। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनायें और उसमें गाँव के प्रधान के उत्तरदायित्व दें कि वह अपने यहाँ के प्रधानाध्यापक और अध्यापकों पर नियन्त्रण रखें। यदि वे अनुपस्थित होते हैं, तो प्रधान की बात को महत्व दिया जाय। आज पूरे गाँव के लोग चिल्लाते हैं, प्रधान चिल्लाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और अध्यापकगण लगातार अनुपस्थित रहते हैं।

एक बात यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहाँ हम अध्यापकों से कुछ आशाएं रखते हैं, वहीं पर उनकी सुविधाओं के बारे में भी हमको ध्यान देना चाहिए। माननीय मन्त्री जी ने घोषणा की, लेकिन सवाल है कि वे व्यवहार में उतरेंगी या नहीं? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक अध्यापक 70 में रिटायर हुआ। लगातार ग्रेचुटी और पेंशन के लिए दौड़ता रहा, लेकिन नहीं मिल सकी और अन्त में सन् 1976 में उसकी मृत्यु हो गयी लेकिन आज तक उसकी पेंशन और ग्रेचुटी नहीं मिल सकी। इस तरह से माननीय मन्त्री जी सोच सकते हैं कि आज अध्यापकों की क्या दुर्गति है। 10 साल रिटायर हुए हो गये, लेकिन न पेंशन, न ग्रेचुटी, न फन्ड वगैरह की सुविधायें मिल रही हैं।

सबसे बड़ी दयनीय स्थिति प्रारम्भिक स्तर पर स्थानान्तरण की है। उसके लिए निवेदन है कि कुछ कमेटियाँ बनाई जायं जिसमें कुछ अधिकारी रखे जायं। आज यहाँ पर क्लर्क मनमाने ढंग से स्थानान्तरण करता है। तो कुछ ऐसी कमेटियाँ बनायें कि जिसमें अध्यापकों के प्रतिनिधि हों, जन प्रतिनिधि हों, कुछ अधिकारी भी हों और साल में एक बार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरीश चन्द्र तिवारी]

स्थानान्तरण किया जाय और उसके लिए मापदण्ड निर्धारित किये जायं। तो विधिवत रूप से अपने ब्लाक से दूर स्थानान्तरण किया जाय। यदि कोई अध्यापक अच्छा काम करता है, नियमित रूप से अपने कर्त्तव्य का पालन करता है तो उसे अपने निकट के विद्यालय में रखने की सुविधा दी जाय। माननीय मन्त्री जी ने घोषणा की है कि जो नये विद्यालय खुलेंगे उसमें भवन निर्माण के लिए 80 हजार रुपए प्रत्येक विद्यालय को देंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं निवेदन करूंगा कि जो विद्यालय 10—10 साल से बिना भवन के चल रहे हैं, उनको छोड़ कर नये विद्यालयों में भवन निर्माण हो जायं तो उन्हें बड़ी कुण्ठा होगी कि हम इतने वर्ष से विद्यालय चला रहे हैं, उनके भवन न बनकर नये विद्यालयों के भवन बनाये जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो विद्यालय पिछले कई सालों से चल रहे हैं पहले उनके लिए भवनों की व्यवस्था की जाय और फिर नये विद्यालयों के लिए व्यवस्था की जाय। मैं मन्त्री जी का ध्यान प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों की सेवा नियमावली की ओर दिलाना चाहता हूं। आप किसी जिले में देखें, उनकी कोई सेवा नियमावली नहीं है, न कोई ज्येष्ठता सूची है और न कोई रिकार्ड ही उनका कार्यालय में है।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं तो चाय पीने चला गया। आपने मुझ से पहले बक्शी को समय दे दिया, बक्शी बोल गयीं। रामरति जी को समय देना था आपको।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आज करीब 25 हजार से अधिक ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापक बेकार बैठे हुए हैं जिनको ट्रेनिंग किए 5—6 वर्ष हो चुके हैं. . . . . (शोर)

आज विद्यालयों में जो अनुशासनहीनता फैली हुई है उसका कारण है यूनियन। मैं अनुरोध करूंगा कि यूनियन के स्वरूप को जुलाई तक अवश्य बदल दिया जाय। एक बात और कहूंगा प्रौढ़ शिक्षा का आज सत्यानाश हो रहा है, वह एक चरम सीमा पर पहुंच गया है। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जहाँ कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। अध्यापक एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए लेकिन रजिस्टरों में बराबर विद्यालय चल रहा है। मैंने इसकी शिकायत भी अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। प्रौढ़ शिक्षा में सुधार की बहुत आवश्यकता है।

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, किसी भी देश की उन्नति के लिए आवश्यक है कि शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाय। अगर गहन रूप से सोचा जाय तो सबसे पहले प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार होना अति आवश्यक है। प्रारम्भिक शिक्षा की जहाँ तक स्थिति है, मैं केवल एक छोटी सी बात कहूंगा अपने बुन्देलखण्ड के बारे में। बुन्देलखण्ड की शिक्षा की दृष्टि से बहुत उपेक्षा हुई है। अगर पूरा औसत देखा जाय तो बुन्देलखण्ड में सबसे कम औसत है और उसमें भी ललितपुर में सबसे कम 9.1 प्रतिशत है। अगर आप शिक्षित बालिकाओं का प्रतिशत देखें तो केवल 2.9 प्रतिशत आता है, ललितपुर जनपद का। वहाँ कोई व्यक्ति ऋण लेने के लिए जाता है तो दस हजार की जगह बीस हजार पर उससे अंगूठा लगवा लिया जाता है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ध्यान से सुनने का कष्ट करें। मैं पर्वतीय क्षेत्र और बुन्देलखण्ड क्षेत्र की तुलना आपके सामने रखना चाहता हूं।

पर्वतीय क्षेत्र की आबादी 38,22,000 है लेकिन इन्टर कालेज हैं 526, बेसिक जूनियर हाई स्कूल 1013, प्राइमरी स्कूल 6318, बुन्देलखण्ड की आबादी है 43,90,000

(हाँ पर 215 इन्टर कालेज हैं, 751 बेसिक जूनियर हाई स्कूल हैं, 4726 प्राइमरी स्कूल हैं। यह अवस्था बुन्देलखण्ड और पर्वतीय क्षेत्र की है। एक बात कहता हूं कि पिछड़े क्षेत्र की बात की जाती है कि पिछड़े क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है, हमारी समझ में नहीं आता कि 30 वर्ष से हमारा क्षेत्र उपेक्षित रहा और वर्तमान सरकार ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जितने भी विद्यालय खोले गए बुन्देलखण्ड उनसे वंचित रहा। जो मन्त्री के प्रभाव में रहें उन क्षेत्रों में चार–चार विद्यालय खोले गए शेष जिलों में प्रगति शून्य रही। ललितपुर को ले लीजिए। आप को आश्चर्य होगा कि वहाँ की आबादी 5,37,000 है और वहाँ पर केवल 14 हाई स्कूल एवं इन्टर कालेज हैं, 62 लड़कों के लिए और 28 लड़कियों के, इस प्रकार 90 जूनियर हाई स्कूल हैं और 625 प्राइमरी स्कूल हैं। यदि लड़कियों की शिक्षा का प्रसार देखा जाय तो आपको पूरे ललितपुर क्षेत्र में दशमलव में मिलेगा .7 या .8 होगा। हमारे क्षेत्र में, गोस्वामी जी के क्षेत्र में आपको कोई भी लड़की कक्षा पाँच से ज्यादा पढ़ी नहीं मिलेगी। माननीय मन्त्री जी इसका सर्वेक्षण करा लें।

इसके साथ-साथ हमारे यहाँ 681 ग्राम सभायें हैं जिन में 769 गाँव हैं, 625 प्राइमरी स्कूल हैं। अभी तक प्रत्येक गाँव सभा के लिए एक स्कूल नहीं हो पाया है। एक बात स्वागत योग्य है। यह कहा गया है कि तीन सौ से ऊपर आबादी वाले गाँव के हर डेढ़ किलोमीटर पर एक विद्यालय अवश्य खोला जायगा। मैं माननीय मन्त्री जी से नि वेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में इस प्रकार की दयनीय अवस्था है कि वहाँ के लोग कुछ नहीं जानते हैं, शिक्षा के मामले में शून्य हैं, वहाँ पर कम से कम प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर एक स्कूल खोल दिया जाय। आप 220 नये जूनियर हाई स्कूल खोलेंगे, 827 के लगभग प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, 35 हाई स्कूल और 28 इंन्टर कालेज खोलेंगे तो प्रत्येक जिले में एक लड़कों का और लड़कियों का हाई स्कूल अवश्य खोलें।

मैं अपने क्षेत्र की आदिवासी लोगों की बात करता हूं। मेरे क्षेत्र में ऐसे आदिवासी लोग हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, लगोंटी पहनना जानते हैं, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी सम्पूर्ण अवस्था के बारे में हमारे शासन ने कुछ नहीं किया। उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनके बच्चों के लिए रेजिडेंशल स्कूल खोलने चाहिए और उनके लिए सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए

मान्यवर, रिजेक्टेड मैटीरियल के रूप में अधिकारी हमारे यहाँ भेजे जाते हैं। हमारे सामने कुछ अधिकारीगण बैठे हैं। मैं भी राजकीय इण्टर कालेज में अध्यापक था और वे हमारे अधिकारी थे। वे अच्छी तरह से जानते हैं। माननीय मन्त्री जी आपने आदेश दिया था कि कोई भी परीक्षा केन्द्र पाँच किलोमीटर से अधिक की दूरी पर नहीं होगा लेकिन हमारे यहाँ के डी0 आई0 ओ0 एस0 ने आप के आदेशों के बावजूद परीक्षा केन्द्र चेंज नहीं किए। इसी प्रकार हमारे ब्लाक स्तर पर एस0 डी0 आई0 हैं वे वहाँ पर नहीं रहते। बड़ी दयनीय अवस्था है।

मान्यवर, आपने प्राइमरी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को जो भत्ते की घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है लेकिन राजकीय इन्टर कालेज के अध्यापक एक अनवरत सेवक हैं, उसका ट्रान्सफर होता है, उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गयी है.....

श्री अधिष्ठाता––

आप समाप्त करें, श्री मोती राम....

श्री रणवीर सिंह––

हमारे ललितपुर क्षेत्र में एक डिग्री कालेज है....

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मोतीराम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। इस देश और प्रदेश में हम सब तरह की चर्चा करते हैं, सभी विभागों की आलोचना होती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी चर्चा काफी जोर से होती है लेकिन अगर इस देश व प्रदेश का ढांचा सुधारना है तो वह शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है ? कोई राजनीतिक हो, अधिकारी हो अथवा व्यापारी उसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है देश का कि जो इस देश का निर्माता है प्राइमरी स्कूल का शिक्षक वह सबसे ज्यादा उपेक्षित है। उसके रहन सहन तथा तौर तरीके के सम्बन्ध में सरकारें पिछले तीस साल से नहीं सोच रही है। शिक्षा जगत में व्यापार की प्रवृत्ति का आ जाना यह इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जायगा। एक वेलफेयर स्टेट का यह दायित्व हो जाता है कि शिक्षा को वह किसी भी तरह व्यापार का साधन न होने दे। यहां अनेक बार शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की चर्चा होती है। मैं उस पर जोर नहीं देता लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि सारे देश में समान शिक्षा और समान अवसर प्रत्येक छात्र को दिया जाय तो आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

एक तरफ व्यापार के केन्द्र पब्लिक स्कूल खुले हुए है। दूसरी ओर प्राइमरी स्कूलों की दिशा किसी से छिपी नहीं है। एक छात्र एयर कंडीशन में पढ़ता है, घर पर ट्यूटर लगाता है और उसको अच्छी पुस्तक तथा अच्छा वातावरण उपलब्ध है। दूसरी ओर शेड्यूल्ड कास्ट का बच्चा, सर्वहारा वर्ग का बच्चा झप्पर तथा चिराग की रोशनी में पढ़ता है तो कैसे वह कम्पटीशन में आ सकता है, कैसे समानता की भावना आ सकती है। जो लोग बड़ी बातें करते है, आरक्षण का विरोध करते है मैं भी चाहता हूं कि आरक्षण समाप्त हो लेकिन इससे पहले इस देश के कर्णधारों को सोचना होगा कि बच्चों का निर्माण समान वातवरण में हो लेकिन यह व्यापार के केन्द्र आपने शिक्षा जगत में खोल रखे है जिनको पब्लिक स्कूल कहा जाता है और जिन्होंने असमानता लाई है, उनको समाप्त किया जाय। पब्लिक स्कूल के मास्टर काफी कमाते हैं। शाम को ट्यूशन करते है। यह क्रानिक डिजीज हो गयी है खाते पीते घर का बच्चा स्कूल जाता है तो छमाही परीक्षा में, माहवारी परीक्षा में उसे फेल कर दिया जाता है और उसे ट्यूशन के लिये मजबूर किया जाता है। कोई ऐसा रास्ता ढूंढ़ना होगा जिससे अध्यापक का वेतन तो बढ़े, अन्य सुविधायें दी जायं लेकिन ट्यूशन जो अभिशाप साबित होता जा रहा है उसे समाप्त किया जाय।

मैं कानपुर से चुन कर आया हूं। मैने देखा कि जो माध्यमिक स्कूलों का स्तर है वह गिरा हुआ है। बिल्डिग का इन्तजाम करती है नगर महापालिकाएं या लोकल बाडीज। अध्यापक का इन्ताजम करता है परिषद्। दोनों में तालमेल नहीं है। कभी किसी स्कूल में मास्टर पहुंच गये तो इमारत गायब और कहीं इमारत बन गई तो मास्टर गायब। मान्यवर, एक शिव रतन शुक्ल इन्टरमीडियेट कालेज कानपुर में था। जब हमने कोशिश किया तो नगरपालिका ने नई बिल्डिग बना दी और वह स्कूल उसमें शिफ्ट कर दिया। जो स्कूल खाली किया गया उसके लिये हम दो साल से कह रहे हैं कि उसमें एक कन्या पाठशाला खोल दी जाय किन्तु उसकी फाइल यहां सचिवालय में घूम रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वह एक श्रमिक बस्ती है, गरीब लोग वहां बसते है। 3 किलो मीटर के दायरे में कोई बालिका विद्यालय वहां पर नहीं है। इसीलिये हम लोगों ने यह मांग की थी कि उस पुरानी इमारत में एक बालिका विद्यालय खुल जाय। आज वह बिल्डिग कुछ बदमाशों का अड्डा बनी हुई है। दों साल हो गये, कोई निर्णय उस सम्बन्ध में नहीं हुआ है। कहा जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। वही मसला यहां चरितार्थ हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने यहां पर प्रौढ़ शिक्षा की बात बतायी और बाल-आहार के बारे में कहा। ऐसा मालूम होता है कि कुछ राजनीतिक लोग ऐसी योजनायें बना लेते हैं जिसमें अपने आदमियों को फिट किया जाता है। ये दोनों योजनायें---प्रौढ़ शिक्षा और बाल-आहार इसी तरह की हैं। जिस देश का बच्चा अशिक्षित हो। वहाँ शिक्षा प्रौढ़ के नाम पर पैसे का दुरुपयोग हो, यह ठीक बात नहीं है। इसको समाप्त किया जाय। मैं समझता हूं, ये योजनायें समाप्त हों।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

आप मेरी सहायता करें। समय का ध्यान रखें।

श्री मोती राम---

अभी मेरे दो मिनट बाकी हैं।

(व्यवधान)

श्रीमन्, कानपुर इतनी बड़ी महानगरी है और एक इन्टर कालेज वहां पर आपका है उसमें जो पहले से प्रधानाचार्य हैं यादव जी, उनका ब्रेन हैमरेज हो गया था, वे चल नहीं सकते हैं डेढ़ साल से वहां पर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति चल नहीं सकता है उनको एक ही जगह पर प्रधानाचार्य रखा जाय यह ठीक नहीं है.....

(व्यवधान)

[श्री धर्मवीर सिंह, (मेरठ) का नाम पुकारे जाने पर]

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

क्या आपने कोई दूसरी व्यवस्था कर ली है कि उसके अनुसार हमें नहीं बुला रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

मैंने इसलिये थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि सत्ता पक्ष में जो इस समय उपस्थित है उसको देखते हुये मैंने 4 सदस्यों को बुलवा लिया है। इधर से अधिकांश बोल चुके हैं।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो शिक्षा का बजट आज सामने आया है मैं उसका समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में 2/4 सुझाव भी देना चाहता हूं। मान्यवर, एक बार मुझे मेरठ के एक बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में जाने का अवसर मिला। चूंकि वहां पर टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है इसलिये वहां जाना पड़ा। जब मैं वहां गया तो मैंने यह समझा कि शायद मैं किसी धर्मशाला में या सराय में तो नहीं आ गया हूं। वहां पर बड़ी अनुशासन हीनता मुझे दिखाई दी। बाहर से आने वाले लोगों के लिये बैठने का कोई इन्तजाम वहाँ पर नहीं है। बड़े इन्डिसिप्लिन्ड तरीके से वहां पर काम हो रहा है। इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां पर टेलीफोन की व्यवस्था की जाय और वहां व्यवस्था ठीक की जाय ताकि ऐसी तस्वीर वहां न देखने को मिले। जहां तक प्राइमरी स्कूल टीचर्स का सवाल है मैं समझता हूं कि प्राइमरी स्कूल का टीचर 6 महीने साल भर में इसी काम में गुजारता है कि उसका स्थानान्तरण उसके गांव में ही हो या गांव के आस पास के गांव में सबसे नजदीक जगह के स्कूल में हो जाय। कारण सीधा है कि उनकी रुचि पढ़ाने में नहीं रहती है और अपने घर के कामों में खेती आदि में ज्यादा दिलचस्पी रहती है। बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी उनकी नहीं रहती है। मान्यवर, यह एक जटिल समस्या है आखिर जब हमारे बच्चे प्राइमरी शिक्षा में शुरू शुरू में जाते हैं तो उनके साथ ठीक तरह का व्यवहार न हो और ठीक तरह की शिक्षा और सही शिक्षा न दी जाय और जब शिक्षा का बेस ही गलत हो गया तो आगे जाकर वह ठीक नहीं बन पायेंगे।

[श्री धर्मवीर सिंह]

मान्यवर, यह ठीक है कि एक नौमिनलेचर ऐजूकेशन में होना चाहिये, जहां तक पद्धति की बात है चाहें वह 10+2 हो या 10+2+3 हो जो भी हो जिसे आप उचित समझें उस पर विचार करने की अावश्यकता है। लेकिन उससे ज्यादा विचार करने की आवश्यकता इस बात की है जो शिक्षा आज दी जा रही है उसका नतीजा क्या हो रहा है। हर आदमी पढ़ता चला जाता है, हाई स्कूल, इंटर, बी0 ए0, एम0 ए0 करने के बाद उसमें एक भावना आती है कि उसे कहीं ह्वाइट कालर जौब मिल जाय। चाहे वह किसी तरह से पास हुआ हो, नकल करके पास किया हो, या किसी का नम्बर अपनी कापी में लिख कर पास हुआ हो लेकिन पढ़ने के बाद वह दूसरा काम करना पसंद नहीं करता बल्कि वह ह्वाइट कालर जौब की तलाश में रहता है।

इसलिए शिक्षा में अवश्य कहीं न कहीं, प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। चाहे हाई स्कूल ले लें, चाहे 8 वीं क्लास ले लें, चाहे इंटर मीडियेट ले लें जो भी आप उचित समझें और जो लड़के पढ़ने में अच्छे नहीं है जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अच्छे विद्यार्थी आगे बनेंगे उनको उसी जगह पर रोकना पड़ेगा नहीं तो एक फौज आप देश में खड़ी कर रहे है और जो अनइम्पलायमेंट की समस्या बढ़ रही है वह बढ़ती जायेगी।

दूसरा आपको शिक्षा के माध्यम से डिगनिटी आफ लेबर भी सिखानी पड़ेगी। आज कोई भी आदमी हो वह हाथ से काम करने में हिचकिचाता है क्योंकि हमारे यहां इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि उससे वह नौकरशाही की तलाश में रहता है। उसके अन्दर डिगनिटी आफ लेबर नहीं होती। यह भावना हो गई है कि अगर हाथ से काम करेंगे तो बेइज्जती हो जायेगी। हाथ से काम करने को आज इज्जत और सम्मान की बात को नहीं मानते हैं। लिहाजा डिगनिटी आफ लेबर भी बच्चों को बतानी पड़ेगी।

एक और जटिल समस्या आज हमारे सामने स्टूडेंट यूनियन की है। मैं आशा करता था कि यह इतनी बड़ी समस्या है जिस पर माननीय सदस्य बोलेंगे लेकिन जहां तक मुझे सुनाई पड़ा इस सिलसिले में कोई नहीं बोला.....

श्री अधिष्ठाता—

आप केवल एक मिनट में सुझाव दें।

श्री धर्मवीर सिंह (मेरठ)—

मैने मेरठ में देखा है कि अब की बार आपने इंटरमीडियेट कालेजों में भी लड़कों को यूनियन बनाने की इजाजत दे दी है। इंटरमीडियेट के लड़के 10, 15 हजार के बीच में रुपया खर्च करते है जैसे कि डिग्री कालेज में इलैक्शन होते हैं। जीप में बैठकर शराब की बोतल लेकर कनवैसिंग करते हैं। यह जो आपने इंटरमीडिएट में यूनियन फार्म करने की इजाजत दी है इसको बंद होना चाहिये। मेरे विचार से डिग्री कालेजे की जो स्टूडेट यूनियन है उसके लिये भी कोई न कोई बात सोचनी होगी और इसकी कंप्लसरी मैम्बरशिप नहीं होनी चाहिये। इस संबंध में भी अवश्य विचार करना पड़ेगा। एक या दो कत्ल हुए बिना इलेक्शन नहीं होते।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय धर्मवीर सिंह आप समाप्त करें।

श्री धर्मवीर सिंह (मेरठ)—

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ा खूबसूरत, लच्छेदार और प्रभावशाली भाषण दिया और ऐसा भाषण दिया कि सारा सदन मंत्र-मुग्ध हो गया। मैं खुद इस चक्कर में पड़

गया कि मुझे अगर बोलना पड़ा तो मैं क्या बोलूंगा, लेकिन माननीय देव बहादुर सिंह ने बाल की खाल निकाल कर हमारे लिये एक ऐसा रास्ता निकाल दिया कि सारा सदन और स्वयं जनता पार्टी के लोग उस रास्ते पर चल पड़े। एक सदस्य ने कहा कि भाषण कम है और घोषणाएं ज्यादा। घोषणाएं हुई, उसके पहले काम क्या-क्या हुआ, उसका शिकवा करने का भी हमको अधिकार नहीं, क्योंकि वह कहेंगे कि हमें अभी बहुत कम समय आए हुआ है। लेकिन आपने अपने समय में ही जो घोषणाएं राज्यपाल के अभिभाषण में की हैं, उनको भी आप भूल गए। उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि बेसिक शिक्षा के विकेन्द्रीकरण की बात आप कह रहे है, लेकिन आज आप उसे भूल गए। उसमें कहा गया था कि उर्दू को प्रोत्साहन दिया जाएगा, किन्तु आपके भाषण में एक सिरे से दूसरे सिरे तक उर्दू का कहीं नाम नहीं लिया गया है, संस्कृत का जिक्र अवश्य है।

आप कहेंगे कि उर्दू के शिक्षक भेज दिये गये, लड़के ही नहीं मिलते, लेकिन मेरे क्षेत्र में ही कई ऐसे स्कूल थे, जहाँ पर उर्दू अध्यापकों की माँग की गई थी, मैंने खुद पत्र लिखा था कि उर्दू का अध्यापक भेजा जाए, लेकिन आज तक नहीं भेजा गया। (व्यवधान) पिछली घोषणाएं आप भूल रहे है और नई ले रहे है, वे सभी हों तो मुझे भी शायद विरोधी पक्ष की ओर से विरोध करने का साहस न होता। मान्यवर, जो भी शासन की नीति आप तय करें, शक्ति के साथ उसका पालन होना चाहिए। आरक्षण का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों पर एक जाल सा फेंका गया, लेकिन चाहें माध्यमिक विद्यालय हों या डिग्री कालेजेज, कहीं भी वह नीति लागू नहीं है। यद्यपि आपने दोहराया है कि आप उसके लिए प्रयत्न करेंगे, लेकिन आज तक दो वर्ष बीत जाने पर भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया और उस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया गया। जूनियर हाई स्कूल और बेसिक स्कूलों का आप और निर्माण कर लेंगे, लेकिन जो पुराने भवन चल रहे है, उनमें 70 प्रतिशत स्कूलों की इमारत तक नहीं है। उनके बारे में भी आप को व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत से स्कूलों के लिए गाँव समाज ने जमीन दे रखी है, उस जमीन पर हुए उत्पादन से जो आमदनी होती है, उसका लेखा जोखा यदि भली प्रकार से रखा जाय, तो मैं समझता हूं कि ऐसे स्कूलों का खर्च चल सकता है। लेकिन उनका कोई भी लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। इस दिशा में भी कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। क्योंकि स्कूलों की सम्पत्ति का भारी दुरुपयोग हो रहा है, लोग उसको हड़प रहे हैं।

स्कूलों में पहले खेल कूद होते थे, लेकिन आज जिला स्तर पर इनका सिलसिला खत्म हो गया है, जो बहुत ही खेद की बात है। उनके बारे में भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। आज मंत्री जी ने बी0 टी0 सी0 के बारे में कहा कि उनको अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, जो जे0 टी0 सी0 या सी0 टी0 की ट्रेनिंग पास है, उनको भी बी0 टी0 सी0 के बराबर का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनको भी मौका मिले। मैं उनसे अपेक्षा करता था कि जे0 टी0 सी0 के बारे में भी कुछ कहेंगे। मान्यवर, आज माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बने हुए हैं। राजनीति के अखाड़े की वजह से वहाँ अराजकता की स्थिति पैदा हुई है। स्कूलों में कहीं मैनेजमेंट और प्रिंसिपल लड़ रहा है, कहीं मैनेजमेंट कमेटी दो गुटों में लड़ रही है। विद्यार्थियों की वहाँ पर फौज है। उन पर डोरे डाले जाते हैं, बंटवारा किया जाता है, फूट डाली जाती है। कुछ लड़के इस तरफ और कुछ लड़के उस तरफ हो जाते हैं। इसके बारे में भी स्थिति साफ होनी चाहिये। एक गम्भीर बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

पिछले साल यहाँ पर सभाओं का एक चुनाव हुआ सदन की ओर से, मुझे भी एक सदस्य चुना गया। मैं कहना चाहता हूं कानपुर विश्वविद्यालय से एक पत्र मिला है, वहाँ पर कोई सभा नहीं है। लेकिन एक सभा का मेम्बर चुन कर भेजा जाता है। यह सदन की तौहीन है। इसके बारे में जानकारी की जानी चाहिए, जब विश्वविद्यालय में सभा नहीं है तो चुनाव की क्या जरूरत, सदस्यों को अपमानित करने की क्या जरूरत ? इन शब्दों के साथ मैं देव बहादुर जी की कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनके खूबसरत भाषण के लिए।

*श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं शिक्षा के बजट की ताईद करता हूं। साथ ही अपनी कुछ गुजारिशात, अपनी बातें भी पेश करना चाहता हूं। जैसा कि मेरे लायक दोस्त ने अभी बताया, यह बात काबिले अफसोस है कि पूरे बजट में उर्दू का जिक्र तक नहीं किया गया जब कि जलसों में, एलेक्शनों में, मैनिफैस्टो में, हर जगह यह दिया जाता है कि उर्दू के मुताल्लिक सिफारिशात की जाती है क्या नात दिये जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो अमली कदम उठाने की बात आती है तो कोई निशानदेही इस तरह की नहीं मिलती, जिससे यह बात ऐतमाद के साथ कही जा सके कि उर्दू को उसका जायज मुकाम दिया जायगा। जहाँ तक गुजराव कमेटी की सिफारिशात का ताल्लुक है मैं गुजारिश करूंगा कि वह सिफारिशात आपके पास है, तो जरूर देखें। उस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि माइनारिटीज का जो आप पर ऐतमाद है वह बहाल रहे। उसमें एस्तहकाम आगे मजबूती आये।

दूसरी चीज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल हैं, बावजूद इसके कि आदेश है, कि उर्दू पढ़ायी जाय, लेकिन सीमा की हद के अन्दर भी बच्चों के होते हुए भी उर्दू का इंतजाम नहीं किया जाता है, न पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। मैंने देखा है, मैं सबूत दे सकता हूं, वहाँ के गार्जियन्स ने लिखा दिया है कि यहाँ तादाद पूरी है, यहाँ पर बच्चो को उर्दू पढ़ायी जाय। इसके बावजूद भी उसे पढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि नीचे से एक साजिश है जो चाहती है कि उर्दू को सही मुकाम न मिले। मैं इस सिलसिले में मंत्री जी से फिर गुजारिश करूंगा कि इसके लिये भी एक जाँच कमेटी मुकर्रर करें और इसको दिखवाए कि क्या बात है, वह कौन से लोग हैं, जो इसके पीछे है जो उर्दू को सही, जायज मुकाम देने के लिए गुरेज करना चाहते हैं।

तीसरी चीज इस सिलसिले में और अर्ज करना चाहता हूं। अदालतों में भी कहा जाता है कि उर्दू को उसके जायज मुकाम के लिए कह दिया गया है। आदेश दे दिये जाते है लेकिन जब वहाँ कोई उर्दू में दरख्वास्त गुजारी जाती है, तो कहते है कि हम उर्दू नहीं जानते, हिन्दी में कापी दीजिये तब हम देख सकते हैं। इस तरह के बहाने से ऐतमाद पर ठेस लगती है। मैं फिर गुजारिस करूंगा कि इस सिलसिले में आप दिखवाएं और मजबूती के साथ ठोस कदम उठाएं।

चौथी चीज इसके साथ यह कहना चाहता हूं कि जो स्कूलों और कालेजेज में किताबें या कोर्स चलाये जाते है, उन कोर्सों में ऐसे पाठ होते है जिससे दूसरे की कयादत पर ठेस लगती है, वह वही है जो अंग्रेजों के जमाने में हिस्टरी बनायी गयी है, उन्हीं को रख दिया गया है। तोड़मोड़ कर तारीख को पेश किया गया है।

(इस समय 4 बजकर 39 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पुठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उससे हिन्दू मुस्लिम दोस्ती में एक रोड़ा होता है। लिहाजा इस सिलसिले में मैं यह कहूंगा कि एक कमीशन मुकर्रर किया जाये और वह इन तमाम चीजों का जायजा ले और जो फितूर है उसको निकाल दिया जाये जिससे हिन्दू-मुस्लिम में भेदभाव की बात न हो। जो तारीख सच्चाई से परे हो उसको निकाल दिया जाये। आज कल की जो एजूकेशन है, हम देखते है कि आज बसों पर, रेलों पर और गाड़ियों में सफर करना मुश्किल हो गया है। स्टूडेन्ट में इनडेसिप्लिन आ गयी है और उनकी बदनामी होती है। मैं खुशी का इजहार करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मारेल टीचिंग जरूरी कर दी है, लेकिन इस पर सख्ती के साथ अमल किया जाना चाहिए।

*श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो शिक्षा बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द, महात्मा गाँधी का नाम लिया परन्तु मैं उनका ध्यान तुलसी, महारानी लक्ष्मी बाई और राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त की भूमि की ओर दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या 38.22 लाख है और हमारे बुन्देलखंड की जन संख्या 43.90 लाख है। हमारी जनसंख्या साढ़े पाँच लाख अधिक है। बुन्देलखंड में उच्चतर माध्यमिक पाठशालायें 215 और पर्वतीय क्षेत्र में 518 अर्थात् 313 हमारे यहाँ पर कम हैं, जूनियर हाई स्कूल की पाठशालायें बुन्देलखंड में 751 और पर्वतीय क्षेत्र में 1031 हैं अर्थात् 280 पाठशालायें हमारे यहाँ पर कम है तथा जूनियर बेसिक विद्यालय बुन्देलखंड में 4728 और पर्वतीय क्षेत्र में 5518 हैं अर्थात् 790 हमारे यहाँ पर कम हैं। मान्यवर, अब आप छात्रों की संख्या को ले लीजिये। बुन्देलखंड में छात्रों की संख्या 6,01,220 है और पर्वतीय क्षेत्र में 5,15,790 है यानी 85430 छात्र हमारे यहाँ पर अधिक है। इसी प्रकार से अध्यापकों की संख्या बुन्देलखंड में 20,105 है और पर्वतीय क्षेत्र में 33,519 है अर्थात् हमारे यहाँ पर 13,414 अध्यापक कम हैं।

श्रीमन् कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा की जो छत है उसके चारो पाये मजबूत होने चाहिये। आप हमारे बुन्देलखंड की ओर ध्यान दें। पिछले साल आपने 28 स्कूल खोले परन्तु एक भी स्कूल आपने बुन्देलखंड को नहीं दिया। तीन डिग्री कालेज खोले परन्तु एक भी डिग्री कालेज ललितपुर में नहीं दिया। मान्यवर, प्रदेश में 19 विश्वविद्यालयों उनमें से पूर्वी क्षेत्र में 7, पश्चिमी क्षेत्र में 4, मध्य क्षेत्र 4, पर्वतीय क्षेत्र में 3 और बुन्देलखंड में एक और हमारे यहाँ पर है भी वह भी कायदे का नहीं है, न वहाँ पर भवन है और न कोई व्यवस्था है। इसी प्रकार से डिग्री कालेज पर्वतीय क्षेत्र में 18, बुन्देलखंड में 3—2 हमीरपुर में और एक बाँदा में, बनारस में 4, रामपुर में 2, मिर्जापुर में 1, सीतापुर में 1, पीलीभीत में एक, गाजीपुर में एक और जो खुलने वाले है उनमें रायबरेली और देवरिया हैं। हमारे ललितपुर जिले का कहीं पर नाम नहीं है। आपकी नीति क्या है। जब आप कालेजेज खोलते है, हाई स्कूल्स खोलते है, तो राजनीतिक दबाव से या वहाँ की आवश्यकता को ध्यान में रख कर खोलते है, मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। इस प्रकार का भेदभाव हमारे क्षेत्र में बुन्देलखंड में है। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के स्कूल 1383 कम है पर्वतीय क्षेत्र के मुकाबले में जब कि 2 ही पिछड़े क्षेत्र हैं एक बुन्देलखंड और दूसरा पर्वतीय। हमारे यहाँ पर 280 जूनियर हाई स्कूल्स है, 313 हाई स्कूल और 790 प्राइमरी स्कूल्स है अर्थात् कुल मिलाकर 1383 स्कूल कम है पर्वतीय क्षेत्र के मुकाबले में।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी]

जहाँ तक अध्यापकों का प्रश्न है वह भी पर्वतीय क्षेत्र के मुकाबले में 13,414 कम है। हमारे इलाके में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों बुन्देलखंड में 4.808 अध्यापक हैं जब कि पर्वतीय क्षेत्र में 8,794 हैं, जूनियर हाई स्कूल में 3,076 हैं जब कि पर्वतीय इलाके में 4520 हैं, प्राइमरी पाठशालाओं में हमारे यहाँ पर 12,121 अध्यापक हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में 20,205 हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर बुन्देलखंड में 20,105 हैं जबकि पर्वतीय क्षेत्र में 33'519 हैं, अर्थात हमारे यहाँ पर कुल 13,414 कम अध्यापक हैं, जबकि हमारे यहाँ की जनसंख्या 5 1/2 लाख से ज्यादा है और प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या भी 1 लाख ज्यादा हैं।

हमारे यहाँ पर एक जूनियर हाई स्कूल सरकार का 1913 में खुला था उसके बाद एक और खुला लेकिन अभी तक इमारत नहीं बन सकी। 1962 में जब हमारे शिक्षा मंत्री जुगुल किशोर जी थे तो उन्होंने कहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठिए, आपका समय समाप्त।

एक सदस्य—

मान्यवर, सदन का समय बढ़ा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक आप लोग बोलेंगे सदन का समय बढ़ा हुआ माना जायेगा। जिस समय आप बन्द करना चाहेंगे आप क्लोजर मूव कर दें। वैसे इस विषय पर माननीय सदस्यों की ज्यादा दिलचस्पी दिखायी पड़ती है, मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोलना चाहें, उतने बोलें।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आप हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो शिक्षा के सम्बन्ध में आय व्ययक प्रस्तुत किया है, शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने की दृष्टि से जो घोषणायें की गयी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। यह बात सही है कि इससे पहले भी इस प्रकार की अनेक घोषणायें की गयी हैं लेकिन आप जैसे शिक्षा मंत्री का जो व्यवहार है, उनकी जो संकल्प शक्ति है, उसके आधार पर मैं यह विश्वास रखता हूं कि वे इन घोषणाओं को साकार रूप देने में अवश्य ही सफल होंगे। इस अवसर पर लाभ उठा कर मैं कुछ बातों को बतलाना चाहता हूं जिनके लिए बहुत सजग और निश्चयात्मक बुद्धि के साथ कुछ निर्णय करने पड़ेंगे।

इसमें बहुत ऐसी घोषणाएं भी हैं जिनका उल्लेख इसके पहले भी किया जा चुका है और यदि वे कार्यान्वित न की जा सकें तो निराशा ही होगी। इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को उनके विभाग के सम्बन्ध में आगाह भी करना चाहता हूं और उनका ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में 18 करोड़ रुपये का पिछले वर्ष के मुकाबले मे अधिक प्राविधान किया गया है लेकिन वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक के जो पुनरीक्षित आंकलन प्रस्तुत किये गये हैं उनके अनुसार गत वर्ष के 12 करोड़ 60 लाख रुपये शेष रह गये हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गलत प्राक्कलन दिखाकर इतना अधिक रुपया दिखाया गया है? मंत्री जी को बहुत मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब मैं प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। इसके लिए 13,070 केन्द्र खुले हुए हैं। घोषणा यह हुयी है कि इन केन्द्र में 2 लाख 60 हजार 500 लोग लाभान्वित होंगे। इस हिसाब से वहाँ एक केन्द्र में 19 से 20 युवक लाभान्वित होंगे और इस पंचवर्षीय योजना में जैसा कि मोरार जी भाई ने घोषणा की है 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंच पायेगा। इस योजना के 3 वर्ष शेष रह गये हैं और 6 लाख लोगों का लाभान्वित होना संभव दिखायी नहीं दे रहा है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि 4,675 केन्द्र 11 से 14 वर्ष के ग्रुप के लिये खोलें जायेंगे जिनपर 53 लाख रुपया खर्च होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक अध्यापक को जिसे 50 रुपया वेतन मिलता है, जो 10 माह काम करता है, तो 500 रुपया एक केन्द्र पर एक अध्यापक को दिया जायगा। इस तरह से 23 लाख रुपया अध्यापकों पर व्यय होगा और एडमिनिस्ट्रेशन पर 30 लाख रुपया खर्च होगा। जहाँ तक इनके निरीक्षण का प्रश्न है आपने परियोजना अधिकारी बनाये हैं। उनके पास निरीक्षण के कोई साधन नहीं है। उनके लिये साधन उपलब्ध कराये जायें।

मैं मान्यवर, नेहरू युवक केन्द्र के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। केन्द्रीय सरकार से इनके लिये भारी ग्रान्ट मिलती है। यह केन्द्रीय सरकार के तहत में होते हैं। मगर चूंकि मंत्री जी के वक्तव्य में उनका जिक्र आ गया है इसलिये हम इसपर भी चर्चा कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके रखरखाव के लिये एक क्लर्क को रखा गया है। सारा काम उस बाबू को ही करना होता है। इन केन्द्रों में इस कारण बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरा सुझाव है कि इन केन्द्रों पर नियंत्रण के लिये कुछ स्थानीय लोगों की एक समिति गठित की जाये और इसके लिये। आप केन्द्र से लिखा पढ़ी करें।

मान्यवर, पुस्तक में यह भी लिखा है कि प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन भी किया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने किसी एक जगह के भी मूल्यांकन रिपोर्ट का अध्ययन किया है?

अब मैं उच्च शिक्षा के विषय में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यहाँ नियुक्तियों में कितना भ्रष्टाचार है उसका एक ही उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी गढ़वाल विश्वविद्यालय में उपाधि वितरण समारोह करने के लिये कुलाधिपति महोदय गये। वहाँ की एक छात्रा जुगरान को गोल्ड मेडिल मिला। उस छात्रा ने वह गोल्ड मेडिल यह कह कर वापस कर दिया कि वह थ्रू आउट फर्स्ट क्लास आती रही है मगर फिर भी उस विश्वविद्यालय में उसकी नियुक्ति न करके, तृतीय श्रेणी में पास होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है। इसके अलावा मान्यवर, एक दूसरी समस्या यहाँ की और है। 10–10 वर्ष से तदर्थ नियुक्तियाँ यहाँ चली आ रही है और नये-नये अध्यापक भी नियुक्त किये जा रहे है। पर उन पुराने अध्यापकों के नियमतिकरण की ओर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

तीसरी और अंतिम बात एक और कहना चाहता हूं। सरकार क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर डिग्री कालेजों में कक्षायें खोलने की बात करती है। उसके लिये विश्वविद्यालय में एक निर्धारित रकम को जमा करना होता है। अनेक विद्यालय एसे हैं जिनकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वे निर्धारित रकम को जमा कर सकें। इसलिये वे कक्षायें खोलने से वंचित रह जाते है। इसलियें मेरा सुझाव है कि इस तरह के नियमों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी की अच्छी घोषणाओं का स्वागत करता हूं और जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं उनका समर्थन करता हूं।

*श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया और जो भाषण दिया उसमें इस तरह की जिज्ञासा दिलायी कि वे अपने विभाग में गहरायी के साथ जाकर, बड़ी सूझ बूझ के साथ, आवश्यक परिवर्तन करेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 30 वर्षों में जो भी सरकारें आयीं, जो भी शिक्षा मंत्री हुये, उन्होंने अपनी समझ से कोई कसर उठा नहीं रखी। पर मर्ज बढ़ता गया ज्यू ज्यूं इलाज किया। चूंकि माननीय डाक्टर साहब उच्च शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बैठे है, इसलिए मैं अपने जिले का एक छोटा-सा मसला प्रस्तुत करके आगे बढ़ जाऊंगा। हमारे यहाँ अवध विश्वविद्यालय है। वहाँ पर 4 वर्ष से विजीलेंस की इन्क्वायरी चल रही है। 4 वर्ष के जीवन में यहाँ पर विजीलेंस की इन्क्वायरी बैठ जाना एक निन्दनीय बात है। इस पर माननीय मंत्री जी को गौर करना चाहिये। वहाँ पर जो प्रशासनिक दफ्तर बन रहा है, उसमें टेण्डर निर्माण के लिए माँगे गये थे, जिसमें दो के ही टेंडर आये थे, जब कि 3 का आना जरूरी था। उच्च कमेटी जो बैठी थी, उसने यह निर्णय किया था कि उसका निर्माण किसी निगम के द्वारा होगा। लेकिन उसका ठेका एक निजी व्यक्ति को देकर नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। 76 में एक बी0 एस-सी0 का स्टूडेंट इम्तहान देता है, पार्ट वन में उसको नम्बर 193 मिलता है, पार्ट टू का इम्तहान देता है, दोनो वर्षों का नम्बर चूंकि जोड़ा जाता है, पार्ट टू में उसको 163 के स्थान पर 393 नम्बर हो जाता है और उसको फर्स्ट क्लास का डिवीजन दे दिया गया।

इस तरह से उच्च शिक्षा की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये। जो वहाँ पर विश्वविद्यालय का कार्यालय है, वह 16 लाख का बन रहा है। उसमें बड़ी अनियमितायें की गयी हैं। वहाँ पर 4 साल का विश्वविद्यालय जीवन है, वहाँ पर इन्क्वायरी चल रही है। कुलपति और रजिस्ट्रार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसको दबा दिया गया। हमारे देश में जिस तरह की अव्यवस्था शिक्षा के संबंध में चल रही है, वह असमानता से परिपूर्ण है। उसके लिए एक समान व्यवस्था करना होगा। ऊपर से नीचे तक शिक्षा में समानता लानी होगी और उसकी नियुक्तियों में भी समानता लानी होगी, चाहे वह जिस स्तर से करानी पड़े, चाहे जिस योजना को लागू करना पड़े। जो भी व्यवस्था माननीय मंत्री जी आप करें, वह नीचे से ऊपर तक समान नियम के अन्तर्गत होनी चाहिए। परीक्षा में भी यही स्तर अपनाना होगा। सारे उत्तर प्रदेश का एक परीक्षा केन्द्र और एक बोर्ड होना चाहिये। उसके अन्तर्गत कंट्रोल होना चाहिए। जैसे माध्यमिक शिक्षा का होता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक और रोजगार परस्त और साथ ही साथ उनको मनोवैज्ञानिक टेस्ट के आधार पर शिक्षा देनी होगी। जब तक विद्यार्थियों के दिमाग को नहीं समझा जाता, तब तक तरक्की नहीं हो सकती है।

इस प्रदेश के अन्दर हम अभी नवजवानों को, बच्चों को शिक्षा दे ही नहीं पाते है, यह अजीब-सी प्रौढ़ शिक्षा लादी जा रही है। इस देश के नवजवानों को शिक्षा हम दे नहीं पा रहे है, बूढ़े लोगों को शिक्षा देने जा रहे है, इन शब्दों के साथ मैं जो माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन मैं करने में असमर्थ हूं। लेकिन उनकी जो सूझ-बूझ है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

बाबा राम अधार यादय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर कोई भी संस्था हो, या निर्माण-कार्य हो, जब तक उसकी बुनियाद ठीक नहीं होगी, तब तक वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान बुनियादी शिक्षा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वह बुनियादी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की कोशिश करें। देखना यह है कि प्रदेश में बुनियादी शिक्षा का स्तर कितनी गिर गई है, बदतर हालत को पहुंच गयी है। मैं इलाहाबाद नगरपालिका का बहुत वर्षों तक सदस्य रह चुका हूं वहाँ जो प्राथमिक विद्यालय थे, इतने अच्छे चलते थे जिसका कोई इंतिहा नहीं और अब कितना अन्तर हो गया है। मैं तो कहूंगा कि अब इन विद्यालयों का कम से कम 50 फीसदी स्तर गिर गया है। स्कूल में न छप्पर, न टाट, न पट्टी। गाँव के मुदर्रिस गाँव में रख लिये गये है और लड़के गुली-डण्डा खेलते हैं, इसलिये जब तक बुनियादी सुधार नहीं होगा, शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा। स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में जो लड़के है वे अनुशासनहीन हो रहे है, क्योंकि बुनियाद ठीक नहीं है, इसलिए बुनियादी शिक्षा में ठीक ध्यान दें। तत्कालीन काँग्रेसी सरकार में पंडित कमलापति त्रिपाठी, अपने कुछ रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर रखने के लिए बेसिक शिक्षा को अपने पास रख लिया था, अतः बुनियादी शिक्षा को ठीक करें।

लोग कहते है कि शिक्षा प्रणाली दूषित है, मैं कहता हूं कि क्या दूषित नहीं है। हर जगह परीक्षाओं में कहीं पिस्तौल, तो कहीं छुरा रखकर नकल चलती रहती है जिसका कारण है कि नैतिक शिक्षा समाप्त हो गई है। शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दें कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क दी जायेंगी। मैं कहता हूं कि निःशुल्क न दें, लेकिन उनको विशेष रूप से आप देखें कि जो कापियाँ, किताबें दी जाती है, उसका कागज ब्लैक करके दूसरे काम में लाये जाते है, वह उचित मूल्य पर नहीं मिलती है। कापी कागज का कोटा जो देते है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, पास गवर्नमेंट प्रेस है, कापियों व पाठ्य पुस्तकों को अपने प्रेस द्वारा तैयार करायें और कापी व पाठ्य पुस्तकों में कोटेदारों का कोटा समाप्त कर दें। कापी-किताबों पर विशेष ध्यान दें। विद्यार्थियों को सस्ती कापियाँ व पुस्तकें मिल सकें। बुन्देलखंड, पूर्वांचल है, जहाँ हमारी शिक्षा पिछड़ी है, उस ओर विशेष ध्यान दें। कमजोर वर्ग के लिए बड़ी दुहाई देते है। मैं चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दें। कमजोर वर्ग के लोग आगरा, इलाहाबाद के शहर में नहीं पढ़ते हैं। वे गाँवों में पढ़ते हैं, उन पर विशेष ध्यान दें।

(लाल बत्ती होने पर)

2 मिनट मेरा टाइम है।

श्री उपाध्यक्ष—

एक मिनट आप बोलें।

बाबा राम अधार यादव—

प्रौढ़ शिक्षा की बात, प्रौढ़ शिक्षा का बहुत प्रचार किया जा रहा है बुड्ढे तोते को आप पढ़ा कर क्या करेंगे? बाबा राम अधार, लक्खी सिंह को आप पढ़ायेंगे तो ये क्या पढ़ेंगे। इस का परिणाम क्या होगा, यह धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसमें बड़ा भारी गबन और भ्रष्टाचार हो रहा है।

मैं चाहूंगा कि वह शिक्षा तत्काल बन्द की जाय और उस धन को प्रारम्भिक शिक्षा में लगाया जाय।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

दूसरी चीज में अपने जनपद इलाहाबाद के बारे में कहना चाहता हूं। वाराणसी में 4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। लेकिन इलाहाबाद में केवल 2 हैं। एक लड़कियों का है और दूसरा लड़कों का है। मैं चाहूंगा कि इसी वर्ष में कम से कम एक बालिकाओं का और एक बालकों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वहाँ खोला जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए।

बाबा राम अधार यादव—

मैं एक मिनट और लूंगा। मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारतवर्ष का सबसे विख्यात विश्वविद्यालय है। मगर आज जो वहाँ की हालत है मैं चाहूंगा, हमारे नौटियाल साहब बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि विश्वविद्यालय के अन्दर जो अराजक तत्वों का प्रवेश हो जाता है उसकी जाँच करायें। सारे विश्वविद्यालय में एक दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे जो विश्वविद्यालय को नहीं चलने देना चाहते होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें।

बाबा राम अधार यादव—

मान्यवर, इन सब पर ध्यान दिया जाय।

श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा जिसको हम बूढ़ी शिक्षा कह सकते हैं, जो केन्द्र सरकार की योजना है कि निरक्षरता को दूर किया जाय, जो इसका उद्देश्य था, जहाँ तक मैं देख चुका हूं एक प्रतिशत भी लाभ नहीं हो रहा है। अतः इसे बन्द किया जाय। मेरा अनुरोध है कि प्राइमरी स्कूलों में जहाँ पर टाट-पट्टी लड़कों के लिए नहीं है, बिल्डिग नहीं है, वहाँ इसमें पैसे को खर्च किया जाय। वर्तमान समय में शिक्षा संस्थाओं में बहुत अशान्ति है, विशेषकर नकल के सम्बन्ध में समय-समय आलोचना होती है और अखबारों में निकलता है। उसके लिए मेरा अनुरोध है कि गेस पेपर्स जो निकलते हैं, उन पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाय। कुछ ऐसा आभास होता है कि किसी माध्यम से पेपर आउट हो जाते हैं और नतीजा यह होता है कि लड़के किताबों का सम्मान नहीं करते हैं, अध्यापकों का सम्मान नहीं करते हैं और गेस पेपर्स के आधार पर वह पास हो जाते हैं, तो मेरा विशेष अनुरोध है कि इन पर रोक लगायी जाय। इसके अतिरिक्त अनुशासनहीनता और हड़ताल हुआ करती है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि यूनियन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। यूनियन के स्थान पर शिक्षा संस्थाओं में विषय परिषद् बनाई जाय। उसमें मेधावी छात्रों को स्थान दिया जाय और यह नियम बनायें कि 50 प्रतिशत से कम नम्बर पाने वाले लड़कों को उनमें न रखें।

मैं अपने क्षेत्र महमूदाबाद, जिला सीतापुर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री की कृपा से कुछ विद्यालय वहाँ खुले, लेकिन भवनों की कमी के कारण विशेष परेशानी हो रही है, जैसे फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय डिग्री विद्यालय खोला गया, कुछ राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले गये, लेकिन भवनों की कमी की वजह से परेशानी है। अध्यापकों के रहने के लिए भवन नहीं है, न छात्रों के बैठने के लिए स्थान। अतः भवनों की व्यवस्था अवश्य कराई जाय। अनुशासनहीनता दूर करने के लिए मेरा एक सुझाव और है कि 75 प्रतिशत जो हाजिरी छात्रों की ली जाती है उसके स्थान पर उनकी हाजिरी 80 प्रतिशत की जाय और हाजिरी के आधार पर कुछ अंक निर्धारित किए जायं कि इतने प्रतिशत नम्बर दिए जायेंगे। इसी तरह से लड़के के व्यवहार पर कुछ प्रतिशत मार्क्स रखे जायं।

मान्यवर, इससे निश्चित रूप से आज कल जो विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है और एक साल बरबाद होने जा रहा है वह बचकर यह समस्या हल होगी और शिक्षा संस्था में अनुशासन बढ़ेगा। मान्यवर, यह जो तीन प्रकार की शिक्षा पद्धति चल रही है, जनरल स्कूल मान्टेश्रीस मजहबी विद्यालय विशेष कर व्यापारिक शिक्षा माँटेसरी स्कूलों को समाप्त किया जाय। हर व्यक्ति की शिकायत है कि अध्यापक स्कूलों को समय से नहीं जाते हैं और राजनीति में सक्रिय रहते हैं अतः इसको दूर करने के लिए अध्यापकों को उनके रेजीडेंस से कम से कम

20 किलोमीटर पर भेजा जाय। अध्यापकों पर नियन्त्रण रखने के लिए क्षेत्रीय समितियाँ बनाकर उनकी देख-रेख की जायं। और यदि यह सम्भव न हो तो ब्लाक से अवश्य हटा दिया जाय।

मान्यवर, मन्त्री जी से एक अनुरोध है कि मजहब के नाम पर जो संस्थाएं गली-कूचों में चल रही हैं मान्यवर, सरकार का कहना है कि हम धर्म निरपेक्षता की नीति पर चल रहे हैं तो धर्म और जातियता के आधार पर जो विद्यालय चल रहे हैं, इनसे संकीर्ण भावना पैदा होती है, इसलिए इन संस्थाओं का अनुदान बन्द किया जाय। मान्यता बन्द किया जाय और इनको बन्द किया जाना चाहिये, क्योंकि इन संस्थाओं से जनता में अलगाववादी भावना पैदा होती है जिसको दूर करने के लिए उन संस्थाओं को मन्त्री जी इन्हें बन्द करने का अवश्य प्रयास करें।

मान्यवर, इस समय जो शिक्षा है, वह रोजगार मूलक नहीं है। जैसे किसी ने बी0ए0 या एम0ए0 कर लिया तो उसको नौकरी की आवश्यकता पड़ती है लेकिन यह शिक्षा नौकरी देने वाली भी नहीं है न क्लर्क बनेगा न वकील न डाक्टर, इसलिए यदि इसके साथ में टैक्नीकल एजूकेशन जोड़ दिया जाय तो विद्यार्थियों के सामने रोजगार की समस्या नहीं होगी। छात्र संस्था छोड़ते ही अपने उद्योग में लग सकता है।

*श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करती हूं। मान्यवर, मैं देश और प्रदेश को योग्य, शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल नागरिक ही अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं। शिक्षा द्वारा जो सुविधाएं विद्यार्थियों और शिक्षकों को दी जा रही हैं उनसे पूरी उम्मीद है कि अधिक से अधिक, अच्छे से अच्छे नागरिक हमारे देश और प्रदेश में तैयार होंगे।

मान्यवर, शिक्षा मन्त्री जी ने विद्यार्थियों के कुछ आँकड़े प्रस्तुत किये। लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जूनियर हाई स्कूल में सारे आँकड़ों की एक बात मन्त्री जी से स्पष्ट नहीं हो सकी कि इस समय पुरुषों तथा महिलाओं की शिक्षा का औसत कितना है। पुराने आँकड़ों के आधार पर मैं समझती हूं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का शिक्षा का स्तर शायद चौथाई के बराबर है। तो जहाँ सरकार का ध्येय है कि स्त्री और पुरुष बराबरी के दर्जे में चलें वहां उनकी पढ़ाई पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों की कम है। इसके दो कारण हैं– पहला मैं समझती हूं कि अपनी बुद्धि की दृष्टि से माता-पिता लड़कियों की शिक्षा में रुचि नहीं लेते। उनकी भावना होती है कि लड़के पी0सी0एस0 और आई0ए0एस0 बनें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन वहीं उनकी लड़कियों के प्रति ऐसी भावना नहीं आती कि लड़कियाँ भी इस तरह बनें। दूसरा कारण लड़कियों पर अधिक धन उनका खर्च होता है। माता-पिता की भावना होती है कि लड़की अपनी सम्पत्ति नहीं है, इसलिए थोड़ा पढ़ा देना ही उनको जरूरी है। इसलिए लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा आगे शिक्षा में नहीं बढ़ रही हैं।

अब जो सुविधायें दी जा रही हैं उससे कुछ न कुछ वह आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अनुपात में लड़कियाँ कम हैं। इसलिए शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध है कि संविधान में जहाँ 14 वर्ष के छात्रों और छात्राओं के लिए सुविधाएं दी गयी हैं, वहीं छात्राओं को बराबरी का दर्जा लाने के लिए बालिकाओं को दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें वह चाहे किसी वर्ग की हों। यदि कानून द्वारा लड़कियों को सुविधा दी जाती है तो वह अधिक से अधिक पढ़ने में रुचि लेंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती रामरति देवी]

मान्यवर, हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने कुछ तजुर्बे के सुझाव रखे हैं कि हम विभाग के द्वारा प्राइमरी अध्यापकों को अधिक से अधिक उनके घरों के नजदीक रखेंगे। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के बारे में न केवल आज, बल्कि पहले भी जोरदार चर्चा होती रहती है। प्राइमरी अध्यापक वर्ग का जो पुराना रवैया रहा है, आज भी वही रवैया कायम है—उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जहाँ तक हमारे शिक्षा मन्त्री जी उनको अधिक से अधिक सुविधाएं उनको घरों के नजदीक देने के लिए सोच रहे हैं, उसमें लाभ की जगह हानि ही होगी। हमारे माननीय सदस्यों ने तो इतना ही कहा है कि ये पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि घूमते रहते हैं। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगी कि ये अध्यापकगण पढ़ाई तो करते नहीं, बल्कि लोकल अध्यापक होने के नाते लड़ाई-झगड़े और दुनिया भर की खुराफात करते रहते हैं और आज कल सच में देखा जाय तो असली नेता वे ही बनते हैं। तो मेरा सुझाव है कि एक तहसील से दूसरी तहसील में इन अध्यापकों के ट्रान्सफर का प्राविधान किया जाय।

इसी के साथ आरक्षण के बारे में भी निवेदन कर देना चाहती हूं कि यद्यपि शिक्षा मन्त्री जी ने इसके बारे में कहा है, लेकिन हमें सन्तोष तभी होगा जबकि हमारे शिक्षा विभाग के आदेश प्रत्येक विद्यालय में पहुंच जायं और उनका शीघ्रता से कार्यरूप में पालन हो। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं।

ठाकुर मूलचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उनसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति आमूल-चूल परिवर्तन चाहता है। मैं 1974 से शिक्षा के ऊपर हर बजट में भिन्न-भिन्न विचार सुनता हूं। बहुत से सुझाव आते हैं। लेकिन उसमें क्या परिवर्तन होता है? वे सुझाव अपनी जगह रह जाते हैं। हमारे शिक्षा मन्त्री जी से आशा की जाती है कि यह जो आमूल-चूल परिवर्तन चाहते हैं, इसमें गहराई से विचार करेंगे। मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा किसी देश की रीढ़ की हड्डी है और उसको मजबूत करना जरूरी है। हमारे यहाँ आज प्राइमरी शिक्षा बिल्कुल खराब हो गयी है। चाहें छात्र हों, चाहें अध्यापक हों, चाहें भवन हों—तीनों की स्थिति बहुत खराब है। तो, मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि भले ही स्कूल ज्यादा न खोलें, लेकिन जो स्कूल खुले हुए हैं, उनकी व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक परेशान हैं, पढ़ाई नहीं होती, विद्यालयों के भवन पहले से ही खराब थे, लेकिन इस साल बाढ़ की वजह से सारे भवन गिर चुके हैं। मैंने जनपद मुजफ्फरनगर के अन्दर शिक्षा के सम्बन्ध में एक मीटिंग की थी और उसमें भवनों का एस्टीमेट लगाया था और उसको माननीय शिक्षा मन्त्री जी को भेज दिया था। वहाँ पर केवल 30 हजार अनुदान की अपेक्षा है। इससे अन्दाजा कीजिए कि कितने अनुदान प्राइमरी विद्यालयों को देंगे कि जिससे भवन की व्यवस्था ठीक हो जाय। यही आमूल-चूल परिवर्तन होगा। मैं यह भी शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में मीटिंग में अध्यापकों, संसद सदस्यों के अलावा जो अधिकारीगण हैं, उनको भी शामिल करें, क्योंकि जब तक शिक्षा का एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, जब तक सिद्धान्तों को लागू नहीं किया जायगा, चाहे कोई भी परिवर्तन करें, लाभकारी नहीं होगा।

मान्यवर, आज माध्यमिक शिक्षा भी सुचारु रूप से नहीं चल रही है। जहाँ तक अधिकारी वर्ग का सवाल है, ये लोग दफ्तर में बैठे रहते हैं। निरीक्षण के लिए नहीं जाते। वह दुर्दशा बयान नहीं की जा सकती है। जनपद मेरठ में जो नकल का वातावरण हुआ है और अधिकारियों ने उसमें हिस्सा लिया है, मैं उसका बयान ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, शिक्षा मन्त्री जी को भी ज्ञात है। मैं चाहता हूं कि जो शिक्षा अधिकारी हैं, वे अपने कार्यालयों में न बैठकर विद्यालयों का निरीक्षण करें और जो कमियाँ पायी जायें, उनको दूर करें।

मैंने परीक्षा मूल्यांकन केन्द्र देखे हैं, मैं जनपद मुजफ्फरनगर के जी0आई0सी0 और जैन इण्टर कालेज पर गया, शिक्षा मन्त्रालय से जो आदेश जाते हैं, उनका पालन नहीं होता है। शिक्षा विभाग से एक जी0ओ0 गया था कि मूल्यांकन केन्द्रों पर आर्म्ड पुलिसमैन जायेंगे और सुरक्षा की व्यवस्था होगी। लेकिन जी0आई0सी0 सेंटर पर दो महिलाओं के गले से जंजीर उतार ली गयी और कुछ नहीं हो पाया। मैं चाहूंगा कि जो जी0ओ0 पास हों, उनको देखा भी जाय कि वे लागू हो रहे हैं या नहीं। इसी वजह से आज शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हो रही है। इसके अलावा कई साल से जो एप्वाइन्टमेंट हो रहे थे, वह एक बोर्ड के माध्यम से होते हैं, लेकिन मैंने बोर्ड में जाकर खुद देखा है, जो सदस्य वहाँ के बोर्ड में साक्षात्कार लेने के लिए एप्वाइंट किए जाते हैं, वे वहाँ पर नहीं पहुंचते हैं। उसका कारण यह है कि उनको जो टी0ए0 मिलता है वह समय पर नहीं मिलता है। मेरी शिक्षा मन्त्री जी से बात हुई थी और पुनः मेरा उनसे निवेदन है कि इसके लिए धन की व्यवस्था तुरन्त करें। इसके अलावा विद्यालयों में जो फीस ली जाती है उसकी व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही है। शिक्षा मन्त्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें। मैं यूनिवर्सिटीज के लिए भी निबेदन करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री जी बैठे हुए हैं कि उनको जो आर्डर दिये जाते हैं उनका पालन कराया जाय। मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता हूं कि विद्यालय खोले जायें और उनकी व्यवस्था ठीक न हो। इसलिए मैं दोनों मन्त्रियों से निवेदन करूंगा कि विद्यालयों की व्यवस्था ठीक करायी जाय।

*श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)––

मान्यवर, मुझे माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि प्राइमरी स्कूलों की संख्या तो बहुत हो गयी है। अब उन्हें शायद स्थान ढूंढने में दिक्कत पड़ती होगी कि कहाँ पर प्राइमरी स्कूल खोला जाय। लेकिन जूनियर हाई स्कूलों की बहुत कमी है ग्रामीण क्षेत्र में। अभी तक प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल नहीं हो पाये हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जूनियर हाई स्कूलों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाने की कृपा करें। जिन जूनियर हाई स्कूलों को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है, यदि उनके अध्यापकों को वेतन उसी प्रकार दिया जाय जिस प्रकार मान्यता प्राप्त हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज के अध्यापकों को देते हैं तो इससे तमाम गरीब आदमियों का बड़ा कल्याण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग यह प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल चलाते हैं उसमें अध्यापकों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है। चाहें आप संख्या निर्धारित कर दें कि जहाँ 250 या 300 छात्र होंगे, उनको हम अनुदान सूची में लेंगे। अभी तक काम तो काफी हुआ है लेकिन सिफारिशों के आधार पर काम होता था। छोटे-छोटे गाँवों में तो जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल खुल जाते थे, लेकिन ढाई-तीन हजार आबादी के ऐसे गाँव अब भी बाकी हैं, जहाँ जूनियर हाई स्कूल नहीं हैं। आप एक ऐसा पैटर्न बनायें कि जहाँ 35––40 लड़के प्राइमरी कक्षा में होंगे वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल जो खोलेंगे तो उनसे गाँवों का बड़ा कल्याण होगा।

मान्यवर, मान्यता देने के बारे में आप को अपने पैटर्न को बदलना चाहिए। अगर आप यह समझते हैं कि किसी जूनियर हाई स्कूल में एक हजार लड़के पढ़ते हैं तो उसे आप को इण्टरमीडिएट कालेज की मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि शिक्षा का काम जो संस्थाएं चलाती हैं उनका यह काम नहीं है। पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। जब कांग्रेस सरकार थी तब भी मैंने इस ओर इशारा किया था कि शिक्षा का काम पूरी तरह सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। बिचौलियों के हाथ में इसे नहीं देना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मन्नूलाल द्विवेदी]

यदि सरकार शिक्षा का काम अपने हाथ में लेगी तो उससे दो तरह की शिक्षा नहीं होगी कि बड़े आदमियों के बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ें और उन्हीं को बड़े स्थानों में नौकरी मिले और स्टेट का आसन ग्रहण करे और गाँव के बच्चों को नौकरी करने का अवसर ही न मिले। गाँव के बच्चों को भी मौका मिले शासन का काम सम्भालने का। आपको पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। औद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।

प्राइमरी शिक्षा कैसे होती है। आप लोग समझते हैं। जब यहाँ बैठा करते थे, तो आलोचना करते थे। माननीय मन्त्री जी ने जो भाषण दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्राइमरी शिक्षा की उन्नति करना चाहते हैं। उन्होंने जिस हौसले का इजहार किया है उससे हम समझते हैं प्राइमरी शिक्षा अच्छी होगी जिससे वही लड़के आगे चल कर अच्छी सर्विस पा सकेंगे और ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे।

बालाहार की योजना के बारे में इतना कहना है कि यह योजना कुछ स्कूलों में चलायी जा रही है, कुछ में नहीं चलायी जा रही है। यदि आप इससे सब जगह नहीं चला सकते, तो एक चलायें। वहाँ पर सब स्कूलों में चलायें। जिन्हें आप सम्पन्न क्षेत्र समझते हैं, उन्हें छोड़ दें। जिस जिले में आप इसे चलायें, उस पूरे जिले में चलायें और ठीक से चलायें। इसकी जाँच भी हो कि किस तरह से बालाहार योजना का उपयोग हो रहा है, जो सामान मिलता है उसका सही उपयोग बच्चों में हो रहा है या नहीं, इसे देखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें। श्री भगवती प्रसाद सिंह. . . . .

श्री मन्नू लाल द्विवेदी--

इस तरह से मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें. . . . .

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं प्रस्तावित बजट का समर्थन नहीं करूंगा, उसमें बड़ी कमियाँ हैं। आप के दोनों शिक्षा मन्त्रियों का समर्थन जरूर करूंगा। इन लोगों की नियत में जिस तरह का हौसला है, उसको देखते हुए मैं मन्त्रियों का समर्थन जरूर करूंगा। मान्यवर, तीस साल में जितनी सरकारें आयीं, उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ और निःशुल्क शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, हमारी जैसी शिक्षा दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका में और कुछ अन्य मुल्कों में मानी शिक्षा है, लेकिन समाजवादी मुल्कों में जिसका मैंने अध्ययन किया है, कहीं ऐसी शिक्षा नहीं है कि कमजोर वर्ग के लड़कों को पढ़ने का मौका न दिया जाय। यहाँ पर आप शिक्षा देंगे जो बड़े अधिकारी हैं उनके बच्चों को, आप शिक्षा देंगे, बेसिक शिक्षा कार्यालय में जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को, आप शिक्षा देंगे सचिवालय में जो लोग हैं उनके बच्चों को, किसके लिए शिक्षा देंगे स्कूल बनाने वाले ठेकेदारों के लिए और महा-विद्यालय के कुलपति को। फैजाबाद में जो सबसे बड़ा भ्रष्ट है, लखनऊ में बैठा रहता है, अमेरिका के लिए जिसकी बहुगुणा जी ने पैरवी की, जिस पर दो दिन यहाँ चर्चा हुई, उसके लिए। मान्यवर, आप जन साधारण के लड़कों की शिक्षा के लिए सुविधा नहीं देने जा रहे हैं। मान्यवर, शिक्षा ही समाज की रीढ़ है। रीढ़ को तोड़ना चाहते हैं। आप से उम्मीद है, आप को हौसला है, मैं मानता हूं लेकिन मान्यवर, आप रीढ़ को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। रीढ़ को तोड़ने का क्या मतलब है, शिक्षा को रोजगार की तरफ नहीं ले जा रही है, अंग्रेजों की जो देन है उसी पर आज भी चल रही है। इस देश में दो प्रदेशों में बंगाल और त्रिपुरा, जहाँ पर मार्क्सवादी सरकारें हैं मिली जुली। हमने वहाँ पर इन्टर कालेज तक शिक्षा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नि:शुल्क कर दी है कि वहाँ पर बाढ़ का प्रकोप हुआ, रिफ्यूजी की मरमार हुई। मेरा निवेदन है कि और खर्चों को काट कर नि:शुल्क शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। श्रीमती रामरति देवी ने कहा कि लड़कियों के स्कूलों को सभी सुविधा मिल रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि स्त्रियों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ बिल्कुल बरबादी है और कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। मेरे क्षेत्र के एक कस्बे में सेठों द्वारा संचालित स्कूल में सुविधा दी जा रही है। वहाँ एक मुसलिम स्कूल है उसमें हर अध्यापक को 25 रुपए ही मिलते हैं। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मान्यवर, शिक्षा के बजट को कम न करके जितना भी इसमें बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाय। बिना शिक्षा के कोई मुल्क नहीं चल सकता। जैसी शिक्षा होगी वैसे ही नेता अधिकारी पैदा होंगे। एक समय था जब शिक्षा का क्षेत्र बहुत पवित्र समझा जाता था लेकिन आज शिक्षा का स्तर गिर गया है और उसमें भ्रष्टाचार भी घुस आया है। जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में यह वायदा किया गया था कि भ्रष्टाचार मिटाओ। अगर मन्त्री जी शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार मिटा सकते तो समस्त क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता। जो आज छात्र है वही कल का अधिकारी, नेता तथा शासक होता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र से भ्रष्टाचार मिटाने की आवश्यकता है। शिक्षा में जो छात्र रिश्वत देकर पास हो जाते हैं उसका असर यह होता है कि मेरिट लिस्ट से हट कर लोग कम्पीटीशन में रिश्वत देकर आ जाते हैं जिसे मन्त्री जी को देखना चाहिए।

मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हमें बड़ा डर है। इसका पूरे का पूरा बजट बेकार चला जायगा। एक करोड़ का बजट है। इसको ऐसे ही खा जायेंगे। जब से प्राइमरी शिक्षा जिला परिषदों से ली गयी है और शिक्षा परिषद ने इसे अपने में लिया है, तब से ये चौपट हुई है। तब से कोई मास्टर स्कूल में पढ़ाने नहीं जाता। वैसे ही वह हाजिरी लगा आता है, पढ़ाता नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन स्कूलों को फिर से जिला परिषदों को वापस कर दिया जाय और शिक्षा का विकेन्द्रीयकरण कर दिया जाय। शिक्षा परिषद में जो नौकरशाही बैठी हुई है उनके हाथ में इसका संचालन नहीं होना चाहिए। इनके हाथ में रहने से प्राइमरी शिक्षा खराब हो चुकी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो 1 करोड़ रुपये का प्रौढ़ शिक्षा का बजट है उसे बरबाद न किया जाय और प्राइमरी शिक्षा पर उसे लगा दिया जाय। हमारे क्षेत्र में कोई प्रौढ़ आदमी इस शिक्षा को पढ़ने नहीं जाने वाला है। उनके स्थान पर और स्कूल खोले जायं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री विद्या शंकर (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री ने जो शिक्षा का अनुदान पेश किया है, उसका आमतौर पर समर्थन करता हूं। सवाल यह नहीं है कि एक प्राइमरी स्कूल खोल दें, एक मिडिल स्कूल, यूनिवर्सिटी या डिग्री कालेज खोल दें, लेकिन सवाल इस बात का है कि हर साल जो हाई स्कूल से, इण्टरमीडिएट से या यूनिवर्सिटी से जो फौज निकल रही है, उनको कैसे रोजगार दिया जाय। स्कूल खुलवाकर क्या करेंगे? आज कहा जाता है कि छात्रों में बड़ी अनुशासनहीनता है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आज की जो शिक्षा पद्धति है वह मैकाले की शिक्षा पद्धति है और वही आज भी चल रही है। हमारे यहाँ भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, आचार्य नरेन्द्र देव, कोठारी आयोग, कालू लाल माली आदि लोगों ने रिपोर्ट दी है लेकिन सरकार ने उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि नये स्कूल या विद्यालय खोल देने से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्ष नहीं किया।

[श्री विद्या शंकर]

समस्या का समाधान हो जायगा, यह असम्भव है। आज छात्रों में इतना असन्तोष क्यों है ? किसान अपने बच्चों को शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी में भेजते हैं और वह यह समझते हैं कि हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी से निकल कर किसी रोजगार में लगेगा। लेकिन जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो देखता हूं कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो एम0, ए0 बी0 एड0 हैं दो–तीन वर्ष से उनको नौकरी नहीं मिल रही है। जब उनको नौकरी नहीं मिल पाती है तो वे निराश हो जाते हैं और उनके मन में एक प्रकार से कुंठा पैदा हो जाती है। यही विश्वविद्यालयों में असन्तोष का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी छात्र का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अभी तक यह सुना जाता था कि लेखपाल, रेवेन्यू और पुलिस विभाग में ही भ्रष्टाचार है लेकिन अब शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। कहा जाता है कि शिक्षा संस्थाएं सरस्वती के पवित्र मन्दिर हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रिंसिपल कालेज का होता है, आज उसकी पहली ड्यूटी होती है वह फर्जी वाउचर बनाए और रुपया कमाए। अगर इस तरह की बात आज जिसे हम सरस्वती का मन्दिर कहते हैं, वहाँ होगी तो छात्र के चरित्र का निर्माण कैसे होगा। आज कहा जाता है कि विद्यार्थी कट्टे चलाता है, चाकू चलाता है उसका कारण यही है। आज प्रोफेसर और लेक्चरर जो हैं वह गुटबाजी के शिकार बने हुए हैं, वह छात्रों को अपने हितों के लिए उभाड़ते हैं, राजनीति करते हैं ताकि यूनिवर्सिटीज में डामिनेट कर सकें। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी भले ही स्कूल खुलवा दें, भले ही कुछ बिल्डिग बना दें, लेकिन जब तक मौजूदा शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होगा और शिक्षा को रोजगार पूरक नहीं बनाया जायगा, जब तक बच्चों के भविष्य को संरक्षण नहीं दिया जायगा तब तक. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री विद्याशंकर—

तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं शिक्षा मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह जो शिक्षा का अनुदान रखा गया है उस पर जो हमारा कटौती का प्रस्ताव है उसका जितने माननीय सदस्य बोले हैं, मैं यह कहूं कि 100 फीसदी माननीय सदस्यों ने हमारे कटौती प्रस्ताव का समर्थन किया है। उसका कारण यह है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है।

प्राइमरी शिक्षा जो मूल शिक्षा है उसको सुदृढ़ करने की माँग माननीय सदस्यों ने की। कटौती का प्रस्ताव जब मैंने प्रस्तुत किया था तो कहा था कि जो पब्लिक स्कूल हैं, क्या उनके समकक्ष प्राइमरी स्कूल्स को ला सकते हैं ? क्या जो पब्लिक स्कूल्स में अंग्रेजी की पढ़ाई है उसको हटा कर क्षेत्रीय भाषा ला सकते हैं ? क्या इनकी यह हिम्मत है ? मैं नहीं समझता हूं कि इनकी यह हिम्मत है। क्योंकि हमारे समाज में जो उच्च जगहों में बैठे हैं, उन्हीं के हाथ में यह व्यवस्था है और वह कभी राय नहीं देंगे कि आप पब्लिक स्कूलों को खतम करें। वह कोई न कोई कानूनी अड़चन ऐसी बता देंगे जिससे शिक्षा मन्त्री जी असमर्थ हो जायेंगे। अगर हम चाहते हैं कि जनतंत्र मजबूत हो और सब को विकास करने का समान अवसर मिले तो इन पब्लिक स्कूलों को आपको बन्द करना पड़ेगा या फिर ये जो प्राईमरी स्कूल हैं इनको भी उन्हीं के स्तर पर लाये। तब मैं जानूंगा कि सब को एक स्तर शिक्षा मिल पायेगी। प्राईमरी स्कूल के जितने भवन हैं जो जीणशीर्ण अवस्था में हैं काफी रुपया उन भवनों के लिये व्यवस्था करें जिससे शिक्षा के स्तर मे सुधार होगा। इसी

तरह से अध्यापकों का जो अनुपात 1 और 40 का रखा है उसके आँकड़े आप इकट्ठा करें कि कौन कौन ऐसे जिले हैं जिनमें उस अनुपात से स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं।

आज हजारों बी0 टी0 सी0 पास नियुक्ति-पत्र की प्रतीक्षा में हैं। उनको नियुक्त करने से आपको दो फायदे होंगे। एक तो जो बेरोजगार पड़े हैं उनको रोजगार मिल जायगा दूसरा बच्चे अच्छी शिक्षा प्राइमरी स्कूलों में पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––

चार पाँच मिनट में आप निपटा दीजिये।

श्री देव बहादुर सिंह––

जूनियर हाई स्कूलों के भवनों की बात माननीय सदस्यों ने कही। जितने छात्र पढ़ते हैं उस अनुपात से जगह नहीं है। भवनों का निर्माण करने से शिक्षा में सुधार आयेगा।

शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की बात एक स्वर से कही गयी। आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार का पर्यायवाची बन गया है। आपने वेद मंत्रों की बात कही। अगर सरस्वती के मंदिर में भ्रष्टाचार है तो कौन-सा स्थान बच जायेगा, जहाँ भ्रष्टाचार न हो, इसलिए आप शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार से बचावें, जिससे इसका काम सुचारु रूप से चल सके। राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा, लेकिन उस के बारे में उनके बजट भाषण में कुछ नहीं है। हम यह जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अनुभव यह बताता है कि बेसिक शिक्षा परिषद् बनने के बाद जो इसके अन्तर्गत शिक्षा का कार्य हो रहा है, उसका स्तर बहुत ही नीचा आ गया है और जब कि वह जिला परिषद् के अन्तर्गत थे, तो स्तर अच्छा था। तो आपने जो विकन्द्रीकरण और पुनः उनके दायित्व में देने की बात सोची है, उसके बारे में आप शीघ्र स्पष्ट घोषणा करें। गोस्वामी जी ने बुन्देलखंड की पर्वतीय अंचल से तुलना की कि वहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। लकिन वहाँ पर अगर एक मील में स्कूल हो तो 24 घंटे आने जाने में लग जाएगा। वहाँ पर कितने स्कूल हैं, उसकी तुलना यदि वह मैंदानों के साथ करेंगे तो यह उचित नहीं होगा, उनको पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति और दुर्गम रास्तों को भी ध्यान में रखना होगा। वहाँ आने-जाने में बड़ा समय लगता है।

आज परीक्षाओं में पर्चे आउट होना और नकल होना एक आम बात हो गयी है, नहीं तो चाकू और कट्टे के बल बूते पर नकल होगी। तो इसको रोकने के लिए भी आपको ध्यान देना होगा, जिससे यह बुराई रुक सके।

प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत शायद ही कहीं कोई स्कूल काम कर रहा हो, सब कागज पर हैं। कोई इसमें यह काम करने वाला नहीं है और न कहीं दरी और लालटेन हैं और न पढ़ने वाले ही हैं। तो आप इसमें करोड़ों रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इसको ईमानदारी से लागू किया जाय, जिसको पढ़ना हो, उसे ही आप पढ़ावें, यों ही पैसा बर्बाद न करें। पहले किसी एक दल को इसका दायित्व सौंप कर सारा पैसा देने की बात थी, वैसी बात नहीं होनी चाहिए। इसे आप अपने माध्यम से चलावें और ईमानदारी से चलावें।

बालाहार योजना में जो सामग्री दी जाती है, उसको स्वादिष्ट नहीं बनाया जाता है और खाने लायक तक नहीं बनाया जाता है। यह जानवरों के खाने जैसा सामान वहाँ देते हैं। आधे से ज्यादा तो इसका सामान बिक जाता है और जो आधा शेष बचता है, उसको कोई खा नहीं सकता है, अध्यापक इसे अपने जानवरों को खिलाने के लिए ले जाते हैं। हुक्म सिंह जी ने यह ठीक ही कहा है कि जितनी धनराशि अनुदान के रूप में मंत्री जी ने माँगी है, उसका दुरुपयोग होगा। इसीलिए मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में एक रुपये की बात कही है। इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह मेरे कटौती के प्रस्ताव को पास करे।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं आभारी हूं अपने दल के सदस्यों और विपक्ष के लोगों का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किये हैं। मैंने अपनी बजट स्पीच में उन में से बहुत सी बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी ऐसे रह गये हैं, जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। देवबहादुर सिंह जी ने शुरू ही में कहा है कि कक्षा 1 के सभी बच्चे पास कर दिये जा रहे हैं और कक्षा दो के बच्चों को उत्तीर्ण करने की बात कही गयी है में इससे कोई गुणात्मक सुधार नहीं आयेगा। मैंने गुणात्मक सुधार की बात नहीं की। मैंने प्रारम्भिक विद्यालयों की साधारण क्षमता की बात की। गुणात्मक सुधार की बात उसके साथ जुड़ी हुई है। यदि 100 की संख्या कक्षा 1 में मान ली जाय तो कक्षा पाँच तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या, अभी जो सर्वेक्षण हुआ है, उसके अनुसार 39 रह जाती ह। बच्चों में आकर्षण क्यों नहीं इसलिए उनमें धाणि क्षमता का सुधार करने के लिए कक्षा दो को भी किया गया कि अधिक से अधिक बच्चे है और उनका स्तर भी सुधरे। मुझे गालिब का एक शेर याद आता है—

या रब न समझे हैं न समझेगे मेरी बात,
दे और दिल उनको जो न द मुझ को जुबाँ।

और जहाँ तक मेरी बात समझने का प्रश्न है, केवल इंटरप्रिटेशन की बात है। आप इसलिए सहमत होंगे कि केवल साधारण क्षमता के सुधार की बात कही है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि बालाहार योजना में भ्रष्टाचार है। उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसमें काफी कठोर कार्यवाही भी की गयी है

राज्यपाल के अभिभाषण में बेसिक शिक्षा के विकेन्द्रीकरण की बात कही गयी है। इस ओर हमने बजट भाषण में सबेरे भी कहा था। सरस्वती और लक्ष्मी में बैर है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जात। सरस्वती का भंडार इस प्रकार का है। लक्ष्मी के साथ सरस्वती का बैर है। बहुत कम देखने को मिला होगा कि कोई सेठ विद्वान हो। इसीलिए सरस्वती की सर्वत्र चर्चा होती है। तुलसीदास जी ने बाल काँड में कहा है —वर्णनामर्थं संघानाँरसानाँ छन्दसामर्थ, मंगलानाँ च कर्त्तारौ बन्दे वाणी विनायंको। इतनी रसधार बहाई है। स्वामी श्री दयानन्द, विवेकानन्द और गाँधी को मैंने जोड़ा है। अगर इन लोगों को जोड़े तो बाकी उनके साथ जुड़ जाते हैं।

पब्लिक स्कूल की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। इस पर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन हमारी कुछ सीमाएं हैं। जो माइनारिटीज के स्कूल चल रहे हैं या दूसरे तरह की पढ़ाई हो रही है, वहाँ पर संवैधानिक प्रश्न उपस्थित होता है। लेकिन मैंने कहा था कि जो टैलटेड और गिफ्टेड छात्र हैं, उनके लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि आगे चलकर वह अच्छे नागरिक ही न बनें, बल्कि उनको अपना नैतिक स्तर ऊचां उठाने में भी बल मिलें। प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन जो संस्थाएं अवैधानिक दृष्टिकोण से चल रही हैं, उनके सम्बन्ध में देखना पड़ेगा।

दूसरे, माननीय यादव जी ने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहा। इसमें 15 से 35 वर्ष के ही लोग हैं। बुजुर्गों की बात है, 60 वालों का। जो आउट आफ डेट हो गये हैं उनकी बात नहीं है। 15 से 35 वर्ष की उम्र वालों के लिये यह व्यवस्था की गयी है। दुबे जी ने कहा कि शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की नियुक्ति हाई स्कूल कार्यक्रम के लिए की गयी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा कि जो दिन में नहीं पढ़ाते, वह रात को क्या पढ़ायेंगे, यह नवयुवक शिक्षकों की व्यवस्था अलग है। दिन में व्यवस्था करने का उसमें प्राबिधान नहीं है। दूसरे यादव जी ने कहा कि पार्टी के आधार पर नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन कर दूं कि शैक्षिक संस्थाओं का आवेदन-पत्र भारत सरकार को भेजा

जाता है। लेकिन भेजने के पूर्व जिला अधिकारी और शिक्षा निदेशक दोनों के द्वारा जाँच करायी जाती है गुणावगुण के आधार पर भारत सरकार को संस्तुति भेजी जाती है। जिनके आवदन पत्र भेजे जाते हैं उनमें जिलाधीश की संस्तुति मौजूद है। कोई भी ऐसा केस नहीं जाता है जिस पर शिक्षा निदेशक या जिलाधिकारी की संस्तुति मौजूद न हो। प्राथमिक शिक्षा का बजट जो है वह पिछले साल से यानी 1978–79 2 प्रतिशत अधिक किया गया है जो 52 परसेंट था और अब 54 परसेन्ट कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा का बजट वर्ष 1978–79 में 28 प्रतिशत था जो वर्ष 1979–80 से में 30. प्रतिशत कर दिया गया है यानी 2% की वृद्धि की गयी है।

मान्यवर, एक बात शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की कही गयी है। मैं भी शिक्षक हूं। जब माननीय तिवारी जी वित्त मंत्री थे तो एक प्रश्न आया था उस समय मैं उन शिक्षकों के साथ था तो उन्होंने कहा था कि एक हाई लेविल कमेटी बनेगी और जिसमें 27 सदस्य थे जिसमें 23 सदस्य एक ओर और 4 सदस्य एक ओर थे। प्राइवेट कालेजेज से हम 80 प्रतिशत ले लेते हैं और 20 प्रतिशत मैनेजमेंट को देते हैं तो कुछ न कुछ उनको करना ही पड़ता है। अध्यापकों को तनख्वाह देने के लिए व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के बारे में प्रयास जारी है। अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से सुझाव दिए किसी ने राष्ट्रीयकरण की बात कही, किसी ने प्रान्तीयकरण की बात कही किसी, ने सरकारीकरण की बात कही और मान्यवर, कुछ लोगों ने शिक्षा के निगमीकरण की बात भी कही। अगर केवल राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरण का रूप प्रस्तुत हो गया होता तो इस दिशा में उचित कार्यवाही हो गयी होती।

हमारा उस ओर ध्यान है और हम विचार कर रहे हैं। ड्राफ्ट स्टेटमेंट पालिसी भारत सरकार की ओर से आयी है उसमें नैतिक शिक्षा और सदाचार का प्राविधान है। मैंने जो अपना बजट भाषण किया है उसमें उसकी सभी चीजों को कहने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसकी शत प्रतिशत और अक्षरश: उसको पालन करेगी। मान्यवर, उसको मैंने रखा है। कहीं कोई गुन्जायश नहीं है कि भारत सरकार कुछ कहे और उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कहे। वहाँ पर जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर भी जनता पार्टी की सरकार है और दोनों में कोई विवाद नहीं है। एक बात मैं प्राइमरी स्कूल के नक्शों के बारे में कहना चाहता हूं जो यहाँ पर उठायी गयी है। यह सही कहा कि पुराने नक्शे के अनुसार केवल दो ही कमरे थे और वारन्डा नहीं था परन्तु अब जो नक्शा स्वीकृत किया गया है उसमें दो कमरे और एक बरान्डा भी बनना है। मान्यवर, उर्दू के बारे में रोष प्रकट किया गया। मैं बता देना चाहता हूं कि प्राइमरी कक्षाओं में छात्र मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के निर्देश दिए गये हैं। इसके अनुसार यदि किसी प्राइमरी स्कूल में कम से कम 40 छात्र या एक कक्षा में कम से कम 10 छात्र उर्दू अपनी मातृ भाषा के माध्यम से पढ़ना चाहते हों तो इसकी व्यवस्था की जाती है। प्राइमरी कक्षाओं में उर्दू एक विषय के रुप में भी पढ़ाई जाती है।

प्राइमरी स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अग्रिम प्रवेश पंजिका (एडवान्स एनरोलमेंट रजिस्टर) रखने के आदेश दे दिये गये हैं जूनियर हाई स्कूल स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत उर्दू एक भाषा के रूप में पढ़ाये जाने की सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी विद्यालय में एक कक्षा में कम से कम 5 छात्र उर्दू पढ़ने के इच्छुक है तो माँग एवं आवश्यकता की जाँच करके उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। इस के अलावा एक दो ज्वलन्त प्रश्न सामने आये हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है सत्य को स्वीकार करने में मुझे खुशी है और यह सही है कि जब कोई आदमी इलाहाबाद के दफ्तरों में जाते है तो वहाँ के लोग सड़क, पेड़ के नीचे या चाय की दुकानों पर मिलते है। यह समस्या ऐसी है

[श्री कैलाश नाथ सिंह]

जिसका निदान अवश्य ढूंढ़ना चाहिए। कुछ कैडर्स ऐसे बने हुए हैं जैसे बोर्ड के लोगों का है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता है इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा ताकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकें। नये विद्यालयों का जहाँ तक सम्बन्ध है मैं यह समझता हूं कि अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर का कुछ मतलब नहीं है तो अगर शिक्षा के लिए विद्यालय खोले जायं तो उनमें आत्मा का प्रवेश होना चाहिए। अब जो प्राइमरी स्कूल खुलेंगे उनके भवन साथ में अटैच होंगे। जहाँ तक मरम्मत का प्रश्न है उसके लिए हमने 12 लाख रुपये की स्वीकृत दी है।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 15 222 प्राइमरी स्कूल तथा 2202 जूनियर हाई स्कूल इस समय भवन हीन है। भवनों के निर्माण के लिए शासन जागरुक है और उसके लिए धन की व्यवस्था का प्रयास यथासंभव किया जाता है। वर्ष 1976-77 में 2412 प्राइमरी विद्यालयों के निर्माण का कार्य 0 4.43 करोड़ की लागत से ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को सौंपा गया। बताया गया कि ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। यह ठीक नहीं है। इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक मीटिंग भी हुयी थी जिसमें हमारे माननीय नौटियाल साहब भी थे और पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सदस्य जिनमें नेगी साहब भी थे। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस विचार के हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का एक अलग से कैडर बना दिया जाय तो सुदृढ़ीकरण हो सकता है और पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर अध्यापक नहीं, स्कूल नहीं वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी प्रकार से सुचारु रूप से हो सके।

गांव प्रधानों के कार्य में भी ऐसा हो सकता है। मैं जानता हूं कि गांवों में चक रोड्स और चक नाली तक जोत लिए गये हैं। उनका भी बहुत हाथ उसमें रहा होगा, न कहीं पर चक रोड रह गयी है न चक नालियां रह गयी हैं। अगर आप समझते हैं कि उनसे लाभ होगा तो ब्लाक से एक योजना बनायी जा सकती है।

वर्ष 1977-78 में 3.49 करोड़ की लागत से 688 प्राइमरी स्कूल और 213 जूनियर हाई स्कूल के भवनों के निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंपा गया है। इस वर्ष प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 434 प्राइमरी स्कूल तथा 139 जूनियर हाई स्कूल के भवनों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है।

जहां तक मरम्मत का सम्बन्ध है इसका उपयोग 30-6-79 तक हो जायगा। मैं पढ़ रहा हूं मैदानी जनपदों में 15,00,000 रुपये। इसके अलावा बाढ़ सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत मैदानी जनपदों के लिये शासकीय आदेश दिनांक 27-2-79 के द्वारा 72,91,000 रुपये की स्वीकृति दी गयी है। पर्वतीय जनपदों के लिए बाढ़ सहायता के कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास अनुभाग के आदेश दिनांक 20 -3-79 के द्वारा 2,57,400 रुपये की स्वीकृति दी गयी है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र के शासनादेश दिनांक 28-3-79 द्वारा 92,600 रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में वर्ष 1977-78 तक 50 रुपये प्रति विद्यालय की दर से टाट-पट्टी हेतु अनुदान दिया जाता था। वर्ष 1978-79 में इस मद में व्यय के लिए

उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

	रुपये
(1) 50 रुपये प्रति विद्यालय की दर से 66,000 स्कूलों के लिए . .	33,00,000
(2) नयी मांग द्वारा विशेष अनुदान . .	10,00,000
(3) अनुपूरक पुस्तकों एवं मासिक पत्रिकाओं का क्रय न करके टाट पट्टी के उपयोग हेतु . .	13,00,000
(4) विद्यार्थियों से विकास शुल्क के रूप में वसूल की गयी धनराशि से टाट पट्टी का क्रय . .	35,00,000
	91,00,000

सरकार सचेष्ट है कि हम लोग टाट-पट्टी की व्यवस्था कर सकें ताकि बच्चे कम से कम स्कूलों में बैठ सकें। गुरुकुलों की व्यवस्था भी हो रही है। ध्यान हमारा इस ओर भी है। अभी यह सम्भव नहीं है कि हर स्कूल में टाट पट्टी की व्यवस्था हो जाये, लेकिन प्रयास हमारा जारी रहेगा। इस काम की शुरुआत अच्छी हो गयी है। वेल बिगन इज हाफ इन अंत भी अच्छा होगा। सेक्सपियर ने कहा था आल इज वैल दैट एन्ड्स वैल।

बी0 टी0 सी0 अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में जो कहा गया, इस समय यह सही है कि हमारे प्रदेश में काफी प्रशिक्षित बी0 टी0 सी0 अध्यापक बेरोजगार है। प्रयास यह किया जा रहा है कि नये विद्यालय जो खोले जायें उनमें इनकी खपत की जाये। 40-1 के अनुपात में रखने पर हम विचार कर रहे हैं। विचारणीय हो सकता है 35 पर या 30 पर भी एक रख सकें। हमने हर जिले से सूचना मंगायी है कि वहां इनकी क्या संख्या है। जितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा हम उसके लिये प्रयास करेंगे।

पौष्टिक आहार की जो बात कही गयी उसके लिये भी हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। देहातों के लिये चीनी अगर न मिले तो गुड़ ही सही, हम लोग इस ओर कदम उठा रहे हैं।

नारी शिक्षा की बात भी कही गयी। मैंने अपरे भाषण में शुरू में ही उसका जिक्र कर दिया था। मैं तो यह समझता हूं कि यत्र नार्यस्त पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता। मैं यह विश्वास दिलाना जाहता हूं कि इस ओर भी हमारा पूरा ध्यान है। हमने नारियों को पुरुषों के बराबर ही अधिकार दिये हैं। उनकी शिक्षा की मद में किसी प्रकार की भी कटौती नहीं हुई है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा.....

(व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

निशुल्क शिक्षा के बारे में बता दें।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

निशुल्क शिक्षा होना चाहिये। हमारे संविधान में भी उसके लिये है। बिहार ने जो कदम उठाया है वह स्वागत योग्य है। हम लोग भी काफी पिछड़े है। पर फिर भी इसके लिये भी प्रयास किया जायेगा। धीरे धीरे यह हो सकेगा।

डिगनिटी आफ लेबर की ओर भी हमारा प्रयास है। मैंने सवेरे भी अपने भाषण में उसका जिक्र किया था। जब हम टैक्नीकल कालिजों में जाते हैं तो लिखा हुआ भी मिलता है "वर्क इज वर्शिप"। कर्म ही उपासना है, भगवान श्रीकृष्ण ने भी गीता में उसके महत्व का वर्णन किया है। योगः कर्मसु कौशलम्

[श्री कैलाश नाथ सिंह]

मैं समझता हूं कि श्रम की महत्ता को हर आदमी को स्वीकार करना चाहिये। श्रम के साथ ही शिक्षा को जोड़ने का हमारा प्रयास है।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो उपयोगी सुझाव दिये हैं उन पर अमल करने का प्रयास करूंगा। माननीय देव बहादुर सिंह जी से कहूंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें, शिक्षा जगत के लिये यह उनकी एक बड़ी भारी देन होगी।

(व्यवधान)

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत इन्टर कालेज के चपरासियों का शोषण होता है। हमारे क्षेत्र में सैदई सुभाष इण्टर कालेज के चपरासियों का शोषण होता है।

(उच्च शिक्षा मंत्री के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, उच्च शिक्षा मंत्री जी खड़े हुए हैं। कैम्पस अनरेस्टनेस यूनिवर्सिटी परिसर में व्याप्त अशांति तथा शिक्षा सत्र को नियमित करने के संबंध में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा कर दें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)---

मान्यवर, सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों ने केवल शिक्षा के विषय में अपनी जानकारी, परिचय ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बहुत ही मूल्यवान अपने सुझाव भी दिये हैं। मेरे सहयोगी श्री कैलाश नाथ सिंह जी ने शिक्षा के हर पहलू पर प्रकाश डाल ही दिया है। मैं तो जो उच्च शिक्षा है उसकी उच्च समस्यावों के संबंध में जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं मात्र सिंहावलोकन ही करना चाहूंगा। मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज प्रदेश में, बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि सारे भारत वर्ष में उच्च शिक्षा की इस प्रकार की जो सत्र नियमित न होने वाली समस्या है, मान्यवर, इसके कारण से बहुत भारी भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है। यदि यही स्थिति सामने रही और यही क्रम चलता रहा, तो कहीं भी इसका अन्त नहीं होगा। इसको रोकने के लिए अगर हम सबकी सहवृत्ति वाली भावना नहीं रहेगी तो हम कहीं पर भी कोई कदम नहीं रख पायेंगे। मान्यवर, यह केवल शासन का ही प्रश्न नहीं है, यह तो आज एक ऐसा प्रश्न उपस्थित हो गया है कि क्या इसी तरह से साल भर पढ़ने के बाद रेजल्ट न मिलने की स्थिति रहेगी, तो यह केवल शासक दल का ही प्रश्न नहीं है, इसको आप, मैं, इसी सदन में माननीय सदन के, आप के माध्यम से अपील कर चुका हूं, जिस दल से भी लोग संबंधित है, मान्यवर, सबका यह उत्तरदायित्व है कि इसका नियमन करें, विशेषकर इसकी ओर सरकार की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं, चलते-चलते एक वर्ष समाप्त हो चुका है, अगर सितम्बर तक सत्र को नियमित करने का प्रयास नहीं किया गया, तो यह सच है कि अगला वर्ष भी समाप्त हो जायगा।

हमने शिक्षकों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय किया है ताकि वे गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ा सकें और भी जो उनकी माँगें थीं, उनको माना है। उन माँगों को सरकारी नियमों के अन्तर्गत जो उनको पेंशन दी जा सकती है, वह भी देने का निर्णय कर लिया है और उनसे अनुरोध किया है, कुलपतियों से अनुरोध किया है, छात्रों और उनके नेताओं से, महा विद्यालय के प्रिंसिपल तथा अध्यापकों तथा नेताओं और इस माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों और साथियों से निवेदन किया है, इस सत्र को नियमित करवाने में अपना-अपना सहयोग दें। तो इस प्रयास में हमारे सामने अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं, छात्रों की ओर से, अध्यापकों की ओर से भी, लेकिन मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि छात्रों ने और अध्यापकों ने हमें सहयोग देने के लिए बचन दे दिया है और वह सहयोग देने के

लिए तत्पर हैं। तो इस तरह से छात्रों की जो समस्या है, उसका शीघ्रातिशीघ्र हम हल ढूंढ लेंगे। छात्र शाँति का जहाँ तक प्रश्न है मान्यवर, इस समय शाँति इसी में समझूंगा कि सब छात्र परीक्षा के लिए तैयार हो जायं। उनकी हर माँगें हम मानेंगे। जब यह सत्र नियमित हो जाय, तब अन्य प्रकार को बातों का भी निर्णय करने के लिए हम तत्पर हैं। इस समय यही निवेदन है। यहाँ पर विश्वविद्यालय के संबंध में बहुत सी बातें कही गयी हैं और मुझे यह कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं है और इसको मैं छुपाना भी नहीं चाहता हूं।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)––

मान्यवर, नौटियाल साहब, मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन कट-मोशन के बाद मंत्री जी जबाव दे चुके। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी इन्टरवीन तभी कर सकते थे कट मोशन के बाद। अब उनको बोलने का अधिकार नहीं है। उच्च शिक्षा के संबंध में माननीय सदस्यों ने आपत्तियाँ दी थीं, रघुबर दयाल जी नियमों के ज्ञाता हैं, उन्हें सब ज्ञात है, जो रिकार्ड हो रहा है

(शोर)

आपने किस नियम के अनुसार आज्ञा दी, मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

श्री सोहन वीर सिंह तोमर ने जो आपत्ति उठायी वह ठीक है। मैंने यह समझा कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी जो प्रश्न हो रहे हैं उसका जबाव देने के लिए खड़े हुए हैं वैसे मंत्री जी का उत्तर भाषण हो जाने के बाद किसी को बोलने का अधिकार नहीं है।

एक सदस्य––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष––

व्यवस्था के ऊपर मैंने निर्णय दे दिया लेकिन मैंने इसलिए मंत्री जी को नहीं टोका कि कुछ प्रश्न किये जा रहे हैं संभवतः वे उसका उत्तर देने जा रहे हों।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)––

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि एक तो उच्च शिक्षा के संबंध में इस समय सबसे बड़ा खतरा है कि कहीं हमारा साल बेकार न जाकर जीरो इयर बन जाये, इसके लिए क्या सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है 1, 2, 3, 4 करके ताकि सत्र नियमित हो जाये और दूसरे गढ़वाल विश्वविद्यालय को संघटक बना दिया है और महाविद्यालय के जो प्रोफेसर थे सरकारी विद्यालयों में चले गये हैं उनको वे सुविधायें नहीं दी जा रही हैं जो राजकीय महाविद्यालयों में मिलती थीं तथा मान्यता का मामला खटाई में पड़ा है विशेष कर पर्वतीय क्षेत्र में और दूसरे वहाँ भी एक समस्या है जो मान्यता प्राप्त शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं उनको पर्वतीय एलाउन्स नहीं मिलता है।

श्री शिवानन्द नौटियाल––

जो आपत्तियाँ आपने उठाई उसका मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं समझता हूं कि इन बातों का सदन के समक्ष आ जाना उपयोगी है इसलिए मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

नेगी जी ने जो प्रश्न किये हैं, आप उनका उत्तर दे दें।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

गढ़वाल विश्वविद्यालय के बारे में यू0 जी0 सी0 की तरफ से व्यवस्था की गई है। प्रदेश की सरकार ने 2 करोड़ का प्राविधान कर दिया है और जो सुविधायें मिलने वाली हैं वह मिलेंगी। मान्यवर, गढ़वाल विश्वविद्यालय के संबंध में दो एक बातें प्रकाश में आयी हैं, उस संबंध में माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत होते हुये, मान्यवर, वी0 सी0 को हमने अपनी ओर से पत्र लिख दिया और उसमें जो भी इस प्रकार की बातें हैं उनका सुधार किया जायगा। इसके अतिरिक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न उठाया गया था।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया जो प्रश्न किया है उसी का जबाव दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जीरो इयर के बारे में मंत्री जी बता दें ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

इसके लिये हम कटिबद्ध हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि इसके लिये एक कैलेन्डर तैयार कर लिया है और तमाम विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनसे कैलेंडर तैयार करवा लिया है और उनसे कहा गया है कि आप समय पर परीक्षा करवायें, अगर नहीं करवाते हैं तो सरकार को सोचना होगा कि आगे हमको क्या करना चाहिये।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं स्वयं आशावादी हूं और जो घोषणा मंत्री जी ने की है शिक्षकों के लिये, शिक्षा जगत के लिये तो उसमें मेरे मन के अंदर एक शंका है। मैं कहना चाहता हूं कि रोग इतना दीर्घ है कि जितनी दवाई किया है उससे वह संतुष्ट होने वाला नहीं है। यह जो शिक्षा जगत का वायुमंडल है इसको कैसे दूर करेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मैं समझा नहीं आप दोबरा कह दीजिये।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री ने शिक्षा उपकर की घोषणा की थी और जब माननीय सदस्यों ने जानना चाहा था तो वित्त मंत्री ने कहा था कि जब बजट पेश किया जायगा तो विस्तृत रूप से रूप रेखा पेश की जायगी। मैं जानना चाहता हूं कि वह रूपरेखा क्या है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, वित्त मंत्री जी से उन्होंने स्वयं बात की है। मुझे बताया गया है कि माननीय सदस्य स्वयं आश्वस्थ हो चुके हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैंने अपने भाषण के दौरान ध्यान आकृष्ट किया था कि सी0 पी0 एम0 टी0 के इम्तहान में जो पिछले साल मेरठ यूनिवर्सिटी ने प्रबन्ध किया था और इस साल आगरा यूनिवर्सिटी कर रही है तो मैंने इस सम्बन्ध में अनियमितताओं को बताया था। तो क्या सरकार सी0 पी0 एम0 टी0 के इम्तहान को किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा करवाकर कम से कम छात्रों को निष्पक्ष रिजल्ट दिया जायगा ? इसके बारे में बता दें।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

इस विषय में जो गुलाब सेहरा जी ने सुझाव दिया है तो इस विषय में मैं स्वास्थ्य मंत्री से विचार विमर्श करूंगा और जो उन्होंने समस्या बतायीं उसका निदान करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री देव बहादुर सिंह से) आप कटौती के प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री देव बहादुर सिंह--

नहीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34--शिक्षा विभाग-संम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34-शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,11,03,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 111--संपूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या 111--शिक्षा विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाए

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें मैंने श्री अजीत सिंह सेठी की दिनाँक 21 मई, 1979 को ग्राम हसनपुर, जनपद आगरा में एक धोबी की हत्या किये जाने के संबंध में है--इसको स्वीकार किया।

श्री मित्रसेन यादव की सूचना को अस्वीकृत किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये मैंने स्वीकार किया है।

गन्ना सहकारी विकास समितियों द्वारा गन्ने के विकास हेतु वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत कृषकों को दिये गये ऋण पर मनमाना ब्याज वसूल किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गन्ना विकास मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी ऋण समितियों एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से रिजर्व बैंक आफ इंडिया की योजना के अन्तर्गत गन्ना वित्त पोषण की योजना अक्तूबर, 1975 से प्रारम्भ हुई।

[श्री शिव मंगल सिंह]

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975–76 से 1977–78 तक निम्न ऋण वितरित हुआ:—

1975–76	..	624.32 लाख रुपये
1976–77	..	2001.55 लाख रुपये
1977–78	..	1927.26 लाख रुपये
1978–79	..	814.30 लाख रुपये (फरवरी, 79 तक)

इस ऋण पर ब्याज की दर जैसा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा गया है वर्ष 1976–77 व 1977–78 में क्रमश: 14 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत था। अब वर्ष 1978–79 में 12 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को देय ब्याज को आधार मानते हुये सहकारी ऋण समितियों द्वारा मेम्बरों से क्या ब्याज लिया जाय इसका निर्धारण निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्र जारी करके किया जाता है। ऋण समितियों द्वारा जो डिमान्ड दी जाती है उसमें निम्नलिखित धनराशि सम्मिलित होती है:—

1—ऋण की मूल धनराशि,

2—ऋण देने की तिथि से 1 अक्तूबर तक का ब्याज,

3—1 अक्तूबर से 30 अप्रैल तक का ब्याज।

30 अप्रैल तक का ब्याज लेने का प्रबन्ध योजना का ही एक अंग है। गन्ना सीजन मई–जून के अन्त तक चलता रहता है और ऋण की वसूली गन्ना मूल्य से धीरे-धीरे होती रहती है यही कारण है कि औसत का ध्यान रखते हुये ब्याज अप्रैल तक का वसूला जाता है क्योंकि दिनों में ब्याज गणना करना सम्भव नहीं है।

यह कहना ठीक नहीं है कि ब्याज 30 प्रतिशत तक हो जाता है क्योंकि सामान्यत: ऋण की अदायगी फरवरी, मार्च से पहले नहीं हो पाती और ऋण कटौतियाँ तथा गन्ना मूल्य भुगतान मई, जून तक भी चलता रहता है।

सहकारी बैंकों तथा गन्ना समितियों के बीच सभी वर्षों के लेखों का मिलान पूर्ण नहीं हुआ है अत: कथित अधिक ब्याज वसूल किये जाने के आँकड़े देना सम्भव नहीं है। फिर भी मूल-धन को देखते हुए अधिक ब्याज वसूलने के जो आँकड़े माननीय सदस्य ने दिये है वे सही नहीं प्रतीत होते। समिति को यह कठोर आदेश हैं कि वे परिपत्र में नियत ब्याज से अधिक ब्याज वसूल न करें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

एक सदस्य---

अगर आप चाहें तो बिना कोरम के भी हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो तब हो सकता है जबकि प्रश्न कोरम का उठाया न जाय।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मामला बहुत महत्वपूर्ण है। कोई उपाय निकालें कि जिससे स्पष्टीकरण आ जाय।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, क्या बिना कोरम के, मान्यवर हाउस चलेगा ?

एक सदस्य---

सम्भवतय: दोपहर में और शाम को बिना कोरम के भी हाउस चल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसा नियम नहीं है। अब 5 मिनट हो गये घंटी बजाते हुए कोरम पूरा नहीं हुआ। अब हम उठते हैं, कल 11-00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
25 मई, 1979।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

तत्वी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 568 पर)

विवरण

श्री मोहन लाल सेठ ने उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के प्राविधानों की अपेक्षानुसार जिलाधिकारी, लखनऊ की अनुमति प्राप्त करके, अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार मेजरबैंक्स रोड, लखनऊ पर "प्रतिभा चित्र मंदिर" नामक सिनेमा गृह का निर्माण कराकर अपने प्रार्थना-पत्र दिनाँक सितम्बर, 1974 द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ से उसमें चलचित्र प्रदर्शन हेतु लाइसेंस स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना की। जिलाधिकारी ने इस प्रार्थना पत्र को मुख्यतः इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि इस सिनेमा भवन में उपर्युक्त अधिनियम की धारा (1) (कक) (1) एवं नियमावली के नियम 7 (2) (क का उल्लंघन था। जिलाधिकारी की अस्वीकृति के विरुद्ध, सिनेमा स्वामी ने शासन के समक्ष लाइसेंस हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया।

2—यह दृष्टिगत रखते हुए कि सिनेमा स्वामी द्वारा सिनेमागृह का निर्माण नियमानुसार अनुमति प्राप्त करके, अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार करवाया गया है तथा भवन के ध्वनि नियंत्रित होने के कारण सचिवालय के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न न होगी, मानवीय दृष्टिकोण, मनोरंजन कर की आय में बढ़ोत्तरी, सभी राजनैतिक दलों के कतिपय विधायकों, संसद सदस्यों तथा विधान सभा की याचिका समिति की संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुये, शासन द्वारा इस सिनेमा को लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुंक्त विधिक प्राविधानों को शिथिल कर दिया गया। तत्पश्चात सिनेमा स्वामी की प्रार्थना पर तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त, दिनाँक 24 मई, 1978 से जिला मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, लखनऊ चलचित्र प्रदर्शन का लाईसेंस स्वीकृत कर दिया गया।

पी० एस० यू० पी एल० 211 वि० सभा—(314)—1980—835।